



भारत सरकार  
रेलवे मंत्रालय, रेलवे भर्ती बोर्ड



विस्तृत केन्द्रीकृत रोज़गार अधिसूचना  
के.रो.अधि.02/2026



तकनीशियनों की भर्ती



## विषय सूची

क्रमांक	पैरा नं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	1.0	पदों एवं रिक्तियों का अवलोकन	1
2.	2.0	महत्वपूर्ण तिथियां	1
3.	3.0	महत्वपूर्ण निर्देश	2
4.	4.0	सामान्य निर्देश	5
5.	5.0	रिक्तियां	8
6.	6.0	चिकित्सा योग्यता के मानक	8
7.	7.0	राष्ट्रीयता / नागरिकता	10
8.	8.0	आयुसीमा	11
9.	8.1	आयु में छूट	11-12
10.	8.2	उम्मीदवारों की जन्मतिथि	13
11.	9.0	शैक्षिक योग्यता	13
12.	10.0	परीक्षा शुल्क	13-14
13.	10.1	शुल्क भुगतान के तरीके	14
14.	10.2	अल्पसंख्यकों	15
15.	10.3	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी)	15
16.	10.4	परीक्षा शुल्क वापसी	15-16
17.	11.0	वर्टिकल आरक्षण	16
18.	11.5	ओबीसी आरक्षण	17
19.	11.13	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ((ईडब्ल्यूएस)	18-19
20.	12.0	क्षैतिज आरक्षण	19
21.	13.0	पूर्वसैनिक	20
22.	14.0	बैंचमार्क विकलांगतावाले व्यक्ति ((पीडब्ल्यूबीडी)	21
23.	14.7	स्क्राइब (लेखक) की सहायता और प्रतिपूरक समय	25-28
24.	14.7.8	लेखक( स्क्राइब) का पंजीकरण	26
25.	15.0	वर्तमान नियोक्ता से एनओसी	28
26.	16.0	भर्ती प्रक्रिया	28
27.	16.1	कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी)	29-31
28.	16.2	दस्तावेज सत्यापन (डीवी)	31-32
29.	17.0	आवेदन कैसे करें	32
30.	17.2	खाता बनाएं	32
31.	17.3	आवेदन प्रस्तुत करने के लिए सामान्य दिशानिर्देश	32-33
32.	17.4	आवेदन के दौरान अभ्यर्थी का लाइव फोटो कैप्चर	33-34
33.	17.5	अनिवार्य स्कैन किए गए दस्तावेज	33-34
34.	17.6	स्क्राइब (लेखक) की सहायता	35-37
35.	17.7	प्रस्तुत आवेदन विवरण में संशोधन	37
36.	18.0	कॉमन सर्विस सेंटर सेवाएं	37
37.	19.0	विभिन्न आरआरबी और उनके वेबसाइटों का विवरण	37-38
38.	20.0	आवेदन में संशोधन	38
39.	21.0	अमान्य आवेदन/ अस्वीकृतियां	39
40.	22.0	ई-कॉल लेटर पर निर्देश	39
41.	23.0	मूल दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों के प्रारूप का सत्यापन	40
42.	24.0	अनुचित व्यवहार का प्रयोग	41
43.	25.0	विविध	42
44.	26.0	इस के.रो.अधि (सीईएन) में प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षर	43-44

**अनुलग्नकों की सूची**

क्रम सं.	अनुलग्नक सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1	अनुलग्नक-ए	पोस्ट पैरामीटर	44-52
2	अनुलग्नक-बी	आरआरबी और जोनवार रिक्ति तालिका	53-73
3	अनुलग्नक-सी	मर्ज किए गए पोस्ट श्रेणियों (एमपीसी) एवं एकल श्रेणियाँ का विवरण	74-75
4	अनुलग्नक - I	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाणपत्र का प्रारूप	76
5	अनुलग्नक -II	ओबीसी-एनसीएल प्रमाणपत्र का प्रारूप	77
6	अनुलग्नक-II ए	ओबीसी-एनसीएल उम्मीदवारों द्वारा स्वघोषणा	78
7	अनुलग्नक - III	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ( ईडब्ल्यूएस) द्वारा प्रस्तुत किया जानेवाला आय और संपत्ति प्रमाणपत्र	79
8	अनुलग्नक - III ए	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) उम्मीदवारों के लिए आय प्रमाणपत्र	80
9	अनुलग्नक- IV	दस्तावेज़ सत्यापन के समय अल्पसंख्यक उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला परीक्षाशुल्क माफ़ी का प्रोफ़ॉर्मा	81
10	अनुलग्नक -V(ए)	फॉर्म - V - दिव्यांगता प्रमाणपत्र (एकल दिव्यांगता के मामलों में)	82
11	अनुलग्नक- V (बी)	फॉर्म - VI- दिव्यांगता प्रमाणपत्र(एकाधिक विकलांगताओं के मामले में)	83
12	अनुलग्नक- V (सी)	स्क्राइब का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्धता पत्र	84
13	अनुलग्नक- V (डी)	आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 ,की धारा 2 (एस) की परिभाषा के अंतर्गत निर्दिष्ट विकलांगतावाले व्यक्ति के लिए प्रमाणपत्र	85
14	अनुलग्नक- V ( ई)	40 % से कम विकलांगतावाले और लिखने में कठिनाईवाले व्यक्ति द्वारा दिया गया प्रतिबद्धता पत्र	86
15	अनुलग्नक- V(एफ )	परीक्षा लिखने के लिए परीक्षार्थी की शारीरिक सीमा के संबंध में प्रमाणपत्र	87
16	अनुलग्नक -VI	भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किया जानेवाला घोषणा पत्र	88
17	अनुलग्नक -VI(ए)	सेवारत अधिकारियों के लिए प्रमाणपत्र का प्रारूप (भूतपूर्व सैनिक)	89
18	अनुलग्नक -VII	राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर करनेवाला प्रमाणपत्र	90

## रिक्तियों का विवरण एक नज़र में

श्रेणी सं.	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	चिकित्सा मानक	कुल रिक्तियां(सभी आरआरबी)
1.	तकनीशियन ग्रेड I सिग्नल	5	बी1	323
2.	तकनीशियन ग्रेड III ट्रैकमशीन	2	ए3	172
3.	तकनीशियन ग्रेड III ब्लैकस्मिथ	2	बी1	306
4.	तकनीशियन ग्रेड III ब्रिड्ज	2	बी1	34
5.	तकनीशियन ग्रेड III कैरिज और वैगन	2	बी1	501
6.	तकनीशियन ग्रेड III डीजल(इलेक्ट्रिकल)	2	बी1	206
7.	तकनीशियन ग्रेड III डीजल(मैकेनिकल)	2	बी1	346
8.	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल / टीआरएस	2	बी1	268
9.	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल (जीएस)	2	बी1	329
10.	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल (टीआरडी)	2	बी1	152
11.	तकनीशियन ग्रेड III ईएमयू	2	बी1	147
12.	तकनीशियन ग्रेड III फिटर (ओएल)	2	बी1	469
13.	तकनीशियन ग्रेड III रेफ्रिजरेशन और एयरकंडीशनिंग	2	बी1	162
14.	तकनीशियन ग्रेड III (सिग्नल व दूरसंचार)	2	बी1	320
15.	तकनीशियन ग्रेड III वेल्डर(ओएल)	2	बी1	150
16.	तकनीशियन ग्रेड III क्रेनड्राइवर	2	बी2	13
17.	तकनीशियन ग्रेड III कारपेन्टर (कार्यशाला)	2	सी1	229
18.	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल (पीयू और डब्ल्यूएस)	2	सी1	128
19.	तकनीशियन ग्रेड III फिटर (पीयू और डब्ल्यूएस)	2	सी1	1109
20.	तकनीशियन ग्रेड III मशीनिस्ट (कार्यशाला)	2	सी1	123
21.	तकनीशियन ग्रेड III मैकेनिकल (कार्यशाला)	2	सी1	193
22.	तकनीशियन ग्रेड III मिलराइट	2	सी1	170
23.	तकनीशियन ग्रेड III पेंटर (कार्यशाला)	2	सी1	77
24.	तकनीशियन ग्रेड III ट्रिम्मेर ( कार्यशाला )	2	सी1	46
25.	तकनीशियन ग्रेड III वेल्डर (पीयू और डब्ल्यूएस)	2	सी1	584
<b>कुल रिक्तियां</b>				<b>6557</b>

आरआरबी-वार एवं रेलवेजोन-वार रिक्तियों का विस्तृत वितरण अनुलग्नक 'बी' में दिया गया है।

**महत्वपूर्ण:** प्रामाणिक एवं समयोचित सूचना एवं अद्यतन हेतु अभ्यर्थियों को केवल आधिकारिक आरआरबी वेबसाइटों (जो नीचे पैरा 19.0 में सूचीबद्ध हैं) का ही अवलोकन करना चाहिए। फर्जी वेबसाइटों से सावधान रहें—वे भ्रामक एवं गलत जानकारी प्रदान कर सकती हैं।

## केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना (सीईएन) संख्या 02/2026

### तकनीशियन ग्रेड- I सिग्नल एवं तकनीशियन ग्रेड-III की विभिन्न श्रेणियों की भर्ती

1.0 नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित निम्नलिखित पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

क्रमांक	पद	7वें सीपीसी में वेतन स्तर	प्रारंभिक वेतन (₹.)	चिकित्सा मानक	आयु (यथावत 01-07-2026 को)*	कुल रिक्तियां (सभी आरआरबी)
1	तकनीशियन ग्रेड-I सिग्नल	स्तर-5	29200	बी 1	18-33 वर्ष	323
2	तकनीशियन ग्रेड-III	स्तर-2	19900	अनुलग्नक-ए देखें (पोस्ट वार पैरामीटर)	18 – 30 वर्ष	6234
<b>कुलयोग</b>						6557
आरआरबी-वार और रेलवेजोन-वार रिक्तियों का विस्तृत वितरण अनुलग्नक- बी में दिया गया है।						

\*आयु में छूट के विवरण हेतु कृपया पैरा संख्या 8.0 देखें।

**महत्वपूर्ण: सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम द्वारा दिनांक 29.07.2026 को 23:59 बजे तक ही जमा किए जा सकते हैं।**

#### 2.0 महत्वपूर्ण तिथियाँ :

रोजगार समाचार में सांकेतिक सूचना की तारीख	23-05-2026
ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रारंभिक दिनांक	30-06-2026
ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तथा समय	29-07-2026 (23:59 बजे )
जमा किए गए आवेदनों के लिए आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि	31-07-2026 (23:59 बजे )
संशोधन शुल्क के भुगतान के साथ आवेदन पत्र में सुधार के लिए संशोधन विंडो की तिथियां कृपया ध्यान दें: 'खाता बनाएं' (Create an Account) फॉर्म और 'चुने गए आरआरबी' में भरे गए विवरण को संशोधित नहीं किया जा सकता है	01-08-2026 से 10-08-2026
वे तिथियाँ जिनके दौरान पात्र स्क्राइब उम्मीदवारों को आवेदन पोर्टल में अपने स्क्राइब का विवरण प्रदान करना होगा।	11-08-2026 से 15-08-2026

## ध्यान दें :

- 1.0 विस्तृत सीईएन-02/2026 आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइटों पर अपलोड किया जाएगा (पैरा 19.0 देखें)। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए लिंक इन वेबसाइटों पर लाइव कर दिया जाएगा।
- 2.0 कंप्यूटर आधारित परीक्षा, दस्तावेज़ सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा की तिथियां समय-समय पर संबंधित आर.आर.बी. की आधिकारिक वेबसाइटों के माध्यम से सूचित की जाएंगी।
- 3.0 सीबीटी, डीवी, एम्पैनलमेंट आदि के परिणाम संबंधित आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइटों पर अपलोड किए जाएंगे।

### 3.0 महत्वपूर्ण निर्देश:

- 3.1. कृपया ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले के.रो.अधि (सीईएन) में दी गई जानकारी को अच्छी तरह से पढ़ें।
- 3.2. उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे इस के.रो.अधि (सीईएन) के तहत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक या उससे पहले पद के लिए सभी निर्धारित शैक्षिक और तकनीकी योग्यताएं पूरी करते हैं। **निर्धारित शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।**
- 3.3. केवल आधिकारिक आरआरबी वेबसाइटों पर दिए गए लिंक के माध्यम से आवेदन ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता सुनिश्चित करने के लिए इस विस्तृत सीईएन के अनुलग्नक ए (अर्थात् पोस्ट पैरामीटर), अनुलग्नक बी (आरआरबी और जोन-वार रिक्ति विवरण) और अनुलग्नक सी (अर्थात् विलयित एवं एकल पद श्रेणियों का विवरण) को ध्यानपूर्वक पढ़ना आवश्यक है। इस के.रो.अधि (सीईएन) में दर्शाई गई आरआरबी-वार और रेलवे-वार रिक्तियां अंतिम हैं और ये संबंधित रेलवे प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार बढ़ या घट सकती हैं।
- 3.4. प्रत्येक वेतन स्तर के लिए एक अलग आवेदन जमा करना होगा, क्योंकि प्रत्येक वेतन स्तर के लिए एक **अलग सीबीटी आयोजित किया जाएगा।** प्रत्येक वेतन स्तर के लिए लागू परीक्षा शुल्क का भुगतान भी अलग से करना आवश्यक है।
- 3.5. **आरआरबी का चयन और पदों के लिए प्राथमिकताएं: अभ्यर्थी एक वेतन स्तर में केवल एक आरआरबी चुन सकते हैं और केवल उसी चुने हुए आरआरबी में, रेलवे जोन/पीयू और अधिसूचित पदों/श्रेणियों के लिए अपनी प्राथमिकता बता सकते हैं।** आंशिक विकल्प देने वाले उम्मीदवारों का केवल उनके द्वारा चुने गए रेलवे जोन/पीयू और चुने गए पदों के लिए विचार किया जाएगा, जैसी आवंटन के समय रिक्ति की स्थिति होगी। यदि किसी जोनल रेलवे/पीयू और पदों के लिए कोई विकल्प नहीं दिया जाता है तो इसे इसके लिए उनकी अनिच्छा माना जाएगा। एक बार दिए गए विकल्प अंतिम होंगे और किसी भी बदलाव पर विचार नहीं किया जाएगा। **जो आवेदक इस सीईएन के तहत एक ही वेतन स्तर के लिए एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत करेंगे, उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा तथा आरआरबी और रेलवे भर्ती सेल (आरआरसी) की सभी भावी परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा।**  
**नोट:** अनुलग्नक ए (अर्थात् पोस्ट पैरामीटर) में सूचीबद्ध 25 पद श्रेणियों में से, वेतनस्तर 2 पर 08 पद श्रेणियाँ—जिनमें आगे मर्ज की गई पदश्रेणियाँ (एमपीसी) कहा जाएगा—जिनको समान पद मापदण्डों को साझा करनेवाले कई पद/पदनामों को मर्ज करके बनाया गया है। इसलिए प्रत्येक एमपीसी में एक से अधिक पद/पदनाम शामिल हैं। इन पदनामों की सूची, उनके संबंधित विभागीय और उप-विभागीय विखंडन के साथ, अनुलग्नक सी (अर्थात् मर्ज किए गए पद श्रेणियों का विवरण) में दी गई है।

यह विलय आवेदन प्रक्रिया को सरल, तेज और उम्मीदवारों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया है। एमपीसी के तहत पैनल में सूचीबद्ध उम्मीदवारों को उस एमपीसी के तहत संबंधित विभाग और उप-विभाग के साथ किसी भी पद/पदनाम पर नियुक्त किया जा सकता है, जब वे अपने आवंटित क्षेत्रीय रेलवे को रिपोर्ट करते हैं।

- 3.6. अभ्यर्थियों की **पात्रता** ऑनलाइन आवेदन में उनके द्वारा दिए गए विवरण के आधार पर अनंतिम मानी जाएगी। आरआरबी पात्रता के लिए आवेदनों की विस्तृत जांच नहीं करेगा, इसलिए, आवश्यकतानुसार पात्रता मानदंडों को पूरा करने की शर्त पर उम्मीदवारी केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। उम्मीदवारों को शैक्षिक योग्यता, आयु, चिकित्सा मानकों आदि की आवश्यकताओं का ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि वे संबंधित पद हेतु पात्र हैं। आरआरबी द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय उनकी शैक्षिक योग्यता और आयु/जाति/श्रेणी आदि के समर्थन में प्रमाण पत्र/दस्तावेज मांगे जाएंगे। शैक्षिक योग्यता/आयु/जाति/श्रेणी आदि से संबंधित प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों की जांच के बाद, यदि आवेदन में दिया गया कोई भी दावा प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों द्वारा प्रमाणित नहीं होता है, तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, भर्ती के किसी भी चरण के दौरान में या उसके बाद भी यदि यह पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा दी गई कोई जानकारी झूठी/असत्य है या अभ्यर्थी ने कोई महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई है या उम्मीदवार पद के लिए निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो उसकी उम्मीदवारी तुरंत खारिज कर दी जाएगी।
- 3.7. एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/ईबीसी श्रेणी या किसी अन्य लाभ जैसे कि शुल्क रियायत, आरक्षण, आयु-छूट, आदि के दावे के लिए महत्वपूर्ण तिथि, जहां अन्यथा निर्दिष्ट नहीं है, वे इस सीईएन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि होगी।
- 3.8. **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ावर्ग-एनसीएल/ईडब्ल्यूएस/ईबीसी/पीडब्ल्यूबीडी/भूतपूर्व सैनिक के लिए** उपलब्ध आरक्षण/छूट का लाभ चाहनेवाले सभी उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे नियमों/सीईएन में निर्धारित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण/छूट के हकदार हैं। उनके पास उनके दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में सभी अपेक्षित प्रमाण-पत्र, जैसे नियमों और सीईएन में निर्धारित हैं, होने चाहिए।
- 3.9. **मेडिकल फिटनेस:** उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे पद(पदों) के लिए निर्धारित चिकित्सा मानकों को पूरा करते हैं। जो अभ्यर्थी चयनित पद(पदों) के लिए चिकित्सकीय रूप से अयोग्य पाए जाते हैं, उन्हें कोई वैकल्पिक नियुक्ति नहीं दी जाएगी।
- 3.10. **आयु (01.07.2026 को):** ए) तकनीशियन ग्रेड- I सिग्नल के लिए 18-33 वर्ष और बी) तकनीशियन ग्रेड- III पदों के लिए 18-30 वर्ष (आयु में छूट के बारे में विवरण के लिए कृपया पैरा 8.1 देखें)।
- 3.11. **भर्ती की पूरी अवधि के दौरान सभी संचार के लिए उम्मीदवारों के पास अपना सक्रिय मोबाइल नंबर और एक वैध व्यक्तिगत ईमेल आईडी होनी चाहिए, क्योंकि उनके साथ संचार केवल एसएमएस और/या ईमेल के माध्यम से होंगे।**
- 3.12. सीबीटी के लिए शहर आवंटन, केंद्र आवंटन और सीबीटी के लिए तिथियां, तकनीकी और लॉजिस्टिक व्यवहार्यता के आधार पर आवंटित की जाएंगी। उम्मीदवारों को सीबीटी में भाग लेने के लिए अन्य शहरों/राज्यों की यात्रा करनी पड़ सकती है। किसी भी परिस्थिति में परीक्षा तिथि/केंद्र/शिफ्ट आदि में बदलाव के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 3.13. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने हित में "क्रिएट एन अकाउंट" चरण के दौरान डिजिटलॉकर या आधार का उपयोग करके अपनी पहचान प्रमाणित करें। यदि वे इस चरण से चूक गए हैं, तो वे अभी भी "आधार सत्यापित करें" सुविधा का उपयोग कर और अपने ऑनलाइन आवेदन विवरण भरने की प्रक्रिया के दौरान आधार विवरण प्रदान करके प्रमाणित कर सकते हैं। यह

कार्रवाई किसी विशेष सीईएन के लिए आवेदन को अंतिम रूप से जमा करने से पहले किसी भी समय की जानी चाहिए। इससे उम्मीदवारों को भर्ती के विभिन्न चरणों में सहज प्रक्रिया की सुविधा प्राप्त होगी। यदि आवेदक अपनी पहचान और अन्य प्राथमिक विवरणों को वैकल्पिक फोटो आईडी के साथ सत्यापित करते हैं, तो भर्ती प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में उनकी काफी सख्त और अधिक विस्तृत जांच की जाएगी।

- 3.14. ऑनलाइन आवेदन के दौरान, उम्मीदवारों को एक खाता ( एकाउंट) बनाने के लिए कहा जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार ने पहले ही आरआरबी सीईएन (2024/2025/2026) के दौरान एक खाता बनाया है, तो उन्हें लॉगइन करने और इससीईएन (यानी, सीईएन नंबर 02/2026) के लिए आवेदन करने के लिए उसी खाते के क्रेडेंशियल का उपयोग करना चाहिए। यदि उम्मीदवारों ने पहले खाता नहीं बनाया है, तो उन्हें इस सीईएन के लिए आवेदन भरने से पहले 'एक खाता बनाना होगा'। **उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे खाता निर्माण के लिए आवश्यक विवरण अत्यंत सावधानी से भरें, क्योंकि खाता बनने के बाद किसी भी प्रकार के सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी। 'खाता बनाएं' (Create an Account) फॉर्म में भरे गए विवरण (मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सहित) खाता बनने के बाद किसी भी चरण में संशोधित नहीं किए जा सकते हैं।**
- 3.15. ऑनलाइन आवेदन जमा करने और लागू शुल्क के भुगतान के बाद, यदि कोई उम्मीदवार किसी भी विवरण को संशोधित, बदलना या सही करना चाहता है ('खाता बनाएं' फॉर्म में भरे गए विवरणों और चुने हुए आरआरबी के विवरण को छोड़कर), तो वह 01.08.2026 से 10.08.2026 तक प्रत्येक अवसर के लिए 250 रुपये (गैर-वापसी योग्य) का संशोधन शुल्क देकर ऐसा कर सकता है। **'खाता बनाएं' (Create an Account) फॉर्म में भरे गए विवरण (ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर सहित) और चुने गए आरआरबी को बदला नहीं जा सकता है।**
- 3.16. **दिनांक 10.08.2026 के बाद, आरआरबी आवेदन में दी गई जानकारी में संशोधन के लिए किसी भी प्रतिनिधित्व पर विचार नहीं करेगा।**
- 3.17. दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षा के लिए **उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग** उस आरआरबी के लिए रिक्तियों के 1:1 की दर से आरआरबी-वार की जाएगी। यह सीबीटी में उनकी योग्यता पर आधारित होगा। **कई पालियों में आयोजित सीबीटी के लिए अंकों का सामान्यीकरण (नार्मलाइजेशन) किया जाएगा।** डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को डीवी में उपस्थित होने के लिए उनके ई-कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक आरआरबी वेबसाइटों के साथ-साथ एसएमएस या/और ईमेल (उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी पर) के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
- 3.18. **नकारात्मक अंकन:** सीबीटी में नकारात्मक अंकन (प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक) होगा।
- 3.19. सामान को सुरक्षित रखने के लिए अमानती कक्ष (क्लॉक रूम) की व्यवस्था परीक्षा स्थलों पर उपलब्ध नहीं हो सकती है। इसलिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर मोबाइल फोन आदि सहित कोई भी सामान/मूल्यवान वस्तु /प्रतिबंधित वस्तु आदि न लाएं।
- 3.20. **प्रतिबंधित वस्तुएँ:** मोबाइलफोन, पेजर, घड़ियाँ, इयरफोन, ब्लूटूथ सक्षम डिवाइस, माइक्रोफोन, हेल्थबैंड, कैलकुलेटर आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, किताब, पेन, पेपर, पेंसिल, इरेज़र, पाउच, स्केल, राइटिंग-पैड, बेल्ट, हैंडबैग, कैप, पर्स, कैमरा, पानी की बोतल, पैकेज्ड/खुले खाद्य पदार्थ आदि परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाने की **अनुमति नहीं है।** परीक्षा केंद्र के अंदर केवल ई-कॉल लेटर की अनुमति होगी। उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र के अंदर कोई पेन/पेंसिल नहीं ले जाना चाहिए। परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों को पेन प्रदान किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने हाथों/पैरों पर मेंहदी न लगाएं क्योंकि इससे

बायोमेट्रिक्स कैप्चर करने में बाधा आती है। इन निर्देशों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन की स्थिति में अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित किया जाएगा तथा उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ उसे भविष्य की भर्ती परीक्षाओं से विवर्जित किया जाएगा।

3.21. भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों के पूर्ण होने के बाद, आरआरबी उम्मीदवारों को उनके द्वारा दिए गए विकल्पों के अनुसार ही पद और रेलवे/यूनिट आवंटित करेगा, जो कि मेरिट, आरक्षण और पैनेल बनाए जाने की तिथि पर उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर होगा। एक बार उम्मीदवार पैनेल में शामिल (एमपैनेल) हो जाने के बाद, समान वेतन स्तर में किसी अन्य पद/श्रेणी के लिए विचार किए जाने का अधिकार खो देंगे।

3.22. कदाचार : परीक्षा/सीबीटी के दौरान किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए पाए जाने पर, किसी अन्य व्यक्ति को अपने स्थान पर परीक्षा दिलाने, किसी अन्य का प्रतिरूपण करने अथवा ऐसा करने का प्रयास करने वाले अभ्यर्थी को सभी आरआरबी/आरआरसी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं हेतु सम्मिलित होने से आजीवन वंचित (डीबार) कर दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी को रेलवे में किसी भी प्रकार की नियुक्ति के लिए भी अयोग्य घोषित किया जाएगा तथा यदि वह पहले से रेलवे सेवा में नियुक्त है, तो उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ध्यान दें: "लोक परीक्षाएँ (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम एवं नियम, 2024" (The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act and Rules, 2024) की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है।

#### 4.0 सामान्य निर्देश:

- 4.1. भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों में प्रवेश अनंतिम होगा, बशर्ते कि उम्मीदवार सभी निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों।
- 4.2. इस अधिसूचना के तहत पद( पदों ) के लिए आवेदन करने से पहले, उम्मीदवारों को खुद को संतुष्ट करना चाहिए कि वे आयु, शैक्षिक योग्यता और चिकित्सा मानकों सहित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस सीईएन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक उनके पास मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से अपेक्षित तकनीकी योग्यताएं हैं। निर्धारित योग्यता के लिए अंतिम परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थी पात्र नहीं हैं और इसलिए उन्हें आवेदन नहीं करना चाहिए।
- 4.3. जो उम्मीदवार इस सीईएन के लिए एक वेतन स्तर में एक से अधिक आवेदन जमा करेंगे, उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा और आरआरबी और रेलवे भर्ती सेल (आरआरसी) की सभी भविष्य की परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा। इसी प्रकार, ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन जो सूचना और/या तथ्यों में मामूली बदलाव के साथ एक से अधिक रेलवे और/या एक ही रेलवे के लिए एकाधिक आवेदन जमा करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके आवेदन सरसरी तौर पर खारिज कर दिए जाएंगे और ऐसे अभ्यर्थियों को भविष्य की आरआरबी और आरआरसी की सभी परीक्षाओं से भी वंचित कर दिया जाएगा।
- 4.4. जो उम्मीदवार वर्तमान में किसी भी आरआरबी/आरआरसी द्वारा वंचित (Debarred) हैं, उन्हें इस अधिसूचना के लिए आवेदन नहीं करना चाहिए। भर्ती के किसी भी चरण के दौरान ऐसा पता चलने पर उनकी उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी।
- 4.5. जिन उम्मीदवारों को भारत की केंद्र सरकार / राज्य सरकार / पीएसयू / किसी अन्य सरकारी संगठन द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है, वे इस सीईएन में भाग लेने के पात्र नहीं हैं और उन्हें आवेदन नहीं करना चाहिए।
- 4.6. उम्मीदवारों को अकाउंट क्रिएट करते समय ऑनलाइन आवेदन में अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम और जन्मतिथि वैसे ही दर्ज करनी होगी जैसे एसएससी/एसएसएलसी/मैट्रिकुलेशन/10वीं कक्षा परीक्षा प्रमाणपत्र या समकक्ष प्रमाणपत्र में दर्ज है, वैसे ही दर्ज करना होगा।

- (ए) एसएससी/एसएसएलसी/मैट्रिकुलेशन/10वीं कक्षा प्रमाणपत्र में उल्लिखित नाम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के मामले में, उम्मीदवार को अपना परिवर्तित हुआ नाम और साथ ही अपना एसएससी/एसएसएलसी/मैट्रिकुलेशन/10वीं कक्षा का नाम ऑनलाइन आवेदन में उचित स्थानों पर अलग से सूचित करना चाहिए। हालांकि, अन्य सभी विवरण एसएससी/एसएसएलसी/मैट्रिकुलेशन/10वीं कक्षा या समकक्ष प्रमाणपत्र से मेल खाने चाहिए और इस तरह के बदलाव की तारीख ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तारीख से पहले की होनी चाहिए।
- (बी) ऐसे मामलों के लिए, परिवर्तित हुए नाम के साथ किसी भी एक वैध फोटो आईडी के साथ राजपत्र अधिसूचना या कोई अन्य कानूनी दस्तावेज सीबीटी / दस्तावेज सत्यापन (डीवी) के समय जमा किया जाना आवश्यक है।
- 4.7. उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे पैरा 17.4 में दिए गए निर्देशों के अनुसार अपनी लाइव छवि (फोटो) अपलोड करें और पैरा 17.5.1 में उल्लिखित मानक विनिर्देशों के अनुसार अपने स्वयं के हस्ताक्षर अपलोड करें। धुंधली, अस्पष्ट या गैर-मानक फोटो और/या हस्ताक्षरोंवाले आवेदनों को भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में अस्वीकार किया जा सकता है।
- 4.8. भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों में सभी दस्तावेजों पर उम्मीदवारों के हस्ताक्षर एक समान और एक जैसे होने चाहिए।
- 4.9. सीबीटी और डीवी की तिथियां पैरा 19.0 में दिए गए अनुसार भाग लेने वाले आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइटों पर प्रकाशित की जाएंगी। सीबीटी और डीवी (जैसा लागू हो) के लिए ई-कॉल लेटर केवल संबंधित आरआरबी की वेबसाइटों से डाउनलोड किए जाने चाहिए जैसा कि पैरा 19.0 में दिया गया है। ई-कॉल लेटर में दर्शाया गया सीबीटी केंद्र, तारीख और शिफ्ट अंतिम होगी, और तारीख/समय/स्थान में बदलाव के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 4.10. सीईएन में दर्शाई गई रिक्तियां अनंतिम हैं और संबंधित रेलवे प्रशासन की वास्तविक जरूरतों के आधार पर बाद के चरण में कुल या विशिष्ट समुदायों/इकाइयों में बढ़ या घट सकती हैं या शून्य भी हो सकती हैं। यदि रेलवे को आवश्यकता हुई तो बाद के चरण में अतिरिक्त पद भी शामिल किए जा सकते हैं। आरआरबी बिना कोई कारण बताए अतिरिक्त सीबीटी(कंप्यूटर आधारित परीक्षा), अतिरिक्त डीवी (दस्तावेज सत्यापन) आदि शुरू करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। तकनीकी बाधाओं अथवा अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण किसी भी सीबीटी/दस्तावेज सत्यापन (डीवी) को पुनर्निर्धारित करने का अधिकार आरआरबी सुरक्षित रखते हैं।
- 4.11. रेलवे प्रशासन अपने विवेक से अधिसूचित रिक्तियों को रद्द करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है और ऐसा निर्णय अंतिम और सभी के लिए बाध्यकारी होगा। ऐसे रद्दीकरण की स्थिति में, सीबीटी में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को छोड़कर, उम्मीदवारों द्वारा भुगतान किया गया परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। (रिफंड की राशि के लिए पैरा 10.0 देखें)
- 4.12. ई-कॉल लेटर जारी करने मात्र से यह नहीं माना जाता कि उम्मीदवार की उम्मीदवारी आरआरबी द्वारा भर्ती प्रक्रिया के अगले चरणों के लिए स्वीकार कर ली गई है। परीक्षा के समय, उम्मीदवार को परीक्षा देने की अनुमति देने से पहले उनके फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की उपयुक्तता, प्रामाणिकता और वास्तविकता के साथ-साथ उनके अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्रों एवं अर्हताओं (credentials) की भी जाँच की जाएगी। उम्मीदवारों के प्रमाण-पत्रों एवं अर्हताओं (credentials) एवं उनके द्वारा प्रस्तुत जानकारी की प्रामाणिकता भर्ती के अगले चरणों में भी सत्यापित की जाएगी।
- 4.13. आरआरबी पात्रता शर्तों (मूल दस्तावेजों के संदर्भ में) का सत्यापन केवल तभी किया जाता है, जब उम्मीदवार परीक्षा के सभी चरणों में योग्य पाए जाते हैं और दस्तावेज सत्यापन के लिए अनंतिम रूप से शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं। दस्तावेज सत्यापन के समय, आरआरबी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी का मूल सहायक दस्तावेजों से मिलान किया जाएगा, जो अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। आवेदन में घोषित जानकारी और सहायक दस्तावेजों के बीच कोई विसंगति या पात्रता मानदंडों (जैसे शैक्षिक / तकनीकी योग्यता, आयु, जाति / श्रेणी, चिकित्सा मानक आदि) को पूरा करने में विफलता के परिणाम

स्वरूप उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया जाएगा। इसके अलावा, यदि भर्ती के किसी भी चरण में या बाद में, यह पाया जाता है कि उम्मीदवार ने गलत जानकारी दी है या महत्वपूर्ण तथ्यों को दबा दिया है, तो उनकी उम्मीदवारी या नियुक्ति तुरंत रद्द कर दी जाएगी, और यदि उन्हें नियुक्त किया जा चुका है, तो ऐसे उम्मीदवारों को तुरंत सेवा से हटा दिया जाएगा और इसके अलावा, ऐसे उम्मीदवारों को आरआरबी और आरआरसी की सभी भविष्य की परीक्षाओं से भी आजीवन वंचित (Debar) कर दिया जाएगा।

- 4.14. **नियुक्ति का अधिकार:** आरआरबी द्वारा चयन उम्मीदवारों को रेलवे में नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं देता है। आरआरबी का कार्य केवल जोनल रेलवे के संबंधित अधिकारियों को उपयुक्त उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश करना है, जो रिक्तियों की उपलब्धता और चरित्र के पूर्ववृत्त सहित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करना सुनिश्चित करने के आधार पर नियुक्ति की पेशकश जारी करते हैं। श्रेणी/पद/रेलवे का आवंटन मेरिट, पद की प्राथमिकता, चिकित्सकीय फिटनेस और पैनल तैयार करने की तिथि पर रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। आरआरबी द्वारा श्रेणी/पद/रेलवे के आवंटन के बाद, उम्मीदवार समान वेतन स्तर के भीतर किसी अन्य पद/श्रेणी के लिए विचार किए जाने का अधिकार खो देते हैं।
- 4.15. तकनीशियन पद के लिए चयनित उम्मीदवारों को जहां भी निर्धारित हो, प्रशिक्षण लेना होगा और प्रशिक्षण अवधि के दौरान केवल वजीफा का भुगतान किया जाएगा।
- 4.16. चयनित उम्मीदवार जहां भी आवश्यक हो, सुरक्षा और/या क्षतिपूर्ति बांड निष्पादित करेंगे।
- 4.17. **तैनाती (पोस्टिंग):** आम तौर पर, एक रेलवे कर्मचारी को पूरी सेवा के दौरान रेलवे या रेलवे प्रतिष्ठान में नियोजित किया जाएगा जिसमें उसे पहली नियुक्ति पर तैनात किया गया है और उसके पास किसी अन्य रेलवे या किसी अन्य प्रतिष्ठान में स्थानांतरण के अधिकार के रूप में कोई दावा नहीं होगा। हालाँकि, एक सक्षम प्राधिकारी सेवा की अत्यावश्यकताओं में रेलवे कर्मचारी को किसी अन्य विभाग या रेलवे प्रतिष्ठान में स्थानांतरित कर सकता है, जिसमें भारत के अंदर या बाहर की परियोजना भी शामिल है। जब तक नवनियुक्त उम्मीदवार कम से कम 5 से 10 वर्ष की सेवा पूरी नहीं कर लेता, तब तक अन्य रेलवे में स्थानांतरण के लिए कोई अनुरोध पंजीकृत नहीं किया जाएगा। अतः अभ्यर्थियों को अपने आरआरबी का चयन सावधानी और विचारपूर्वक करने की सलाह दी जाती है।
- 4.18. चयनित उम्मीदवार, जिन्हें अंतिम रूप से नियुक्त किया गया है, प्रादेशिक सेना की रेलवे इंजीनियर्स यूनिट में सक्रिय सेवा के लिए उत्तरदायी हैं।
- 4.19. आरआरबी के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि यदि आरआरबी की चयन प्रक्रिया में कोई अनजाने में हुई त्रुटि/टाइपोग्राफिकल गलती पाई जाती है, तो वह परिणाम को रद्द/संशोधित कर सकता है। ऐसा एमपैनलमेंट के दौरान या रेलवे में उम्मीदवार की नियुक्ति के बाद सहित भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में किया जा सकता है। इसके अलावा, आरआरबी ऐसे उम्मीदवारों को चयन पैनल से हटाने और रेलवे से उनकी नियुक्ति रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यदि वे पहले से ही नियुक्त हैं, तो उन्हें रेलवे सेवा से हटाया जा सकता है।
- 4.20. **निःशुल्क ट्रेन यात्रा सुविधा:** अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों (यदि आवेदन में विकल्प चुना गया हो) के लिए स्वीकार्य निःशुल्क स्लीपर क्लास रेलवे पास, चयन के विभिन्न चरणों अर्थात् सीबीटी/डीवी/मेडिकल परीक्षा (जैसा लागू हो) के लिए उनके ऑनलाइन आवेदन में दिए गए विवरण और वैध जाति प्रमाण पत्र के अनुसार, उनके ई-कॉल लेटर के साथ प्रदान किया जाएगा।

ट्रेन आरक्षण बुक करते समय और यात्रा करते समय, उम्मीदवार की वास्तविकता के सत्यापन के लिए मूल एससी और एसटी समुदाय प्रमाण पत्र संबंधित अधिकृत रेलवे कर्मचारियों को दिखाना होगा। इस मुफ्त यात्रा सुविधा का किसी भी प्रकार का

दुरुपयोग करने पर चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और भविष्य की परीक्षाओं के लिए उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

- 4.21. आरआरबी के.रो.अधि.(सीईएन) के तहत आवश्यकतानुसार और किसी भी स्तर पर लागू भर्ती के किसी भी नियम और शर्तों को बदलने/संशोधित करने/जोड़ने/हटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- 4.22. आरआरबी, उम्मीदवारों की सहमति से, इस भर्ती में प्राप्त उनके अंक (स्कोर/मार्क) अन्य मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और निजी संगठनों के साथ उनकी भर्ती के लिए साझा कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन में इसके लिए अपनी सहमति/इनकार का उल्लेख करना चाहिए।
- 4.23. उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से काफी पहले अपना ऑनलाइन आवेदन जमा करें और अंतिम समय की किसी भी भीड़ से बचें। अंतिम दिनों के दौरान भारी इंटरनेट या वेबसाइट ट्रैफिक की संभावना के कारण इस सावधानी की अनुशंसा की जाती है।

उम्मीदवारों के लिए हेल्पलाइन: के.रो.अधि (सीईएन) के आवेदन जमा करने से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए (10:00 AM to 5:00 PM सभी कार्य दिवसों पर)

Email: rrbhelp@csc.gov.in

फ़ोन: 9592001188/01725653333

**यदि उम्मीदवार किसी भी कारण से अंतिम तिथि के भीतर अपना ऑनलाइन आवेदन जमा नहीं कर पाते हैं तो आरआरबी जिम्मेदार नहीं होगा।**

- 5.0 **रिक्तियां:** कृपया ध्यान दें कि ये रिक्तियां रेलवे प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार बढ़ या घट सकती हैं (संशोधित रिक्ति तालिका तदनुसार प्रकाशित की जाएगी)। इस के.रो.अधि (सीईएन) में विभिन्न पदों के मानदंडों (पैरामीटर) (यानि, योग्यता, चिकित्सा मानक और पीडब्ल्यूबीडी के लिए पद की उपयुक्तता आदि) अनुलग्नक ए में हैं और आरआरबी-वार रिक्तियां अनुलग्नक बी में हैं। महत्वपूर्ण निर्देशों के तहत पैरा 3.5 के अनुसार विलयित पद श्रेणियों (मर्ज पद श्रेणियों) का विवरण अनुलग्नक सी में दिया गया है।

#### 6.0 मेडिकल फिटनेस के मानक :

- 6.1. डीवी के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों को रेलवे प्रशासन द्वारा आयोजित अपेक्षित मेडिकल फिटनेस टेस्ट (टेस्टों) को पास करना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे पद से जुड़े कर्तव्यों को पूरा करने के लिए चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ हैं। दृष्टि तीक्ष्णता मानक (विश्वल अक्विटि मानक) रेलवे सेवा के लिए एक महत्वपूर्ण चिकित्सा फिटनेस है।
- 6.2. विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग-अलग चिकित्सा मानकों के अनुसार चिकित्सा आवश्यकताएँ नीचे दी गई हैं :

क्रमांक	चिकित्सा मानक	सामान्य फिटनेस	दृष्टि मानक
1	ए-3	शारीरिक रूप से हर तरह से फिट	i) दूरदृष्टि: 6/9, 6/9 चश्मे के साथ या उसके बिना(लेंस की शक्ति 2डी से अधिक नहीं), ii) निकटदृष्टि: एसएन: 0.6,0.6 चश्मे के साथ या चश्मे के बिना, एवं iii) कलर विजन, बैनोक्युलर विजन, नाइट विजन और मेसोपिक विजन के लिए टेस्ट पास करना आवश्यक होगा।
2	बी 1	शारीरिक रूप से हर तरह से फिट	i) दूरदृष्टि: 6/9, 6/12 चश्मे के साथ या बिना चश्मे के (लेंस की क्षमता 4डी से अधिक नहीं), ii) निकट दृष्टि: एसएन: 0.6, 0.6 चश्मे के साथ या बिना जब पढ़ना बारीकी का काम करना हो, और iii) कलर विजन, बैनोक्युलर विजन, नाइट विजन और मेसोपिक विजन के लिए टेस्ट पास करना आवश्यक होगा।
3	बी 2	शारीरिक रूप से हर तरह से फिट	i) दूरदृष्टि: 6/9, 6/12 चश्मे के साथ या उसके बिना(लेंस की क्षमता 4डी से अधिक नहीं होनी चाहिए) । ii) निकट दृष्टि: एसएन: 0.6, 0.6 चश्मे के साथ या बिना जब पढ़ना या बारीकी का काम करना आवश्यक हो, और iii) बैनोक्युलर विजन टेस्ट पास करना होगा।
4	सी 1	शारीरिक रूप से हर तरह से फिट	i) दूरदृष्टि: 6/12, 6/18 चश्मे के साथ या बिना चश्मे के ii) निकट दृष्टि: एसएन: 0.6, 0.6 चश्मे के साथ या बिना जब पढ़ना या बारीकी का काम करना हो

#### टिप्पणी:

(ए) उपरोक्त चिकित्सा मानक सांकेतिक हैं और संपूर्ण नहीं हैं और सामान्य रूप से सभी उम्मीदवारों पर लागू होते हैं। अधिक विवरण के लिए, उम्मीदवारों को भारतीय रेलवे मेडिकल मैनुअल (आईआरएमएम) खंड-1 के अध्याय 5 को पढ़ने की सलाह दी जाती है। जिसे [www. Indianrailways.gov.in](http://www.Indianrailways.gov.in) पर देखा जा सकता है। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे पद के लिए निर्धारित चिकित्सा मानकों के अनुसार चिकित्सकीय रूप से फिट और पात्र हैं।

(बी) जिन उम्मीदवारों ने रिफ्राक्टरी त्रुटि (refractory error) को ठीक करने के लिए लेसिक (LASIK) सर्जरी या कोई अन्य सर्जिकल प्रक्रिया कराई है, वे उन पदों के लिए पात्र नहीं हैं जिनमें चिकित्सीय मानक ए 3 आवश्यक है।

(सी) भारतीय रेलवे मेडिकल मैनुअल (आईआरएमएम) खंड-1 के पैरा 534 में वर्णित अनुसार पूर्व सैनिकों के लिए मेडिकल मानक अलग-अलग हैं। जिसे [www. Indianrailways.gov.in](http://www.Indianrailways.gov.in) पर देखा जा सकता है।

(डी) भारतीय रेलवे चिकित्सा मैनुअल (Indian Railway Medical Manual - IRMM), खंड-1 के पैरा 511(7) में वर्णित दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूबीडी) हेतु चिकित्सीय मानकों का अवलोकन निम्नलिखित लिंक पर किया जा सकता है:

<https://indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/codesmanual/MMVol-I/Chapter5.pdf>

(ई) प्रतिकूल रिपोर्टों पर पुनर्विचार का प्रावधान :-

- (i) यदि किसी अभ्यर्थी को केवल चिकित्सीय उपयुक्तता (Medical Fitness) के आधार पर किसी वेतन स्तर (Pay Level) में कोई भी पद आवंटित नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे अभ्यर्थी को निर्धारित शुल्क के साथ पुनर्विचार हेतु चिकित्सीय अपील (Remedial Medical Appeal) प्रस्तुत करने का एक अवसर प्रदान किया जा सकता है। जो अभ्यर्थी निर्धारित समय-सीमा के भीतर चिकित्सीय अपील का विकल्प अपनाते हैं तथा जिनकी अपील सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर ली जाती है, उन्हें अपील चिकित्सीय परीक्षण (Appeal Medical Examination) के परिणाम को अंतिम एवं बाध्यकारी मानकर स्वीकार करना होगा। इसके पश्चात किसी भी प्रकार की अन्य चिकित्सीय अपील स्वीकार नहीं की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों द्वारा चिकित्सीय अपील का विकल्प नहीं अपनाया जाता है, उनके मामले में प्रारंभिक चिकित्सीय परीक्षण का परिणाम ही अंतिम माना जाएगा।
- (ii) यदि किसी अभ्यर्थी को किसी वेतन स्तर (Pay Level) में कोई भी पद आवंटित कर दिया जाता है, तो वह उसी वेतन स्तर के अंतर्गत किसी अन्य पद अथवा श्रेणी के लिए विचार किए जाने का अपना अधिकार खो देगा। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की आगे की चिकित्सीय अपील (Remedial Medical Appeal) स्वीकार नहीं की जाएगी।

**स्पष्टीकरण:** उदाहरणार्थ, तकनीशियन ग्रेड-III के अंतर्गत एक ही वेतन स्तर (जिसमें विभिन्न पदों के लिए अलग-अलग चिकित्सीय मानक, अर्थात् **ए3, बी1, बी2 तथा सी1**, निर्धारित हैं। यदि कोई अभ्यर्थी अपनी उच्च वरीयता वाले पदों के लिए चिकित्सीय रूप से अनुपयुक्त यानि मेडिकल अनफिट किन्तु उसी वेतन स्तर में किसी निम्न वरीयता वाले पद के लिए चिकित्सीय रूप से उपयुक्त यानी मेडिकल फिट पाया जाता है, तो पद आवंटन के समय उसकी मेरिट, पात्रता, तथा उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर उसे उस पद पर आवंटित किया जाएगा, जिसके लिए वह चिकित्सीय रूप से उपयुक्त या फिट है। ऐसे मामलों में भी किसी प्रकार की आगे की चिकित्सीय अपील (Remedial Medical Appeal) स्वीकार नहीं की जाएगी।

## 7.0 राष्ट्रीयता/ नागरिकता:

7.1. उम्मीदवार को निम्नलिखित में से किसी श्रेणी में होना चाहिए :

(ए) भारत का नागरिक, या

(बी) नेपाल का नागरिक, या

(सी) भूटान का विषय, या

(डी) भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, युगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया, ज़ाम्बिया, मलावी, ज़ायरे, इथियोपिया और वियतनाम से आया हो। .

(ई) बशर्ते कि उपरोक्त श्रेणियों (बी), (सी), (डी) और (ई) से संबंधित उम्मीदवार वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया गया हो।

7.2. जिस उम्मीदवार के मामले में पात्रता का प्रमाणपत्र आवश्यक है, उसे अनंतिम रूप से परीक्षा में शामिल किया जा सकता है। हालाँकि, भारत सरकार द्वारा जारी पात्रता प्रमाणपत्र दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उसकी उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी।

## 8.0 आयु सीमा:

पद	इस सीईएन के लिए लागू आयु (01.07.2026 को)
तकनीशियन ग्रेड- I (सिग्नल)	18 से 33 वर्ष
तकनीशियन ग्रेड-III	18 से 30 वर्ष

8.1. आयु में छूट -नीचे दी गई तालिका में निम्नलिखित श्रेणियों/समुदायों के लिए ऊपरी आयु सीमा/अधिकतम ऊपरी आयु में छूट अपेक्षित प्रमाणपत्र जमा करने पर लागू है :

**तालिका 1: तकनीशियन ग्रेड I सिग्नल के लिए (7 वें सी पीसी के तहत वेतन स्तर 5)  
(आयु समूह: 18- 33 वर्ष)**

क्रम संख्या	समुदाय/श्रेणी	ऊपरी आयु सीमा में छूट / अधिकतम ऊपरी आयु	
1	एस सी ( अनुसूचित जाति) एवं एस टी ( अनुसूचित जनजाति) उम्मीदवार	5 साल	
2	ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर)उम्मीदवार	3 साल	
3	भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी जिन्होंने सत्यापन के बाद कम से कम छह महीने की लगातार सेवा की हो	भूतपूर्व सैनिक (यूआर & ईडब्ल्यूएस)	3 वर्ष (आयु से सेवा की अवधि घटाने के बाद)
		भूतपूर्व सैनिक (ओबीसी- एनसीएल)	6 वर्ष (आयु से सेवा की अवधि घटाने के बाद)
		भूतपूर्व सैनिक (एससी और एसटी)	8 वर्ष (आयु से सेवा की अवधि घटाने के बाद)
4	बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी)	पीडब्ल्यूबीडी – यूआर & ईडब्ल्यूएस	10 वर्ष
		पीडब्ल्यूबीडी-ओबीसी ( एनसीएल)	13 वर्ष
		पीडब्ल्यूबीडी-एससी और एसटी	15 वर्ष
5	वे अभ्यर्थी जो रेलवे में ग्रुप सी और पूर्व ग्रुप डी में न्यूनतम 3 वर्ष से कार्यरत है या सब्सिट्यूट के रूप में निरंतर या खंडित अवधि (ब्रोकन स्पैल) में न्यूनतम 3 वर्ष तक रेलवे में कार्य कर चुके हैं।	यूआर & ईडब्ल्यूएस	40 साल की उम्र
		ओबीसी (एनसीएल)	43 साल की उम्र
		एससी और एसटी	45 साल की उम्र
6	अभ्यर्थी जो रेलवे संगठन के अर्ध-प्रशासनिक कार्यालयों जैसे रेलवे कैंटीन, सहकारी समितियों और संस्थानों में काम कर रहे हैं	प्रदान की गई सेवा की अवधि तक या 5 वर्ष, जो भी कम हो ।	
7	महिला उम्मीदवार, जो विधवा हैं, तलाकशुदा हैं या न्यायिक रूप से पति से अलग हैं लेकिन पुनर्विवाह नहीं किया है।	(यूआर एवं ईडब्ल्यूएस)	35 साल की उम्र
		ओबीसी (एनसीएल)	38 साल की उम्र
		एससी एवं एसटी	40 साल की उम्र

तालिका 2: तकनीशियन ग्रेड III के लिए (7वें सीपीसी के तहत वेतन स्तर 2)

(आयु समूह: 18- 30 वर्ष)

क्रम संख्या	समुदाय/श्रेणी	ऊपरी आयु सीमा में छूट / अधिकतम ऊपरी आयु	
1	एस सी ( अनुसूचित जाति) एवं एस टी ( अनुसूचित जनजाति) उम्मीदवार	5 साल	
2	ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) उम्मीदवार	3 साल	
3	भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने सत्यापन के बाद कम से कम छह महीने की लगातार सेवा की हो।	भूतपूर्व सैनिक (यूआर एवं ईडब्ल्यूएस)	3 वर्ष (आयु से सेवा की अवधि घटाने के बाद)
		भूतपूर्व सैनिक (ओबीसी -एनसीएल)	6 वर्ष (आयु से सेवा की अवधि घटाने के बाद)
		भूतपूर्व सैनिक (एससी और एसटी)	8 वर्ष (आयु से सेवा की अवधि घटाने के बाद)
4	बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी)	पीडब्ल्यूबीडी – यूआर एवं ईडब्ल्यूएस	10 वर्ष
		पीडब्ल्यूबीडी-ओबीसी (एनसीएल)	13 वर्ष
		पीडब्ल्यूबीडी-(एससी और एसटी )	15 वर्ष
5	वे अभ्यर्थी जो रेलवे में ग्रुप सी और पूर्व ग्रुप डी में न्यूनतम 3 वर्ष से कार्यरत है या सब्सिट्यूट के रूप में निरंतर या खंडित अवधि (ब्रोकन स्पैल) में न्यूनतम 3 वर्ष तक रेलवे में कार्य कर चुके हैं।	(यूआर & ईडब्ल्यूएस)	40 साल की उम्र
		ओबीसी (एनसीएल)	43 साल की उम्र
		एससी और एसटी	45 साल की उम्र
6	उम्मीदवार जो रेलवे संगठन के अर्ध-प्रशासनिक कार्यालयों जैसे रेलवे कैंटीन, सहकारी समितियों और संस्थानों में काम कर रहे हैं	प्रदान की गई सेवा की अवधि तक या 5 वर्ष, जो भी कम हो।	
7	महिला उम्मीदवार, जो विधवा हैं, तलाकशुदा हैं या न्यायिक रूप से पति से अलग हैं लेकिन पुनर्विवाह नहीं किया है।	(यूआर & ईडब्ल्यूएस)	35 साल की उम्र
		ओबीसी (एनसीएल)	38 साल की उम्र
		एससी और एसटी	40 साल की उम्र
8	कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिस जो उस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं जिसके लिए न्यूनतम योग्यता आईटीआई/कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप है।	प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के तहत उनके द्वारा किए गए प्रशिक्षु प्रशिक्षण की सीमा तक छूट दी जाएगी। (अधिकतम 3 वर्ष)	
9	कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिस जिन्होंने 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले, प्रशिक्षुता अधिनियम के तहत अपनी प्रशिक्षुता शुरू कर दी है।	(यूआर एवं ईडब्ल्यूएस)	35 साल की उम्र
		ओबीसी (एनसीएल)	38 साल की उम्र
		एससी एवं एसटी	40 साल की उम्र

**8.2. उम्मीदवारों की जन्म तिथि नीचे दी गई तिथियों के बीच होनी चाहिए: (दोनों तिथियां सम्मिलित)**

आयु वर्ग (वर्षों में)	जन्मतिथि (इससे पहले नहीं)			जन्म तिथि (इससे बाद नहीं)
	(यूआर एवं ईडब्ल्यूएस)	ओबीसी (एनसीएल)	एससी एवं एसटी	सभी उम्मीदवार
18 - 33	02.07.1993	02.07.1990	02.07.1988	01.07.2008
18 - 30	02.07.1996	02.07.1993	02.07.1991	01.07.2008

i) यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक आधार पर आयु में छूट के लिए पात्र है, तो उसे उन सभी छूटों में से अधिकतम छूट मिलेगी जिसके लिए वह पात्र है (संचयी नहीं)।

ii) यूआर रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले एससी, एसटी और ओबीसी (एनसीएल) उम्मीदवारों को आयु में कोई छूट नहीं मिलेगी।

iii) यूआर रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को केवल पीडब्ल्यूबीडी (यूआर) के लिए लागू आयु में छूटप्रदान की जाएगी—उपयुक्तता की शर्तों के अधीन।

iv) पीडब्ल्यूबीडी और भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों को आयु में छूट उपरोक्त पैरा 8.1 के अनुसार दी जाएगी।

**8.3 महत्वपूर्ण:** उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि उनके आवेदन में भरी गई जन्मतिथि वही होनी चाहिए जो उनके मेट्रिकुलेशन / एसएसएलसी या समकक्ष प्रमाण पत्र में दर्ज है। जन्म तिथि में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए बाद में किया गया कोई अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। जन्मतिथि में कोई भी अंतर होने पर **उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।**

**9.0. शैक्षणिक योग्यताएं:**

(ए) कृपया प्रत्येक पद के लिए निर्धारित योग्यता के लिए अनुलग्नक -ए देखें।

(बी) ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि (29.07.2026) तक उम्मीदवारों के पास पहले से ही मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से सीईएन (CEN) में निर्धारित शैक्षिक/तकनीकी योग्यता होनी चाहिए।

(सी) निर्धारित शैक्षिक/तकनीकी योग्यता की अपनी अंतिम परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को **आवेदन नहीं करना चाहिए।**

(डी) वेतन स्तर -2 में तकनीशियनों के पद के लिए पाठ्यक्रम पूर्ण अधिनियम अप्रेंटिस/आईटीआई के बदले इंजीनियरिंग में डिप्लोमा/डिग्री स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो। कोर्स कम्प्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप (सीसीएए) के बदले में ग्रेजुएट एक्ट अप्रेंटिस स्वीकार नहीं किया जाएगा।

**ध्यान दें:** शैक्षिक/तकनीकी योग्यता प्रमाण-पत्रों यानि प्रोविजनल या नियमित प्रमाण-पत्रों में जारी करने की तारीख होनी चाहिए। यदि इन प्रमाण-पत्रों को जारी करने की तारीख अधिसूचना की अंतिम तारीख के बाद है, तो समेकित मार्कशीट ( Consolidated Marksheet ) के साथ अंतिम योग्यता परीक्षा की घोषणा की तिथि जमा करें या सभी सेमस्टर/वर्ष की व्यक्तिगत मार्कशीट (individual marksheet) के साथ प्रत्येक सेमस्टर / वर्ष के परिणामों की घोषणा की तिथि के साथ जमा करें। यदि इनमें से किसी भी प्रमाण-पत्र में तारीख उपलब्ध नहीं है, तो डीवी के समय बोर्ड/विश्वविद्यालय से परिणाम की घोषणा की तारीख दर्शाने वाला प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

**10.0. परीक्षा शुल्क:** उम्मीदवारों को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार अपने समुदाय /श्रेणी के अनुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा

क्रम संख्या	अभ्यर्थियों की श्रेणियाँ/समुदाय	शुल्क(Fee)
1	सभी उम्मीदवारों के लिए (क्रम संख्या 2 पर नीचे उल्लिखित श्रेणियों को छोड़कर)।, कंप्यूटर आधारित परीक्षा(सीबीटी) में उपस्थित होने पर, इस शुल्क में से रु.400/- ( लागू बैंक शुल्क की कटौती करके ) की राशि वापस कर दी जाएगी।	500/- रुपये
2	उन उम्मीदवारों के लिए जो एससी,एसटी, भूतपूर्व सैनिक,पीडब्ल्यूबीडी, महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक या आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) से संबंधित हैं। 250/- रुपये का यह शुल्क सीबीटी में उपस्थित होने पर, लागू बैंक शुल्कों की कटौती करके वापस कर दिया जाएगा। (उम्मीदवारों के लिए सावधानी: ईबीसी को ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए) ईबीसी प्रमाणपत्र को कुछ राज्य सरकारों द्वारा जारी किए जानेवाले अत्यंत पिछड़ा वर्ग ( Extremely Backward Class ) प्रमाण पत्र के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए।	250/- रुपये

**ध्यान दें:** 1) प्रत्येक वेतन स्तर के लिए लागू परीक्षा शुल्क का भुगतान भी अलग से करना आवश्यक है।  
2) केवल सीबीटी में भाग लेनेवाले उम्मीदवारों को ऊपर बताए अनुसार उनके परीक्षा शुल्क का रिफंड मिलेगा।

**\*महत्वपूर्ण नोट:** कृपया आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) श्रेणी के तहत रियायत का दावा करने से पहले इस सीईएन के पैराग्राफ 10.3 को ध्यान से पढ़ें। रियायती शुल्क चाहने वाले उम्मीदवार के पास आवेदन भरते समय एक वैध दस्तावेज होना चाहिए - यानी ईबीसी प्रमाण पत्र (अनुलग्नक - IIIA) या बीपीएल कार्ड या इज्जत एमएसटी या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जारी कोई भी प्रमाण पत्र। उन्हें ऑनलाइन आवेदन में प्रासंगिक विवरण दर्ज करना होगा और दस्तावेज सत्यापन (डीवी) के समय मूल रूप से इसे जमा करना होगा।

ईबीसी प्रमाण-पत्र (अनुलग्नक III ए), बीपीएल कार्ड या इज्जत एमएसटी अथवा केंद्र सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत जारी प्रमाणपत्र, यदि आवेदन की अंतिम तिथि अर्थात् 29.07.2026 के पश्चात जारी किए गए हों, तो स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

**जिन उम्मीदवारों द्वारा मान्य दस्तावेज—अर्थात् ईबीसी प्रमाणपत्र (अनुलग्नक III ए ), बीपीएलकार्ड, या इज्जत एमएसटी, अथवा इस सीईएन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को या उससे पूर्व किसी केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम द्वारा के तहत जारी प्रमाण-पत्र—प्रस्तुत नहीं किया जाता है, उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।**

#### 10.1. शुल्क भुगतान के तरीके:

- उम्मीदवारों द्वारा शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया जा सकता है। किसी अन्य माध्यम से शुल्क का भुगतान करने का कोई विकल्प नहीं होगा।
- केवल इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क भुगतान स्वीकार किया जाएगा। सभी लागू सेवा शुल्क उम्मीदवार द्वारा वहन किए जाएंगे।
- निर्धारित शुल्क के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। ऐसी अस्वीकृति के विरुद्ध किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

**10.2. अल्पसंख्यकों में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और ज़ोरोस्ट्रियन्स(पारसी) शामिल होंगे, जो ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि (29.07.2026) तक प्राप्त संशोधन/विलोपन/समावेशन, यदि कोई हो, के अधीन होंगे। अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा' के लिए शपथ पत्र: परीक्षा शुल्क की छूट का दावा करने वाले अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर डीवी के समय में अपने अल्पसंख्यक समुदाय का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र (अनुलग्नक IV के अनुसार) प्रस्तुत करना होगा, ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जा सकती है।**

**10.3. आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) के उम्मीदवार वे हैं जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 50,000 रुपये से कम है और वे रियायती शुल्क के लिए पात्र हैं (उपरोक्त पैरा 10.0 के अनुसार)। इसके लिए उनके पास होना चाहिए:**

ए) जारीकर्ता प्राधिकारी के लेटरहेड पर निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक III ए के अनुसार) में आवेदन की तिथि पर वैध आय प्रमाण पत्र। निम्नलिखित प्राधिकारी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के उद्देश्य से आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत हैं:

- (1) जिला मजिस्ट्रेट या कोई अन्य साजस्व अधिकारी जो तहसीलदार स्तर से नीचे न हो।
- (2) अपने स्वयं के निर्वाचन क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए लोकसभा के मौजूदा संसद सदस्य से
- (3) राज्यसभा के मौजूदा संसद सदस्य, जहां ये सांसद सामान्य रूप से रहते हैं, उस जिले के व्यक्तियों के लिए।
- (4) देश के किसी भी स्थान के व्यक्तियों के लिए, केंद्रीय मंत्री से।

(या)

बी) बीपीएल कार्ड या किसी मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी कोई अन्य प्रमाणपत्र

(या)

सी) रेलवे द्वारा जारी इज्जत एमएसटी (Izzat MST)

सभी ईबीसी उम्मीदवार जो रियायती शुल्क चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन में वैध ईबीसी प्रमाणपत्र/बीपीएलकार्ड/इज्जत एमएसटी के उचित विवरण भरने चाहिए और डीवी के समय इसे मूल रूप में भी जमा करना होगा, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी जाएगी।

**ध्यान दें(नोट): आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) एक ही नहीं बल्कि तीन अलग-अलग श्रेणियां हैं। इस अनुच्छेद के तहत परिभाषित आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) का उम्मीदवार केवल शुल्क में छूट का हकदार है, नौकरी में आरक्षण का नहीं।**

**10.4. परीक्षा शुल्क की वापसी (सीबीटी में भाग लेने वालों के लिए):**

(ए) जहाँ लागू हो, परीक्षा शुल्क की वापसी (लागू बैंक प्रभारों की कटौती के उपरांत) केवल अभ्यर्थी के आधार संख्या से जुड़े बैंक खाते में ही की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों को अपनी आधार संख्या का सत्यापन कराना होगा। सत्यापन सफल होने पर, आधार से पहले से जुड़ा बैंक खाता पुष्टि हेतु स्वतः प्रदर्शित होगा, जिसका उपयोग परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए उपयोग किया जाएगा। यदि आधार से जुड़ा कोई बैंक खाता उपलब्ध नहीं पाया जाता है, तो अभ्यर्थी को एनपीसीआई (NPCI) पोर्टल पर वास्तविक समय (रियल टाइम) में आधार-बैंक खाता लिंक करने हेतु पुनर्निर्देशित किया जाएगा। लिंकिंग

की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अभ्यर्थी पुनः आवेदन पृष्ठ पर वापस आएगा, जहाँ वह शेष आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकेगा। जिन अभ्यर्थियों का अपना बैंक खाता नहीं है, वे उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने परिवार के किसी सदस्य के आधार से जुड़े बैंक खाते का विवरण उपलब्ध करा सकते हैं।

(बी) जिन अभ्यर्थियों का आवेदन अपूर्ण है, जिन्होंने अपना आवेदन अंतिम रूप से जमा नहीं किया है अथवा जिनका आवेदन निरस्त कर दिया गया है, उनके द्वारा जमा किया गया परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

(सी) वैध एवं आधार से जुड़े चालू बैंक खाते के साथ लिंक सुनिश्चित करने की संपूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। गलत, अमान्य अथवा गैर-संचालित बैंक खाते के लिंक के कारण उत्पन्न किसी भी पत्राचार अथवा दावे पर रेल भर्ती बोर्ड द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा।

(डी) जिन मामलों में आवेदन निरस्त कर दिया गया हो अथवा अभ्यर्थी द्वारा लिंक किया गया आधार से जुड़ा बैंक खाता गैर-संचालित पाया गया हो, ऐसे मामलों में परीक्षा शुल्क की वापसी स्वीकार्य नहीं होगी।

#### 11.0. वर्टिकल आरक्षण:

11.1. यह के.रो.अधि.(सीईएन)आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस-EWS), अनुसूचित जाति (एससी-SC), अनुसूचित जनजाति (एसटी-ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमीलेयर) (ओबीसी-एनसीएल) के लिए मौजूदा नियमों के तहत जहां भी लागू और स्वीकार्य हो और जैसा कि इंडेंटिंग रेलवे द्वारा सूचित किया गया है, वर्टिकल आरक्षण प्रदान करता है। (रिक्ति तालिका -अनुलग्नक बी में विवरण देखें।)

#### नोट:

ए) आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) एक समान नहीं हैं, बल्कि तीन अलग-अलग श्रेणियां हैं।

बी) ईडब्ल्यूएस और ओबीसी-एनसीएल उम्मीदवार जहां भी लागू और स्वीकार्य हैं, नौकरी में आरक्षण के लिए पात्र हैं।

सी) आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) उम्मीदवार (उपर्युक्त पैरा 10.3 के तहत परिभाषित) नौकरी में आरक्षण के हकदार नहीं हैं।

11.2. सभी उम्मीदवारों, चाहे वे किसी भी समुदाय से संबंधित हों, को सामान्य अर्थात् अनारक्षित (यूआर) रिक्तियों के लिए विचार किया जाएगा (यूआर के लिए आवश्यक पात्रता शर्तों की पूर्ति के अधीन)। तथापि, विशिष्ट समूहों (जैसे एससी, एसटी, ओबीसी-एनसीएल एवं ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षित रिक्तियाँ केवल उसी समुदाय श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों द्वारा ही भरी जाएंगी। केवल वे ही समुदाय, जिन्हें भारत सरकार द्वारा एससी, एसटी तथा ओबीसी (गैर क्रीमी - लेयर) के रूप में मान्यता प्राप्त है, आरक्षण के लिए पात्र होंगे।

11.3. आरक्षण का लाभ उठाने के लिए, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और ओबीसी-एनसीएल उम्मीदवारों को डीवी के दौरान आवश्यक प्रमाणपत्र (मूल रूप में) प्रस्तुत करना होगा। प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अनुलग्नक-I (एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए), अनुलग्नक-II (ओबीसी-एनसीएल उम्मीदवारों के लिए) और अनुलग्नक-III (ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए) में दिए गए प्रारूप के अनुसार जारी किए जाने चाहिए।

11.4. "क्रीमी लेयर" में आनेवाले ओबीसी उम्मीदवार ओबीसी आरक्षण के हकदार नहीं हैं।

- 11.5.** “ओबीसी श्रेणी”के तहत आरक्षण का दावा करनेवाले ओबीसी उम्मीदवार को निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक-II) में ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर) प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, जो 01 अप्रैल, 2026 को या उसके बाद जारी किया गया हो, लेकिन इस सीईएन के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का नहीं होना चाहिए। प्रमाणपत्र संख्या, जारी करने की तिथि और प्रमाणपत्र में उल्लिखित जाति ऑनलाइन आवेदन में प्रदान की जानी चाहिए। ओबीसी उम्मीदवार की जाति ओबीसी की वर्तमान अद्यतित केंद्रीय सूची (<http://www.ncbc.nic.in>) में सूचीबद्ध होनी चाहिए। दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) के दौरान, आरक्षण का दावा करने वाले ओबीसी उम्मीदवार को ऊपर दिए अनुसार ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा तथा अनुलग्नक II एमें दिए गए प्रारूप के अनुसार एक स्व-घोषणा भी देनी होगी, जिसमें यह उल्लेख हो कि वे “आवेदन की अंतिम तिथि को क्रीमी लेयर में शामिल नहीं हैं।” ऐसा न करने पर उनके (ओबीसी –एनसीएल के रूप में) आरक्षण के दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा उन्हें अनारक्षित (यूआर) उम्मीदवार के रूप में माना जा सकता है, बशर्ते वे यूआर के लिए निर्धारित आवश्यक पात्रता शर्तों को पूरा करते हों।
- 11.6.** ओबीसी उम्मीदवारों के जाति प्रमाणपत्र में विशेष रूप से यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि ( क्रीमी लेयर -गैर ) “ यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह व्यक्ति भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08/09/1993 के कार्यालय ज्ञापन सं .36012/22/93-स्था (एससीटी).तथा भारत सरकार के डीओपीटी के दिनांक 13/09/2017 के संशोधित कार्यालय ज्ञापन सं .36033/1/2013-स्था (आरईएस).द्वारा संशोधित, भारत सरकार की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों / वर्गों (क्रीमी लेयर) में शामिल नहीं है।” यदि कोई संशोधन हो तो, \*(इस सीईएन के तहत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्राप्त किया जाएगा।)
- 11.7.** कृपया ध्यान दें: अन्य पिछड़ा वर्ग,जो राज्यसूची में मौजूद है, लेकिन ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल नहीं है (<http://www.ncbc.nic.in> पर नवीनतम सूची के अनुसार ), वैसे वर्ग ओबीसी आरक्षण का दावा करने के लिए पात्र नहीं हैं।
- 11.8.** माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में : सुप्रीम कोर्ट डब्ल्यूपी (सी) 1052/2021 सुनील कुमार राय और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य के बीच, दिनांक 21.02.2022 के निर्णय, वे उम्मीदवार जो (ए) मूल रूप से लोहार/लोहारा/लोहरा जाति के हैं, और (बी) बिहार राज्य का है या केवल बिहार राज्य से अस्थायी/स्थायी रूप से अन्य राज्यों में चले गए हैं, उन्हें अपनी नवीनतम जाति (जो (ए) एसटी का दावा करने के लिए बिहार सरकार के फॉर्म-II के संदर्भ में सीईएन के अनुलग्नक-I के अनुसार है या (बी) ओबीसी-एनसीएल का दावा करने के लिए बिहार सरकार के फॉर्म- VIIए के संदर्भ में सीईएन के अनुलग्नक-II के अनुसार है) जमा करनी चाहिए जो 01.04.2023 के बाद ही जारी की गई हो और साथ ही यह आवेदन पत्र में उल्लिखित एसटी/ओबीसी-एनसीएल के रूप में उनके दावे को प्रमाणित करने के लिए दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख पर मान्य होनी चाहिए ।
- 11.9.** डॉ भीमराव अंबेडकर विचार मंच, बिहार, पटना और बिहार राज्य और अन्य के बीच सुप्रीम कोर्ट सिविल अपील संख्या 18802/2017 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में, दिनांक 15.07.2024 का निर्णय, जिन उम्मीदवारों के पास माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से पहले जारी एसटी/एससी का समुदाय प्रमाण पत्र है और साथ ही (ए) मूल रूप से पैन/पैनआर/सवासी/तांती-ततवा (तांती-ततवा) जाति के हैं, और (बी) बिहार राज्य के हैं या केवल बिहार राज्य से अस्थायी/स्थायी रूप से अन्य राज्यों में चले गए हैं, उन्हें नवीनतम जाति प्रमाण पत्र का विवरण अपलोड करना चाहिए जो 01.09.2024 को या उसके बाद जारी किया गया हो, जिसमें उनके समुदाय और जाति को संशोधित/जोड़ दिया गया हो. उनके समुदाय और जाति/जनजाति को उनकी संशोधित जाति/समुदाय के अनुसार भर्ती के लिए विचार किया जाएगा, इन

उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय दि.01.09.2024 को या उसके बाद लिया गया नया जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से लाना होगा, अन्यथा, उनकी उम्मीदवारी को अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा।

- 11.10. महत्वपूर्ण:** किसी उम्मीदवार की ऑनलाइन आवेदन में घोषित समुदाय या श्रेणी की स्थिति ही आरक्षण लाभ के लिए उसकी पात्रता निर्धारित बाद में करेगी। किसी भी कारण से समुदाय स्थिति में किया गया कोई भी बाद का परिवर्तन इस भर्ती प्रक्रिया के लिए मान्यता प्राप्त नहीं होगा।
- 11.11.** यह सुनिश्चित करना उम्मीदवार की जिम्मेदारी है कि वे जिस आरक्षण का दावा कर रहे हैं, उसके लिए वे पात्र हैं। उनकी उम्मीदवारी तब तक अनंतिम रहेगी जब तक (प्रोविजनल) प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रामाणिकता नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं कर ली जाती।
- 11.12.** अभ्यर्थियों को सावधान किया जाता है कि यदि किसी भी चरण में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की स्थिति के संबंध में कोई कपटपूर्ण दावा अथवा किसी अन्य आरक्षण/रियायत/लाभ का दुरुपयोग पाया जाता है, तो उनकी अभ्यर्थिता अथवा नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जाएगी। ऐसे मामलों में अभ्यर्थी को सभी आरआरबी एवं आरआरसी द्वारा आयोजित परीक्षाओं से स्थायी रूप से वंचित या डीबार किया जा सकता है तथा उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई भी की जा सकती है।

**11.13. ईडब्ल्यूएस (EWS) (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) आरक्षण:**

एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल के लिए आरक्षण योजना के अंतर्गत शामिल नहीं होने वाले तथा जिनकी पारिवारिक सकल वार्षिक आय ₹8 लाख (आठ लाख रुपये) से कम है, ऐसे उम्मीदवारों को ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लाभ हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के रूप में पहचाना जाएगा। आय में आवेदन के वर्ष से पूर्व वित्तीय वर्ष की सभी स्रोतों से प्राप्त आय शामिल होगी, अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि सभी आय स्रोत। **इस सीईएन संख्या 02/2026 के लिए, चूंकि आवेदन की अंतिम तिथि 29.07.2026 है, इसलिए वित्तीय वर्ष 2025-26 माना जाएगा।** साथ ही, जिन उम्मीदवारों के परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति है, उन्हें पारिवारिक आय की परवाह किए बिना ईडब्ल्यूएस के रूप में चिन्हित नहीं किया जाएगा :

- (i) 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि;
- (ii) 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
- (iii) अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
- (iv) अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति स्वामित्व परीक्षण लागू करते समय एक परिवार द्वारा विभिन्न स्थानों या विभिन्न स्थानों/शहरों में रखी गई संपत्ति को जोड़ा जाएगा। इस उद्देश्य के लिए "परिवार" शब्द में वह व्यक्ति शामिल होगा जो आरक्षण का लाभ प्राप्त करना चाहता है, उसके माता-पिता, 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन, तथा उसका/उसकी पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे।

ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर ही प्राप्त किया जा सकता है। अनुलग्नक III में दिए गए निर्धारित प्रारूप में निम्नलिखित में से किसी एक प्राधिकारी द्वारा जारी आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र ही उम्मीदवार के ईडब्ल्यूएस वर्ग से संबंधित होने के दावे के रूप में स्वीकार किया जाएगा:

- 11.13.1 जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/क्लेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडियरी मजिस्ट्रेट/उप-मंडल मजिस्ट्रेट( सब-डिविशनल मजिस्ट्रेट) /तालुक मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त।
- 11.13.2 मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
- 11.13.3 राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो।
- 11.13.4 उस क्षेत्र का उप-मंडल अधिकारी जहाँ उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्यतः निवास करता है।

ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास इस सीईएन के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक वैध आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है। तदनुसार, उन्हें ऑनलाइन आवेदन में प्रमाणपत्र संख्या, प्रमाणपत्र जारी होने की तिथि, जारी करने वाले प्राधिकारी, जारी करने वाला जिला तथा राज्य का विवरण भरना होगा। इसके अतिरिक्त, ऐसे उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान वैध आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक होगा। इन शर्तों का पालन न करने की स्थिति में ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आरक्षित श्रेणी का उनका दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी/आवेदन, यदि वे सामान्य (यूआर) श्रेणी की सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, तो केवल सामान्य (यूआर) रिक्तियों के अंतर्गत विचार किया जाएगा।

## 12.0 होरिज़ॉन्टल आरक्षण:

- 12.1 यह सीईएन भूतपूर्व सैनिकों और दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए, उनकी सामाजिक समुदाय (सोशियल कम्युनिटी) की परवाह किए बिना, होरिज़ॉन्टल क्षैतिज आरक्षण भी प्रदान करता है।
- 12.2 रिक्ति तालिका में दिखाई गई कुल रिक्तियों में भूतपूर्व सैनिकों एवं पीडब्ल्यूबीडी के लिए आरक्षित रिक्तियां भी शामिल हैं। हालाँकि, पीडब्ल्यूबीडी के लिए जो रिक्तियां अलग से बैकलॉग रिक्तियों के रूप में दिखाई गई हैं (बिना किसी समुदाय संकेत के ये पूर्व की लंबित बैक लॉग रिक्तियाँ हैं और इस सीईएन में दर्शाई गई नियमित सामुदायिक रिक्तियों में शामिल नहीं हैं।
- 12.3 भूतपूर्व सैनिक उनके लिए विशेष रूप से आरक्षित रिक्तियों के लिए पात्र हैं। यदि किसी पद के लिए भूतपूर्व सैनिकों हेतु कोई रिक्ति आरक्षित नहीं है, तब भी वे सामान्य (अनारक्षित) रिक्तियों के आवेदन कर सकते हैं। ऐसे मामलों में उन्हें भूतपूर्व सैनिकों के लिए लागू आयु-सीमा में छूट तथा परीक्षा शुल्क से छूट का लाभ यथावत प्राप्त होगा।
- 12.4 इसी प्रकार, दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूबीडी) भी किसी पद के लिए नियमित रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन कर सकते हैं, भले ही उस पद के लिए उनके लिए कोई रिक्ति विशेष रूप से आरक्षित न हो, बशर्ते कि वह पद उनकी दिव्यांगता के लिए उपयुक्त हो। ऐसे मामलों में उन्हें दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए लागू आयु-सीमा में छूट तथा परीक्षा शुल्क से छूट का लाभ यथावत प्राप्त होगा।
- 12.5 यदि दिव्यांगता की उस श्रेणी के अंतर्गत उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से पीडब्ल्यूबीडी के लिए आरक्षित रिक्तियां नहीं भरी जा सकती हैं, तो ऐसी रिक्तियां नहीं भरी जाएंगी और उन्हें इस अधिसूचना के लिए कमी के रूप में माना जाएगा।
- 12.6 **नोट:** हालाँकि, इस सीईएन में दर्शाई गई बैकलॉग रिक्तियों के लिए, यदि किसी विशिष्ट विकलांगता वाले पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों (जिन के लिए बैकलॉग रिक्तियां निर्धारित हैं) उपलब्ध नहीं हैं, तो इन्हें अन्य दिव्यांगता वाले पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों द्वारा भरा जा सकता है, जिन के लिए पद उपयुक्त है। इसके बाद, किसी भी दिव्यांगता वाले पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार (जिस के लिए पद उपयुक्त के रूप में पहचाना गया है) की अनुपलब्धता के मामले में, ऐसे रिक्त बैकलॉग रिक्तियों को मेरिट क्रम के अनुसार नियमित (गैर-पीडब्ल्यूबीडी) उम्मीदवारों द्वारा भरा जाएगा।

### 13.0 भूतपूर्व सैनिक (एक्स सर्वोसमेन):

13.1 भूतपूर्व सैनिक शब्द का अर्थ वह व्यक्ति है जिसने भारतीय संघ की नियमित सेना, नौ सेना या वायु सेना में किसी भी रैंक (चाहे युद्धक या गैर-युद्धक के रूप में) में सेवा की हो, लेकिन इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है जिसने डिफेन्स सेक्यूरिटी कोर्पस (Defence Security Corps.), जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स ( General Reserve Engineering Force) , लोक सहायक सेना (LokSahayak Sena ) एवं पैरा मिलिटरी फोर्स (ParaMilitaryForces)में सेवा की हो।

और

- (ए) जो या तो ऐसी सेवा से सेवा निवृत्त, ऐसी सेवा से कार्यमुक्त हो गया है या सेवामुक्त हो चुका हो, चाहे वह उसके स्वयं के अनुरोध पर हुआ हो अथवा पेंशन अर्जित करने के पश्चात नियोक्ता द्वारा कार्यमुक्त किया गया हो; (या)
- (बी) जिसे ऐसी सेवा से उसके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण अथवा सैनिक सेवा से संबंधित चिकित्सकीय आधार पर कार्यमुक्त किया गया हो तथा जिसे चिकित्सा या अन्य दिव्यांगता पेंशन प्रदान की गई हो; (या)
- (सी) जिसे स्थापना में कमी के परिणाम स्वरूप ऐसी सेवा से मुक्त कर दिया गया है; (या)
- (डी) जिसे सेवाकार्य की विशिष्ट अवधि पूरी करने के बाद, अपने स्वयं के अनुरोध पर, या कदाचार या अक्षमता के कारण बर्खास्तगी, तथा उपदान (ग्रेच्युटी) प्रदान की गई हो; और इसमें प्रादेशिक सेना (टेरिटोरियल आर्मी) के कार्मिक शामिल हैं, अर्थात्, वे पेंशनधारी जिन्होंने निरंतर सक्रिय सेवा ( एमबोडीड सर्वोसमेन) या खंडित अर्हक सेवा के आधार पर पेंशन प्राप्त की हो।
- (ई) सेना डाक सेवा (आर्मी पोस्टल सर्वोसमेन) के वे कार्मिक जो नियमित सेना का हिस्सा हैं और पेंशन सहित अपने मूल सेवा में प्रत्यावर्तन (रिवरशन) किए बिना सेना डाक सेवा से सेवानिवृत्त हुए, या जिन्हें सैनिक सेवा से संबंधित या सैन्य सेवा से उग्र(बड़े हुए) चिकित्सकीय आधारों के कारण या उनके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण सेना डाक सेवा से कार्यमुक्त किया गया हो तथा जिन्हें चिकित्सा या अन्य दिव्यांगता पेंशन प्रदान की गई हो;
- (या)
- (एफ) कार्मिक जो 14 अप्रैल 1987 से पहले छह महीने से अधिक समय तक सेना डाक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर थे; (या)
- (जी) प्रादेशिक सेना के कर्मियों सहित सशस्त्रबलों के शौर्य पुरस्कार विजेता ; (या)
- (एच) भूतपूर्व भर्ती (एक्स रिजर्व) जिन्हें चिकित्सकीय आधार पर सेवा से बाहर कर दिया गया हो या कार्यमुक्त कर दिया गया हो तथा जिन्हें दिनांक 01.02.2006 से चिकित्सा दिव्यांगता पेंशन प्रदान की गई।

13.2.संघ के सशस्त्र बलों में सेवारत व्यक्ति, जो सेवा से सेवानिवृत्त होने पर पूर्व सैनिक की श्रेणी में आएंगे, नियुक्ति की विशिष्ट शर्तों के पूरा होने से एक वर्ष पूर्व पुनः रोजगार के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। तथा पूर्व सैनिकों को उपलब्ध सभी रियायतों का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को तब तक वर्दी छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि वे संघ के सशस्त्र बलों में नियुक्ति की विशिष्ट शर्तों को पूरा नहीं कर लेते। तदनुसार, ऐसे सेवारत रक्षा कार्मिक जो इस सीईएन के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख से एक वर्ष के भीतर सेवामुक्त हो गए हैं, वे भी पूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित रिक्तियों तथा उनके लिए आरक्षित न किए गए पदों दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख से भर्ती प्रक्रिया में एक वर्ष से अधिक समय लगता है, तो उम्मीदवार को केवल इस आधार पर पूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा कि वह स्वयं इस सीईएन के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख से एक वर्ष के बाद सशस्त्र बलों से सेवामुक्त हुआ है, अर्थात्, उसे दस्तावेज सत्यापन की तारीख तक विचार किया जा सकता है, जिसके लिए उसे शॉर्टलिस्ट किया गया है। हालांकि, उनके पास इस सीईएन के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए।

13.3.सशस्त्र सेवा कार्मिक जो आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख पर सशस्त्र बलों में सेवारत हैं, उन्हें अनुलग्नक VI (ए) के अनुसार "सेवा से छुट्टी की संभावित तारीख के साथ रोजगार प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना होगा जो ऑनलाइन आवेदन जमा करने

की अंतिम तारीख तक वैध है। इसके अलावा, दस्तावेज़ सत्यापन के समय पूर्व सैनिक आरक्षण लाभों का दावा करने के लिए अनुलग्नक VI के अनुसार उपक्रम की स्व-घोषणा प्रस्तुत की जानी चाहिए।

13.4. पूर्व सैनिकों उम्मीदवार जो पहले से ही केंद्र सरकार के तहत ग्रुप 'सी/पूर्व ग्रुप'डी' (पीएसयू, स्वायत्त निकाय/सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक आदि सहित (Group 'C/ erstwhile Group 'D' (PSUs, Autonomous Bodies/Statutory Bodies, Nationalized Banks, etc.) में कार्यरत हैं, जिन्होंने पूर्व सैनिकों को दिए गए लाभों का लाभ उठाने के बाद, वे केवल केंद्र सरकार के तहत ग्रुप 'सी/ पूर्ववर्ती ग्रुप 'डी' में उच्च ग्रेड या कैडर में एक और नागरिक रोजगार( सिविल ) हासिल करने के लिए पूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आयु में छूट का लाभ दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों को केंद्र सरकार की नौकरियों में भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित रिक्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा, सिवाय उन मामलों के जो नीचे 13.5 में उल्लिखित हैं।

13.5. यदि कोई भूतपूर्व सैनिक किसी सिविल सेवा में नियुक्ति ग्रहण करने से पूर्व विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन करता है, तो वह बाद की किसी नियुक्ति में भी भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने का पात्र होगा, बशर्ते कि सिविल सेवा में नियुक्ति ग्रहण करते ही वह संबंधित नियोक्ता को इस केंद्रीयकृत रोजगार सूचना (CEN) के अंतर्गत, प्रारंभिक सिविल सेवा में नियुक्ति से पूर्व किए गए अपने आवेदन का विवरण स्व-घोषणा/प्रतिज्ञा-पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराए। दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) के समय उक्त स्व-घोषणा/प्रतिज्ञा-पत्र की प्राप्ति-स्वीकृत प्रति तथा सिविल नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।

इसके अतिरिक्त, यह लाभ केवल उन रिक्तियों के संबंध में उपलब्ध होगा जो सीधी भर्ती के माध्यम से भरी जाती हैं तथा जहाँ भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण लागू है।

13.6. पूर्व सैनिक का मेडिकल मानक भारतीय रेलवे मेडिकल मैनुअल (आईआरएमएम) जिल्ड I के पैरा 534 के अनुसार होगा, जिसे [www.Indianrailways.gov.in](http://www.Indianrailways.gov.in) पर देखा जा सकता है।

#### 14.0 मानक(बेंचमार्क) दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी)

14.1 किसी पद की बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए उपयुक्तता या अनुपयुक्तता प्रत्येक पद के सामने "बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता" कॉलम में, पद पैरामीटर तालिका (अनुलग्नक ए) में उप-दिव्यांगता के विवरण सहित दर्शाई गई है।

बेंचमार्क दिव्यांगता :- दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के अधिनियम, 2016 (आरपीडब्ल्यूडी) के अनुसार (दिनांक 19.04.2017 से लागू) मानक दिव्यांगता निम्नानुसार हैं :-

14.1.1 नेत्रहीन/अंधता और निम्न दृष्टि(वीआई);

14.1.2 बधिर और सुनने में दिक्कत(एचआई);

14.1.3 लोकोमोटर अक्षमता (एलडी) जिसमें मस्तिष्क पक्षाघात (सेरिब्रल पाल्सी), कुष्ठ रोग से स्वस्थ हुए, बौनापन, ऐसीड हमले से पीड़ित और मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी शामिल हैं;

14.1.4 ऑटिज़म, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट सीखने की अक्षमता और मानसिक बीमारी;

14.1.5 खंड (a) से (d) के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों में से बहु-दिव्यांगता जिसमें बधिर-अंधता भी शामिल है, उन पदों के लिए जिनकी प्रत्येक दिव्यांगता के लिए पहचान की गई है (एमडी)।

**14.2 विनिर्दिष्ट दिव्यांगताओं की परिभाषा:** -दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD Act, 2016) की अनुसूची में प्रदत्त विनिर्दिष्ट दिव्यांगताओं की परिभाषाएँ निम्नानुसार हैं:

**1. शारीरिक अक्षमता: -**

A. **लोकोमोटर अक्षमता** अर्थात किसी व्यक्ति की स्वयं या वस्तुओं की गति से संबंधित विशिष्ट गतिविधियाँ करने में असमर्थता, जो मस्कुलोस्केलेटल (हड्डी-मांसपेशी तंत्र) या तंत्रिका तंत्र अथवा दोनों के प्रभावित होने के कारण होती है), जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं—

(ए) **“कुष्ठ रोग से स्वस्थ व्यक्ति”** - अर्थात जो कुष्ठ रोग से स्वस्थ हुआ है, परंतु निम्नलिखित से पीड़ित है: -

(i) हाथों या पैरों में संवेदना की हानि तथा आँख और पलक में संवेदना की हानि एवं पक्षाघात, किन्तु कोई प्रत्यक्ष विकृति नहीं;

(ii) स्पष्ट विकृति और पक्षाघात, परंतु उनके हाथों और पैर में पर्याप्त गतिशीलता है, जिससे वह सामान्य गतिविधि करने में योग्य हों;

(iii) अत्यंत शारीरिक विकृति के साथ अत्याधिक आयु, जो उन्हें किसी लाभदायक व्यवसाय करने से रोके और “कुष्ठ रोगमुक्त व्यक्ति” पद का तदनुसार अर्थ समझा जाएगा।

(बी) **“सेरिब्रल पाल्सी”** का अर्थ ऐसी गैर- प्रगतिशील तंत्रिका संबंधी अवस्थाओं के समूह से है, जो शरीर की गतियों तथा मांसपेशियों के समन्वय को प्रभावित करती हैं और जो मस्तिष्क के एक या अधिक विशिष्ट भागों को हुई क्षति के कारण उत्पन्न होती हैं, जो सामान्यतः जन्म से पूर्व, जन्म के दौरान अथवा जन्म के तुरंत बाद होती हैं;

(सी) **“बौनापन”**-अर्थात वह चिकित्सकीय या जेनेटिक स्थिति, जिसके परिणाम स्वरूप वयस्क की ऊँचाई 4 फीट 10 ईंच (147 सेंटीमीटर) या उससे कम होती है;

(डी) **“मसकुलार डिस्ट्रोफी”** - अर्थात वंशानुगत अनुवांशिक मांसपेशी बीमारी का समूह, जो मानव शरीर को संचालित करने वाली मांसपेशियों को कमजोर कर देता है, तथा बहुविध डिस्ट्रॉफी से ग्रस्त व्यक्तियों के जीनों में त्रुटिपूर्ण अथवा अनुपस्थित सूचना होती है, जो स्वस्थ मांसपेशी के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाने से रोकती है। प्रगतिशील अस्थि-पंजर/कंकालीय मांसपेशियों की कमजोरी, मांसपेशी प्रोटीन में खराबी और मांसपेशी की कोशिकाओं की मृत्यु और ऊतकों की मृत्यु इसके लक्षण हैं।

(ई) **“एसिड हमले का शिकार”** - अर्थात एसिड या उसी प्रकार की संक्षारक वस्तु फेंके जाने के हिंसक हमले के कारण विकृत व्यक्ति है।

(एफ) किसी संबद्ध न्यूयोरोजिकल/अंग संबंधी शिथिलता के बिना रीढ़ की हड्डी में विकृति (एसडी) और **रीढ़ की हड्डी में चोट (एसआई)**। किसी संबद्ध न्यूयोरोजिकल/अंग संबंधी शिथिलता के बिना एसडी/एसआई व्यक्तियों को लोकोमोटर अक्षमता के अंतर्गत सभी उप श्रेणी अक्षमता के लिए उपयुक्त माना जाएगा। संबंधित अंगों की शिथिलता सहित एसडी/एसआई ग्रस्त व्यक्तियों को, जैसा मामला हो, लोकोमोटर अक्षमता के उप श्रेणी जैसे ओए, ओएल, बीए, बीएल, ओएएल, बीएलओए, बीएलए के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।

**B) दृष्टि बाधिता-**

a) **“दृष्टि हीनता”** का अर्थ उस स्थिति से है, जिसमें सबसे अच्छे सुधार के बाद किसी व्यक्ति की स्थिति निम्न में से है-

(i) दृश्यता का पूर्णतः अभाव या

(ii) बेहतर आँख में सर्वोत्तम संभव सुधार के बाद दृष्टि तीक्ष्णता (विश्वल अक्विटि) 3/60 से कम या 10/200 (स्नेलन) से कम हो; या

(iii) दृष्टि क्षेत्र की सीमा का विस्तार 10 डिग्री से कम कोण पर होना।

b) **“कम दृश्यता”** का अर्थ उस स्थिति से है, जहाँ व्यक्ति की स्थिति निम्नानुसार होती है, जैसे:-

- (i) बेहतर आँख में सर्वोत्तम संभव सुधार के बाद दृष्टि तीक्ष्णता 6/18 से अधिक न हो या 20/60 से कम तथा 3/60 तक या 10/200 (स्नेलन) तक; या
- (ii) दृष्टि क्षेत्र की सीमा का विस्तार 40 डिग्री से 10 डिग्री कोण तक सीमित होना।

**C) श्रवण बाधिता—**

(ए) “बधिर”का अर्थ है, वह व्यक्ति जिसके दोनों कानों में वाक् आवृतियों पर 70 डीबी की श्रवण हानि हो;

(बी) “सुनने में दिक्कत” अर्थात वह व्यक्ति जिसके दोनों कानों में वाक् आवृतियों पर 60 डीबी से 70 डीबी तक श्रवण हानि हो

**D) ‘वाक् और भाषा “अक्षमता” का अर्थ एक स्थायी अक्षमता है, जिसमें लारिंजेक्टोमी या अफेसिय जैसी स्थिति द्वारा उत्पन्न होती है, जो कि जैविक या तंत्रिका संबंधी कारणों से वाक् एवं भाषा के एक या एक से अधिक घटकों को प्रभावित करती है।**

**2. बौद्धिक अक्षमता का अर्थ उस स्थिति से है, जिसमें बौद्धिक कार्य (जैसे तर्क करना, सीखना, समस्या समाधान ) तथा अनुकूलनात्मक व्यवहार दोनों में महत्वपूर्ण सीमाएँ होती हैं। अनुकूलनात्मक व्यवहार में दैनिक जीवन से संबंधित, सामाजिक तथा व्यावहारिक कौशलों की एक श्रृंखला शामिल होती है, इनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं-**

(a) “विशिष्ट सीखने की अक्षमता” अर्थात विभिन्न प्रकार की विषम परिस्थितियों के समूह से है, जिनमें भाषा (मौखिक या लिखित) के प्रसंस्करण में कमी होती है। यह कठिनाई समझने, बोलने, पढ़ने, लिखने, वर्तनी करने या गणितीय गणनाएँ करने में प्रकट हो सकती है। इसमें अवधारणात्मक अक्षमताएँ डिस्लेक्सिया ,डिस्ग्राफिया ,डिस्कैल्कुलिया ,डिस्प्रेक्सिया तथा विकासात्मक अफासिया (aphasia)जैसी स्थितियाँ शामिल होती हैं;

(b) “ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम विकार एक न्यूरोविकासात्मक स्थिति है-, जो सामान्यतः जीवन के पहले तीन वर्षों में प्रकट होती है जो व्यक्ति की संवाद क्षमता, रिश्तों को समझने और दूसरे संबंध बनाने की क्षमता गंभीर रूप से प्रभावित करती है, और प्रायः असामान्य या रुढ़िबद्ध अनुष्ठानों या व्यवहारों से जुड़ी होती है।

**3. मानसिक व्यवहार -“मानसिक बीमारी”** अर्थात सोच, मनोदशा , धारणा , अभिविन्यास या स्मृति शक्ति में ऐसे महत्वपूर्ण विकार से है, जो निर्णय क्षमता, व्यवहार, वास्तविकता को पहचानने की क्षमता या जीवन की सामान्य आवश्यकताओं को पूरा करने की योग्यता को गंभीर रूप से प्रभावित करता है।

इसमें मंदता शामिल नहीं है, जो किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का अधूरा विकास या अवरूद्ध होने की स्थिति है, विशेष रूप से बुद्धि की उप सामान्यता द्वारा चिह्नित है।

**4. अक्षमता उत्पन्न होने के कारण -**

(ए) क्रोणिक न्यूरोलॉजिकल स्थिति, जैसे-

- i) “मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक सूजनजन्य (inflammatory)तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग है, जिसमें मस्तिष्क और मेरुदंड की तंत्रिका कोशिकाओं के अक्षतंतुओं के चारों ओर स्थित मायलिन आवरण क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिससे

डिमायलिनेशन होता है तथा मस्तिष्क और मेरुदंड की तंत्रिका कोशिकाओं के बीच संवाद करने की क्षमता प्रभावित होती है।

- ii) **“पार्किंसन रोग”** तंत्रिका तंत्र का एक प्रगतिशील रोग है, जिसके लक्षण कंपन, मांसपेशियों की कठोरता तथा धीमी और असटीक या अनिश्चित गति से चिह्नित होता है। यह मुख्यतः मध्यम आयु और वृद्ध व्यक्तियों को प्रभावित करता है तथा मस्तिष्क के बेसल गैन्ग्लिया के अपक्षय और न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन की कमी से संबंधित होता है।

**(बी) रक्त विकार -**

i. **“हीमोफीलिया”** एक अनुवांशकीय बीमारी है, जो सामान्यतया पुरुषों में होती है, किंतु महिला से उनके पुरुष संतान को संचारित होता है।, जिसमें खून के थक्के बनने की क्षमता में कमी या नुकसान होता है, जिससे छोटे घाव में भी घातक रक्तस्राव होता है;

ii. **“थैलेसीमिया”** एक ऐसा अनुवांशकीय विकारों का एक समूह है, जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी या अनुपस्थिति के लक्षण पाए जाते हैं।

iii. **“सिकल सेल रोग”** एक हीमोलिटिक विकार है, जो क्रोणिक अनीमिया दर्दनाक घटनाओं तथा ऊतकों और अवयवों को होने वाले नुकसान से संबंधित विभिन्न जटिलताओं द्वारा चिह्नित होता है। “हीमोलिटिक” से आशय लाल रक्त कणिकाओं की कोशिका झिल्ली के नष्ट होने से है, जिसके परिणामस्वरूप हीमोग्लोबिन मुक्त हो जाता है।

**5. बहु दिव्यांगताएँ** (जिसमें ऊपर बताई गई विशेष बीमारियों में एक से अधिक हों) बधिर, अंधापन सहित, ऐसी स्थिति, जिसमें व्यक्ति को सुनने के साथ साथ देखने संबंधी कमजोरी हो, जिसके कारण गंभीर संपर्क, विकास तथा शैक्षिक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। बहु दिव्यांगता (एमडी) श्रेणी के अंतर्गत केवल वे अभ्यर्थी पात्र होंगे, जिनमें व्यक्तिगत दिव्यांगताओं का ऐसा संयोजन हो, जिनमें से प्रत्येक दिव्यांगता पद के लिए स्वतंत्र रूप से पात्रता प्रदान करती हो।

**6. अन्य कोई श्रेणी**, जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की गई हो।

**14.3** आरक्षण के लिए बेंचमार्क अक्षमता की डिग्री तथा अक्षमता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी: आरक्षण हेतु बेंचमार्क दिव्यांगता की सीमा तथा दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी: केवल वे ही व्यक्ति, जिनमें संबंधित बेंचमार्क दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो, पदों में आरक्षण एवं अन्य रियायतों का लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे।

वे बेंचमार्क दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूबीडी) जिन्होंने आरक्षण और/या रियायत का लाभ प्राप्त किया है तथा दस्तावेज सत्यापन (डीवी) के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, उन्हें दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) नियम, 2024 के अंतर्गत दिनांक 16 अक्टूबर, 2024 की राजपत्र अधिसूचना (असाधारण) के नियम 18(1) के प्रपत्र-V एवं प्रपत्र-VI के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। संशोधित प्रारूपों के लिए अनुलग्नक-V(ए) एवं अनुलग्नक-V(बी) देखें।

दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 (जिसे अब निरस्त किया जा चुका है) के अंतर्गत जारी किए गए वर्तमान दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, उनमें उल्लिखित वैधता अवधि तक मान्य रहेंगे।

**14.4.** बेंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवार (पीडब्ल्यूबीडी) ध्यान दें कि उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र के अनुसार आवेदन पत्र भरते समय उपयुक्त पीडब्ल्यूबीडी उप-श्रेणी यानी एलडी/एचआई/वीआई/एमडी का चयन करना

होगा। किसी भी परिस्थिति में पीडब्ल्यूबीडी उप-श्रेणी में बाद में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय आवेदन पत्र में घोषित सक्षम प्राधिकारी से अपेक्षित प्रमाणपत्र, अपनी विशिष्ट दिव्यांगता पहचान (यूडीआईडी) के साथ प्रस्तुत करना होगा, ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यह ध्यान दिया जा सकता है कि दिव्यांगता/दिव्यांगताओं के प्रकार (जैसे ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी, एसआई आदि), जैसा कि दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तीकरण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 38-16/2020-डीडी III दिनांक 04.01.2021 में दर्शाया गया है, प्रमाणपत्र जारी करनेवाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, डीडपीडब्ल्यूडी (DePWD) के दिनांक 17.12.2025 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, अस्थायी दिव्यांगता श्रेणी के अंतर्गत "सुधार की संभावनावाली दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थी आरक्षण के पात्र नहीं होंगे। वहीं, जिन अभ्यर्थियों की दिव्यांगता "प्रगतिशील (Progressive)", "अप्रगतिशील (Non-Progressive)" अथवा "सुधार की संभावना नहीं (Not Likely to Improve)" श्रेणी में आती है, उन्हें आरक्षण हेतु पात्र माना जाएगा।

- 14.5. चयनित दिव्यांग उम्मीदवारों को डीवी के समय रेलवे चिकित्सा अधिकारियों द्वारा चिकित्सा जांच से गुजरना होगा और केवल वही उम्मीदवार नियुक्ति के लिए पात्र होंगे जो भारतीय रेलवे चिकित्सा मैनुअल और अन्य मौजूदा प्रावधानों में निर्धारित चिकित्सामानकों के अनुरूप होंगे।
- 14.6. जब रिक्तियां पीडब्ल्यूबीडी यों के लिए आरक्षित होती हैं और पीडब्ल्यूबीडी यों के लिए पूर्ण पैनेल प्रत्येक श्रेणी के न्यूनतम योग्यता प्रतिशत अंकों के साथ नहीं बनाया जा सकता है, अर्थात, यूआर, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी-एनसीएल, समुदाय के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता अंकों में 2 अंकों तक की छूट प्रदान की जाएगी।
- 14.7. **स्क्राइब( लिखनेवाला) की सहायता और प्रतिपूरक समय के लिए दिशानिर्देश:**
  - 14.7.1. दृष्टिहीनता, लोकोमोटर दिव्यांगता (दोनों हाथ प्रभावित-बीए) और सेरिब्रल पार्सी जैसी बेंचमार्क विकलांगता की श्रेणी में आने वाले उम्मीदवार, यदि चाहें तो, वे स्क्राइब की सहायता ले सकते हैं।
  - 14.7.2. अन्य श्रेणी के बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के मामले में, स्क्राइब ( लिखनेवाला) की सुविधा इस शर्त पर प्रदान की जा सकती है कि संबंधित व्यक्ति के पास लिखने की शारीरिक सीमा होने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाए तथा यह प्रमाणित किया गया हो कि परीक्षा उनके स्थान पर लिखने के लिए स्क्राइब आवश्यक है। यह प्रमाणपत्र किसी सरकारी स्वास्थ्य संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी किया गया होना चाहिए।  
अभ्यर्थी अनुलग्नक V (एफ) के अनुसार प्रमाणपत्र तथा अनुलग्नक V(सी) के अनुसार वचन-पत्र परीक्षा केंद्र पर प्रस्तुत करने के पश्चात स्क्राइब की सुविधा का लाभ ले सकते हैं।
  - 14.7.3. 40% से कम दिव्यांगतावाले पीडब्ल्यूबीडी व्यक्तियों(जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2(आर) की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं) और जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है, वे भी परीक्षा केंद्र पर अनुलग्नक-V(डी) के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद और अनुलग्नक-V(ई) के अनुसार वचन पत्र जमा करने के बाद अपनी ओर से उतर लिखने के लिए स्क्राइब की सहायता ले सकते हैं।
  - 14.7.4. एक आँख वाले सभी उम्मीदवार और ऐसे उम्मीदवार जिनकी दृष्टि की अक्षमता 40% से कम है, उन्हें दृष्टि विकलांग व्यक्ति नहीं माना जाएगा और उनके लिए स्क्राइब की सेवाएँ प्राप्त करने के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

14.7.5. जो अभ्यर्थी उपरोक्त पैरा 14.7.1, 14.7.2 और 14.7.3 में वर्णित अनुसार स्क्राइब ( लिखनेवाला) के लिए पात्र हैं और लेखक (स्क्राइब) की सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें अपने ऑनलाइन आवेदन में स्क्राइब ( लिखनेवाला) का विकल्प चुनना होगा।

14.7.6. लेखक (स्क्राइब) के पात्र अभ्यर्थियों को अपने खर्च पर स्वयं लेखक (स्क्राइब) की व्यवस्था करनी होगी।

14.7.7. जिन उम्मीदवारों ने अपने ऑनलाइन आवेदन में स्क्राइब का विकल्प चुना है

ए) उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका स्क्राइब rrbapply.gov.in पर आरआरबी के साथ पंजीकृत है (कृपया स्क्राइब के पंजीकरण के संबंध में पैरा 14.7.8 देखें)

बी) संशोधन विंडो बंद होने के तुरंत बाद प्रदान की गई 5-दिवसीय विंडो के दौरान आवेदन पोर्टल पर लॉगऑन करना चाहिए, ताकि स्क्राइब का विवरण प्रस्तुत किया जा सके।

सी) अपने स्क्राइब का वन-टाइम पंजीकरण (ओटीआर) नंबर दर्ज करें।आपके स्क्राइब के मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा।

डी) स्क्राइब की पुष्टि करने के लिए स्क्राइब के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी को दर्ज करना होगा।

#### 14.7.8. स्क्राइब के लिए पंजीकरण:

ए) कोई भी व्यक्ति जो स्क्राइब के रूप में अपनी सेवाएँ देना चाहता है, उसे **rrbapply.gov.in** पर **RRB** के साथ एक **खाता बनाना होगा और अपने खाते के क्रेडेंशियल का उपयोग करके खुद को स्क्राइब के रूप में पंजीकृत करना होगा।** सफल पंजीकरण के बाद, एक पंजीकरण संख्या (OTR नंबर) उत्पन्न की जाएगी और स्क्राइब के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी।

बी) जो उम्मीदवार पैरा 14.7.1, 14.7.2 और 14.7.3 में वर्णित अनुसार स्क्राइब के लिए पात्र हैं और स्क्राइब सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें अपने ऑनलाइन आवेदन में स्क्राइब का विकल्प चुनना होगा। जिन उम्मीदवारों ने अपने ऑनलाइन आवेदन में स्क्राइब का विकल्प चुना है, उन्हें संशोधन विंडो बंद होने के तुरंत बाद प्रदान की जानेवाली पाँच दिवसीय अवधि के दौरान अपने स्क्राइब का विवरण प्रस्तुत करना होगा। ऐसे उम्मीदवारों को आवेदन पोर्टल पर लॉगइन करना होगा और स्क्राइब का ओटीआर नंबर दर्ज करना होगा। स्क्राइब के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। उम्मीदवार को स्क्राइब से यह ओटीपी प्राप्त करना होगा और स्क्राइब की पुष्टि करने के लिए इसे पोर्टल पर दर्ज करना होगा।

सी) उम्मीदवारों के साथ आनेवाले लेखकों (स्क्राइब) को अलग से ई-कॉल लेटर जारी किया जाएगा। स्क्राइब ( लिखनेवाला) को परीक्षा के दिन पंजीकरण के दौरान इस्तेमाल किया गया मूल और वैध पहचान प्रमाण साथ लाना होगा।

14.7.9. किसी भी व्यक्ति को लेखक के रूप में नियुक्त करने से पहले लेखक के लिए पात्र उम्मीदवारों को निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए:

ए) कोई भी उम्मीदवार जो स्क्राइब का उपयोग कर रहा है, उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह दिशा निर्देशों के अनुसार परीक्षा में स्क्राइब का उपयोग करने के लिए पात्र है। कोई भी उम्मीदवार जो ऊपर बताए गए दिशा निर्देशों के अनुसार स्क्राइब का उपयोग करने के लिए पात्र नहीं है, ऑनलाइन परीक्षा में स्क्राइब और/याप्रतिपूरक समय का उपयोग करता है, उसे भर्ती की प्रक्रिया में आगे भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। उपरोक्त

दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके स्क्राइब का उपयोग करनेवाले किसी भी उम्मीदवार को बिना किसी सूचना के सेवा से हटाया जा सकता है, यदि वह पहले से ही रेलवे सेवा में शामिल हो चुका है।

बी) किसी व्यक्ति को rrbapply.gov.in पर RRB के साथ अपना वनटाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) पूरा करने के बाद ही स्क्राइब के रूपमें कार्य करने की अनुमति दी जाएगी।

सी) एक स्क्राइब एक ही परीक्षा में एक से अधिक उम्मीदवारों की सहायता नहीं करेगा।

डी) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाला उम्मीदवार उसी सीईएन में किसी अन्य उम्मीदवार के लिए स्क्राइब के रूप में कार्य नहीं कर सकता। स्क्राइब और उम्मीदवार को इस आशय का एक घोषणापत्र देना होगा। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार ने उस परीक्षा के लिए स्क्राइब के रूप में किसी अन्य उम्मीदवार की सहायता की है, तो दोनों उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

ई) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं की व्यवस्था किए गए लेखक (स्क्राइब) की शैक्षिक योग्यता, परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता से एक स्तर कम होनी चाहिए।

एफ) उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्क्राइब के संबंध में दी गई जानकारी सही है। यदि परीक्षा के दौरान या उसके बाद किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि किसी अभ्यर्थी ने स्क्राइब (लिखनेवाला) की सुविधा का लाभ उठाया है और स्क्राइब (लिखनेवाला) किसी दूसरे व्यक्ति की नकल करता हुआ पाया जाता है और/या लेखक या अभ्यर्थी द्वारा दी गई कोई भी जानकारी झूठी या गलत पाई जाती है, तो अभ्यर्थी को पूरी तरह से जिम्मेदार माना जाएगा और उसकी उम्मीदवारी तत्काल रद्द कर दी जाएगी।

जी) अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान अपने साथ लाए गए स्क्राइब (लिखनेवाला) द्वारा किए गए किसी भी कदाचार के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा।

एच) परीक्षा के दौरान, किसी भी स्तर पर, यदि यह पाया जाता है कि लेखक (स्क्राइब) स्वतंत्र रूप से प्रश्नों का उत्तर दे रहा है / हल कर रहा है, तो ऐसे उम्मीदवार का परीक्षा सत्र समाप्त कर दिया जाएगा, और उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। लेखक की सेवाओं का उपयोग करनेवाले ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी भी रद्द कर दी जाएगी यदि परीक्षा के बाद परीक्षण प्रशासक कर्मियों द्वारा यह रिपोर्ट की जाती है कि स्क्राइब (लिखनेवाला) ने स्वतंत्र रूप से प्रश्नों का उत्तर दिया है।

आई) परीक्षा केंद्र पर स्क्राइब (लिखनेवाला) का परिवर्तन:

परीक्षा स्थल पर स्क्राइब को बदलने की आम तौर पर अनुमति नहीं है। हालाँकि, असाधारण परिस्थितियों में कारणों को दर्ज करके बदलाव की अनुमति दी जा सकती है। नए स्क्राइब को आरआरबी के साथ स्क्राइब के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, और वन-टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) प्रिंट आउट की एक प्रति परीक्षा केंद्र पर जमा करनी होगी। इसके अतिरिक्त, नए स्क्राइब को पैरा 14.7.9 के तहत स्क्राइब के लिए लागू सभी अन्य मानदंडों को पूरा करना चाहिए। उम्मीदवारों को "स्क्राइब बदलने" के फॉर्म और 'स्क्राइब का उपयोग करने के लिए वचन पत्र' फॉर्म में विवरण भरना होगा।

यदि ये आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं, तो आरआरबी अपने विवेक से एक लेखक नियुक्त कर सकता है, बशर्ते कि उम्मीदवार अभी भी लेखक की सुविधा का लाभ उठाना चाहता हो। आरआरबी द्वारा उपलब्ध कराए जानेवाले लेखक की योग्यता सीईएन की न्यूनतम योग्यता से अधिक नहीं होगी। हालाँकि, लेखक की योग्यता हमेशा मैट्रिक या उससे अधिक होगी।

14.7.10 पैरा 14.7.1, 14.7.2 तथा 14.7.3 में वर्णित स्क्राइब (लिखनेवाला)की सुविधा प्राप्त करने के पात्र अभ्यर्थी, यदि वे चाहें, तो स्क्राइब की सुविधा और/या प्रतिपूरक समय का लाभ ले सकते हैं।

- (ए) उपर्युक्त पैरों में निर्दिष्ट स्क्राइब सुविधा प्राप्त करने के लिए अनुमत अभ्यर्थियों को परीक्षा के प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनट का प्रतिपूरक समय प्रदान किया जाएगा।
- (बी) पैरा 14.7.1, 14.7.2 और 14.7.3 में उल्लिखित उम्मीदवार जो स्क्राइब ( लिखनेवाला के उपयोग के लिए पात्र हैं , लेकिन लेखक(स्क्राइब) की सुविधा का लाभ नहीं उठा रहे हैं, उन्हें भी परीक्षा के दौरान प्रति घंटे 20 मिनट का प्रतिपूरक समय दिया जाएगा।

14.7.11. स्क्राइब ( लिखनेवाला) की नियुक्ति के संबंध में शर्तें समय-समय पर संशोधित सक्षम प्राधिकारी के विभिन्न प्रावधानों/आदेशों के अधीन होंगी।

#### 15.0 वर्तमान नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी):

रेलवे या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सहित किसी भी केंद्रीय/राज्य सरकार के विभाग में सेवारत (प्रारंभिक प्रशिक्षण/परिवीक्षा से गुजर रहे लोगों सहित) उम्मीदवार अपने नियोक्ता को सूचित करते हुए सीधे आर आर बी को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को डीवी की तारीख पर नियोक्ता से एनओसी प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। दस्तावेज़ सत्यापन/एमपैनलमेंट/नियुक्ति के दौरान/उसके समय निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने वर्तमान नियोक्ता से एनओसी जमा करना उम्मीदवार की एकमात्र जिम्मेदारी है, ऐसा न करने पर उसकी उम्मीदवारी/एमपैनलमेंट/नियुक्ति अस्वीकार और रद्द कर दी जाएगी।

**नोट:** उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि यदि संबंधित आरआरबी द्वारा उनके नियोक्ता से परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले/उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की अनुमति रोकने का संचार प्राप्त होता है, तो उनका आवेदन/उम्मीदवारी अस्वीकार/रद्द की जा सकती है।

#### 16.0 भर्ती प्रक्रिया:

(ए) उम्मीदवारों को आरआरबी की किसी भी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन करना चाहिए। उम्मीदवार एक वेतन स्तर के लिए केवल एक आरआरबी पर आवेदन कर सकते हैं और एक वेतनस्तर में केवल एक सामान्य ऑनलाइन आवेदन (किसी भी या सभी अधिसूचित पदों के लिए प्राथमिकता के क्रम में जिसके लिए उम्मीदवार आवेदन करने के लिए पात्र और इच्छुक है।) प्रस्तुत किया जाना चाहिए। एक बार चयनित किया गया आरआरबी अंतिम माना जाएगा। किसी अभ्यर्थी द्वारा समान वेतन स्तर के लिए एक से अधिक आरआरबीमें आवेदन करने पर उस वेतन स्तर के लिए किए गए उसके सभी आवेदन अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।

(बी) भर्ती प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल होंगे:

- i. कंप्यूटर आधारित परीक्षण (सीबीटी)
- ii. दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) और
- iii. मेडिकल परीक्षा (एमई)

(सी) परीक्षा अनुसूची और स्थानों की जानकारी आरआरबी वेबसाइटों, एसएमएस और ईमेल के माध्यम से नियत समय में पात्र उम्मीदवारों को दी जाएगी।

(डी) किसी भी चरण को स्थगित करने या स्थान, तिथि और शिफ्ट में बदलाव के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

## 16.1 कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी):

प्रत्येक वेतन स्तर के लिए अलग सीबीटी होगा।

### 1) वेतन स्तर-5 पद यानी तकनीशियन ग्रेड- I सिग्नल के लिए सीबीटी का पैटर्न और पाठ्यक्रम,

- (ए) कुल अवधि: 90 मिनट और कुल प्रश्न: 100
- (बी) प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक की दर से नकारात्मक अंकन किया जाएगा।
- (सी) कई पारियों में आयोजित सीबीटी के लिए मार्क्स (अंकों) का सामान्यीकरण किया जाएगा।
- (डी) विभिन्न समुदायों में पात्रता के लिए अंकों का न्यूनतम प्रतिशत: यूआर – 40%, ईडब्ल्यूएस – 40%, ओबीसी (नॉन- क्रीमीलेयर) -30%, एससी-30% और एसटी-25%। यह उनके समुदाय के अनुसार भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के उम्मीदवारों पर भी लागू है। पीडब्ल्यूबीडी के लिए आरक्षित रिक्तियों के अंतर्गत पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों की कमी होने की स्थिति में पात्रता के लिए अंकों में 2 अंकों की छूट दी जा सकती है।
- (ई) **सीबीटी में प्राप्त अंकों को इस भर्ती प्रक्रिया के आगे के चरणों के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग के लिए गिना जाएगा।**
- (एफ) **तकनीशियन ग्रेड- I सिग्नल के सीबीटी के लिए पाठ्यक्रम (सिलेबस) :** प्रश्न बहुविकल्पीय उत्तरों के साथ वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और निम्नलिखित पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों को कवर करने की संभावना है:

**सामान्य ज्ञान:** समसामयिक का ज्ञान, भारतीय भूगोल, संस्कृति और भारत के इतिहास का ज्ञान जिसमें स्वतंत्रता संघर्ष, भारतीय राजनीति और संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत और विश्व से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दे, खेल, सामान्य वैज्ञानिक और तकनीकी विकास आदि शामिल हैं।

**सामान्य बुद्धि और तर्क:** उपमाएँ, वर्णमाला और संख्या श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग, गणितीय संचालन, संबंध, सिलेगिज्म, जंबलिंग, वेनआरेख, डेटा व्याख्या और पर्याप्तता, निष्कर्ष और निर्णय लेने, समानताएं और अंतर, विश्लेषणात्मक तर्क, वर्गीकरण, दिशाएँ, विवरण, विवरण-तर्क और धारणा आदि।

**कंप्यूटर और अनुप्रयोगों की मूल बातें:** कंप्यूटर की वास्तुकला; इनपुट और आउटपुट डिवाइस; स्टोरेज डिवाइस, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स; एमएस ऑफिस; विभिन्न डेटा प्रतिनिधित्व; इंटरनेट और ईमेल; वेबसाइट और वेबब्राउज़र; कंप्यूटर वायरस।

**गणित:** संख्या पद्धति, परिमेय और अपरिमेय संख्याएँ, BODMAS नियम, द्विघात समीकरण, समान्तर श्रेणी, समरूप त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमितीय अनुपात, ऊँचाई और दूरी, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन; समुच्चय: समुच्चय तथा उनका निरूपण, रिक्त समुच्चय, सीमित एवं असीमित समुच्चय, समान समुच्चय, उपसमुच्चय, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय, वेन आरेख, समुच्चयों का संघ एवं प्रतिच्छेद, समुच्चयों का अंतर, समुच्चय का पूरक, पूरक के गुण; सांख्यिकी: प्रसरण के माप — परास, माध्य विचलन, विचरण तथा अवर्गीकृत/वर्गीकृत आँकड़ों का मानक विचलन; प्रायिकता — घटनाओं की घटित होने की संभावना, सम्पूर्ण घटनाएँ, परस्पर अपवर्जी घटनाएँ।

**बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग:** भौतिकी बुनियादी बातों- इकाइयाँ, माप, द्रव्यमान, वजन, घनत्व, कार्य, शक्ति और ऊर्जा, गति और वेग, गर्मी और तापमान; बिजली और चुंबकत्व- इलेक्ट्रिक चार्ज, फील्ड, और तीव्रता, विद्युत क्षमता और संभावित अंतर, सरल इलेक्ट्रिक सर्किट, कंडक्टर, गैर-कंडक्टर / इंसुलेटर, ओम के कानून और इसकी सीमाएं, श्रृंखला में प्रतिरोध और एक सर्किट और विशिष्ट प्रतिरोध के समानांतर, संबंध, संबंध विद्युत क्षमता, ऊर्जा, और शक्ति (वाटेज), एम्पीयर का नियम, चलती चार्ज कण पर चुंबकीय बल और लंबे सीधे कंडक्टर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, फेराडे का नियम, और विद्युत चुम्बकीय प्रवाह, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रेरण; इलेक्ट्रॉनिक्स और माप- बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस

और सर्किट, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रोप्रो सेसर, इलेक्ट्रॉनिक माप, मापप्रणाली और सिद्धांत, रेंज एक्सटेंशन विधियाँ, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, एलसीडी, एलईडी पैनल, ट्रांसड्यूसर।

यह ध्यान देने योग्य बात है कि ऊपर सूचीबद्ध विषय उदाहरणात्मक हैं तथा आवश्यक रूप से सम्पूर्ण नहीं हैं।

तकनीशियन ग्रेड -1 सिगनल के सीबीटी हेतु विषयवार प्रश्नों एवं अंकों का अनंतिम विभाजन		
विषय	प्रश्नों की संख्या	प्रत्येक अनुभाग के लिए अंक
सामान्य ज्ञान	10	10
सामान्य बुद्धि और तर्क	15	15
कंप्यूटर और अनुप्रयोगों की मूल बातें	20	20
गणित	20	20
बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग	35	35
कुल	100	100
उपर्युक्त विषयवार वितरण केवल सांकेतिक है। प्रश्न-पत्रों में भिन्नता हो सकती है।		

## 2. वेतनस्तर -2 यानी तकनीशियन ग्रेड-III के पदों के लिए सीबीटी का पैटर्न और सिलेबस (पाठ्यक्रम):

- (ए) कुल अवधि: 90 मिनट और कुल प्रश्न : 100
- (बी) प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक की दर से नकारात्मक अंकन किया जाएगा।
- (सी) कई पारियों में आयोजित सीबीटी के अंकों का सामान्यीकरण किया जाएगा।
- (डी) विभिन्न समुदायों में पात्रता के लिए अंकों का न्यूनतम प्रतिशत: यूआर – 40%, ईडब्ल्यूएस – 40%, ओबीसी (नॉन-क्रीमीलेयर)-30%, एससी-30% और एसटी-25%। यह उनके समुदाय के अनुसार भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के उम्मीदवारों पर भी लागू है। दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित रिक्तियों के अंतर्गत पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों की कमी होने की स्थिति में पात्रता के लिए अंकों में 2 अंकों की छूट दी जा सकती है।
- (ई) **सीबीटी में प्राप्त अंकों को इस भर्ती प्रक्रिया के आगे के चरणों के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग के लिए गिना जाएगा।**
- (एफ) वेतन स्तर-2 यानी तकनीशियन ग्रेड III की विभिन्न श्रेणियों के पदों के लिए सीबीटी के लिए पाठ्यक्रम: प्रश्न बहु विकल्पीय उत्तरों के साथ वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और निम्नलिखित पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों को कवर करने की संभावना है।

**गणित:** संख्या प्रणाली, बॉडमास, दशमलव, भिन्न, एलसीएम, एचसीएफ, अनुपात और समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, समय और कार्य; समय और दूरी, सरल और चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ और हानि, बीजगणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति, प्राथमिक सांख्यिकी, वर्गमूल, आयु गणना, कैलेंडर और घड़ी, पाइप और टंकी आदि।

**सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क:** सादृश्य, वर्णमाला और संख्या श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग, गणितीय संचालन, रिश्ते, सिलोगिज्म, जंबलिंग, वेन आरेख, डेटा व्याख्या और पर्याप्तता, निष्कर्ष और निर्णय लेना, समानताएं और अंतर, विश्लेषणात्मक तर्क, वर्गीकरण, दिशाएं, कथन - तर्क और धारणाएं आदि।

**सामान्य विज्ञान:** इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम में 10वीं कक्षा के स्तर के भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीवन विज्ञान शामिल होंगे।

**सामान्य ज्ञान:** समसामयिक मामले, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल, संस्कृति, व्यक्तित्व, अर्थशास्त्र, राजनीति और अन्य महत्वपूर्ण समसामयिक मामलों का ज्ञान।

यह ध्यान देने योग्य बात है कि ऊपर सूचीबद्ध विषय उदाहरणात्मक हैं तथा आवश्यक रूप से सम्पूर्ण नहीं हैं।

तकनीशियन ग्रेड -III के सीबीटी हेतु विषयवार प्रश्नों एवं अंकों का अनंतिम विभाजन		
विषय	प्रश्नों की संख्या	प्रत्येक अनुभाग के लिए अंक
गणित	25	25
सामान्य बुद्धि और तर्क	25	25
सामान्य विज्ञान	40	40
सामान्य ज्ञान	10	10
कुल	100	100
उपर्युक्त विषयवार वितरण केवल सांकेतिक है। प्रश्न-पत्रों में भिन्नता हो सकती है।		

## 16.2. दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी):

- 16.2.1. उम्मीदवारों को संबंधित वेतन स्तरों के लिए सीबीटी में उनके अंकों और योग्यता के आधार पर दस्तावेज़ सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की संख्या रिक्तियों की संख्या के बराबर होगी।
- 16.2.2. यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं, तो उनकी मेरिट स्थिति का निर्धारण आयु के आधार पर किया जाएगा, अर्थात् अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को कम आयु वाले अभ्यर्थी की अपेक्षा उच्च मेरिट प्रदान की जाएगी। यदि उनकी आयु भी समान हो, तो टाई (Tie) का निस्तारण अभ्यर्थी के प्रथम नाम (उपनाम/Surname नहीं) के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम (A से Z) के अनुसार किया जाएगा।
- 16.2.3. चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति रेलवे प्रशासन द्वारा आयोजित अपेक्षित मेडिकल फिटनेस टेस्ट में उत्तीर्ण होने और सभी आवश्यक दस्तावेजों के अंतिम सत्यापन और उम्मीदवारों के पूर्ववृत्त/चरित्र के सत्यापन के अधीन है।
- 16.2.4. पैनल में किसी कमी या अन्य अनिवार्यताओं के मामले में, आरआरबी ऐसे उम्मीदवारों की योग्यता और विकल्पों के अनुसार, यदि आवश्यक हो तो मेरिट सूची में नीचे के उम्मीदवारों का उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। हालांकि, इससे ऐसे उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का कोई निहित अधिकार नहीं मिलेगा।
- 16.2.5. उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि आरआरबी केवल संबंधित रेलवे प्रशासन को पैनल में शामिल उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश करते हैं। नियुक्ति का प्रस्ताव केवल संबंधित रेलवे प्रशासन द्वारा जारी किया जाता है।

16.2.6. दस्तावेज़ सत्यापन के समय अभ्यर्थियों को अपने मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे। इसके लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा और सत्यापन की निर्धारित तिथि पर अपने मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने वाले अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त या रद्द की जा सकती है।

## 17.0 आवेदन कैसे करें:

17.1	गलतियों से बचने के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले सभी जानकारी और निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए।
17.2	<b>खाता बनाएं</b>
17.2.1	<p><b>आरआरबी के साथ खाता बनाएं:</b></p> <p>(ए) उम्मीदवार को पहले नीचे पैरा 19.0 में सूचीबद्ध आधिकारिक आरआरबी वेबसाइटों पर दिए गए लिंक का उपयोग करके इस सीईएन के लिए एक खाता बनाना होगा। जिन उम्मीदवारों ने पहले से ही पिछले आरआरबी सीईएन के लिए एक खाता बनाया है, उन्हें आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइटों पर दिए गए लिंक का उपयोग करके इस सीईएन के लिए आवेदन करने के लिए समान लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करना चाहिए।</p> <p>(बी) खाता निर्माण के लिए ओटीपी प्राप्त करने के लिए उनके पास एक सक्रिय व्यक्तिगत मोबाइल नंबर और एक वैध ईमेल आईडी (ID) होना चाहिए।</p> <p>(सी) 'खाता बनाएं' (Create an Account) फॉर्म में भरे गए विवरण (मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सहित) में बाद में कोई बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी।</p> <p>(डी) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अकाउंट बनाने के लिए आवश्यक विवरण अत्यंत सावधानी से भरें, क्योंकि अकाउंट बनने के बाद किसी भी प्रकार के सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी।</p>
17.2.2	<p><b>पहचान प्रमाणीकरण सलाह</b></p> <p>(a) उम्मीदवारों को अपने हित में दृढ़ता से सलाह दी जाती है कि वे "खाता बनाएँ" प्रक्रिया के दौरान डिजिटल या आधार का उपयोग करके अपनी पहचान प्रमाणित करें।</p> <p>(b) ऐसा करने से भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में एक सहज और तेज़ सत्यापन की सुविधा होगी।</p> <p>(c) कृपया ध्यान दें कि जो आवेदक वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों के माध्यम से अपनी पहचान सत्यापित करना चुनते हैं, उन्हें भर्ती के हर चरण में काफी सख्त और अधिक विस्तृत जांच के अधीन होना पड़ेगा।</p>
17.3	<b>ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए सामान्य दिशा निर्देश</b>
	<p>(ए) उम्मीदवारों को इस सीईएन के लिए आवेदन करने के लिए केवल आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट पर दिए गए लिंक का उपयोग करना चाहिए। कृपया ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले विस्तृत सीईएन में दी गई सभी जानकारी और निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।</p> <p>(बी) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में सही जानकारी भरनी होगी तथा जमा करने से पहले उसे दोबारा जांचना होगा।</p> <p>(सी) आवेदन जमा करने के पश्चात् अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में कोई संशोधन नहीं कर सकेगा। (हालाँकि, आवेदन संशोधन विंडो के दौरान अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करके संशोधन किया जा सकेगा।)</p> <p>(डी) परीक्षा का माध्यम: सीबीटी के लिए प्रश्न अंग्रेजी, हिंदी तथा 13 क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं (अर्थात् असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू) में उपलब्ध होंगे। तदनुसार, अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में सूचीबद्ध माध्यमों में से किसी एक माध्यम से परीक्षा का चयन करना होगा। सीबीटी प्रश्न चुनी गई भाषा तथा अंग्रेजी में प्रदर्शित किए जाएंगे।</p>

<p>(ई) प्रत्येक वेतन स्तर के लिए एक अलग आवेदन</p> <p>(i) प्रत्येक वेतन स्तर के लिए एक अलग आवेदन की आवश्यकता है, क्योंकि इस सीईएन के तहत अधिसूचित प्रत्येक वेतन स्तर के लिए अलग-अलग सीबीटी (कंप्यूटर आधारित टेस्ट) आयोजित किए जाएंगे।</p> <p>(ii) प्रत्येक वेतन स्तर के लिए लागू परीक्षा शुल्क का भुगतान अलग से किया जाना चाहिए।</p> <p>(एफ) प्रति वेतन स्तर केवल एक आरआरबी चुनें</p> <p>(i) प्रत्येक उम्मीदवार को प्रत्येक विशिष्ट वेतन स्तर के लिए केवल एक आरआरबी चुनना होगा।</p> <p>(ii) उस वेतन स्तर के लिए केवल एक सामान्य ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए, आधिकारिक आरआरबी वेबसाइटों पर दिए गए लिंक का उपयोग करके (नीचे पैरा 19.0 देखें)।</p> <p>(iii) एक बार आवेदन जमा हो जाने के बाद, चुने गए आरआरबी को उस वेतन स्तर के लिए अंतिम माना जाएगा।</p> <p>(iv) एक ही वेतन स्तर के लिए एक से अधिक आरआरबी में आवेदन करने पर उस वेतन स्तर के लिए सभी आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा और भर्ती प्रक्रिया से वंचित कर दिया जाएगा।</p> <p>(जी) चयनित आरआरबी के अंतर्गत पद वरीयता क्रम</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>अभ्यर्थी को चयनित वेतन स्तर के अंतर्गत अधिसूचित किसी भी या सभी पदों के लिए वरीयता क्रम प्रदान करना होगा, जो उन पदों पर आधारित होगा जिनके लिए अभ्यर्थी पात्र और इच्छुक है।</li> </ul> <p>(एच) आवेदन जमा करने के बाद, अभ्यर्थी को पैरा 10.1 में बताए अनुसार परीक्षा शुल्क के भुगतान का तरीका चुनने और भुगतान प्रक्रिया पूरी करने के लिए निर्देशित किया जाएगा।</p> <p><b>महत्वपूर्ण:</b> कृपया भुगतान के तरीके की वास्तविकता तथा इस सीईएनके अंतर्गत जमा किए गए आवेदनों के लिए आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि के बारे में सावधान रहें। भुगतान करते समय अनधिकृत वेबसाइटों से बचें।</p> <p>(i) अंततः, ऑनलाइन आवेदन की स्वीकृति शुल्क भुगतान की पुष्टि प्राप्त होने के बाद ही होगी। आवेदक को ईमेल और एसएमएस के माध्यम से ऑनलाइन सफल भुगतान की पुष्टि प्राप्त होगी।</p>
--

17.4

#### आवेदन के दौरान उम्मीदवार की लाइव फोटो कैप्चरिंग

आवेदन के दौरान अभ्यर्थी का लाइव फोटोग्राफ लेने के निर्देश:

- (ए) उम्मीदवारों को आवेदन करते समय पहले से मौजूद फोटो अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है।
- (बी) आवेदन मॉड्यूल को आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवार की लाइव फोटो खींचने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- (सी) लाइव फोटो वेबकैम या मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरे (स्क्रीन साइड कैमरा) द्वारा खींची जा सकती है।
- (डी) सुनिश्चित करें कि पृष्ठभूमि के साथ कंट्रास्ट बनाए रखने के लिए आप गैर-सफेद कपड़े पहनें, अधिमानतः गहरे रंग के कपड़े।
- (ई) इस उद्देश्य के लिए, उम्मीदवार को आवेदन मॉड्यूल द्वारा संकेत दिए जाने पर कैमरे के सामने खड़ा होना चाहिए या बैठना चाहिए और नीचे दिए गए निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करना चाहिए:
- फोटो खींचने से पहले सुनिश्चित करें कि कैमरा आंखों के स्तर पर हो।
  - कैमरे के ठीक सामने खड़े हो जाएं और तटस्थ भाव से सीधे आगे देखें।
  - सुनिश्चित करें कि आपका पूरा चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा हो और आवेदन मॉड्यूल द्वारा दिखाए गए फ्रेम के भीतर केंद्रित हो।
  - सुनिश्चित करें कि आपका चेहरा कैमरे से न तो बहुत करीब हो और न ही बहुत दूर हो, और सिर या चेहरे का कोई भी हिस्सा चित्रित फ्रेम से बाहर न हो।
  - फोटो खींचते समय टोपी, मास्क या चश्मा न पहनें।
  - उम्मीदवार अपने द्वारा खींची गई तस्वीर का पूर्वावलोकन कर सकते हैं और यदि वे छवि से संतुष्ट नहीं हैं, तो आवेदन जमा होने तक इसे फिर से ले सकते हैं।
  - इन दिशानिर्देशों का पालन न करने वाली तस्वीरों वाले आवेदन अस्वीकार किए जा सकते हैं।

	<p>viii) भर्ती की पूरी प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थी का स्वरूप आवेदन के साथ जमा की गई तस्वीर से मेल खानी चाहिए।</p> <p>ix) कैप्चर किए गए लाइव फोटोग्राफ को निर्धारित मानकों के अनुसार सत्यापन एवं मिलान किया जाएगा। यदि फोटोग्राफ का मिलान नहीं होता है, तो अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन से अनुलग्नक-VII (आवश्यक घोषणाओं की पुष्टि करने के उपरांत) डाउनलोड करना होगा तथा उसे राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित कराकर, वैध पहचान प्रमाण के रूप में अपलोड करना होगा।</p> <p><b>महत्वपूर्ण नोट:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) उम्मीदवारों को पहले से मौजूद किसी मुद्रित या डिजिटल फोटोग्राफ की तस्वीर लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कोई भी आवेदन जिसमें ऐसी छवि प्रस्तुत की गई हो, उसे तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा।</li> <li>2) बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए पोर्टल में उपयुक्त छूट उपलब्ध कराई गई हैं। ऐसे अभ्यर्थी, अपनी पात्रता के अनुसार, संबंधित विकल्प का चयन कर सकते हैं।</li> </ol>
17.5	<p><b>ऑनलाइन आवेदन के दौरान अपलोड करने के लिए अनिवार्य रूप से स्कैन किए गए दस्तावेज तैयार रखने होंगे।</b></p> <p><b>निम्नलिखित को अपलोड किया जाना चाहिए:</b></p> <p>(ए) अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, के.रो.अधि.के पैरा 17.5.1 में दिए गए विनिर्देशों के अनुरूप JPG/JPEG प्रारूप में।</p> <p>(बी) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) प्रमाण-पत्र (निःशुल्क रेल यात्रा पास हेतु अनुरोध करने वाले अभ्यर्थियों के लिए), के.रो.अधि.में दिए गए विनिर्देशों के अनुरूप PDF (पीडीएफ) प्रारूप में।</p>
17.5.1	<p><b>अभ्यर्थी के हस्ताक्षर: अभ्यर्थियों को नीचे दिए गए विनिर्देशों के अनुसार अपने हस्ताक्षर की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी होगी:</b></p> <p>(ए) हस्ताक्षर केवल उम्मीदवार द्वारा ही लिखे जाने चाहिए।</p> <p>(बी) सफेद कागज़ पर काली स्याही वाली कलम का उपयोग करें।</p> <p>(सी) हस्ताक्षर रनिंग हैंडराइटिंग (यानी, कर्सिव/जुड़े हुए अक्षर) में होने चाहिए, ब्लॉक, कैपिटल या अलग-अलग अक्षरों में नहीं। हस्ताक्षर स्पष्ट, सुपाठ्य और स्कैन किए गए क्षेत्र में पूरी तरह से दिखाई देने वाले होने चाहिए।</p> <p><b>हस्ताक्षर के लिए विनिर्देश:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. हस्ताक्षरित कागज़ को न्यूनतम 100 DPI रिज़ॉल्यूशन का उपयोग करके स्कैन करें।</li> <li>b. छवि फ़ाइल प्रारूप: केवल JPG/JPEG</li> <li>c. फ़ाइल आकार: 30 KB और 49 KB के बीच</li> <li>d. छवि आयाम: न्यूनतम 140 पिक्सेल (चौड़ाई) × 60 पिक्सेल (ऊँचाई)</li> <li>e. स्कैन किए गए हस्ताक्षर को आवेदन फ़ॉर्म पर निर्दिष्ट स्कैन बॉक्स के भीतर रखा जाना चाहिए। बॉक्स का आकार: 35 मिमी (चौड़ाई) × 20 मिमी (ऊँचाई)।</li> </ol> <p>हस्ताक्षर की छवि इस बॉक्स के बीच में होनी चाहिए।</p> <p><b>हस्ताक्षर से संबंधित ऑनलाइन आवेदनों की अस्वीकृति के आधार:</b></p> <p>ऑनलाइन आवेदन और सीईएन के लिए उम्मीदवार की उम्मीदवारी निम्नलिखित हस्ताक्षर-संबंधी आधारों पर भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगी:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. अभ्यर्थी के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर</li> <li>b. गैर-सफेद पृष्ठभूमि का उपयोग</li> <li>c. हस्ताक्षर के लिए गैर-काली स्याही का उपयोग</li> <li>d. रनिंग हैंडराइटिंग के बजाय ब्लॉक या कैपिटल अक्षरों में लिखा गया हस्ताक्षर</li> <li>e. खराब रिज़ॉल्यूशन या अस्पष्ट हस्ताक्षर छवि</li> </ol>

	<p>f. अधूरा या आंशिक रूप से दिखाई देने वाला हस्ताक्षर</p> <p>g. हस्ताक्षर के अलावा कोई अन्य छवि अपलोड करना</p> <p>h. कोई हस्ताक्षर नहीं (रिक्त)</p> <p>i. हस्ताक्षर के स्थान पर अंगूठे का निशान</p> <p>उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी हस्ताक्षर छवि भर्ती के किसी भी चरण में अस्वीकृति से बचने के लिए निर्धारित आवश्यकताओं का पूरी तरह से अनुपालन करती है।</p> <p><b>महत्वपूर्ण:</b> आवेदन पर हस्ताक्षर निम्नलिखित के दौरान लिए गए हस्ताक्षरों से मेल खाने चाहिए:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. परीक्षा</li> <li>2. दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी)</li> <li>3. चिकित्सा परीक्षा (एमई)</li> <li>4. नियुक्ति</li> </ol> <p><b>टिप्पणी:</b> बेंचमार्क दिव्यांगता (पीडब्ल्यूबीडी) की कुछ श्रेणियों के ऐसे अभ्यर्थी, जिनकी दिव्यांगता के कारण हस्ताक्षर करना संभव नहीं है, उन्हें व्यवहार्यता के अनुसार निम्नलिखित क्रम में किसी एक अंगूठे/अंगुली के निशान की स्कैन की गई छवि अपलोड करने की अनुमति निम्नलिखित क्रम में होगी: बाएँ हाथ का अंगूठा, दाएँ हाथ का अंगूठा, हाथ की कोई भी अंगुली, पैर की कोई भी अंगुली।</p>
17.5.2	<p>एससी/एसटी प्रमाणपत्र (निःशुल्क रेल यात्रा पास का अनुरोध करने वाले उम्मीदवारों के लिए)</p> <p>एससी/एसटी श्रेणी के उम्मीदवार जो निःशुल्क रेल यात्रा पास का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें निम्नलिखित विनिर्देशों के साथ अपने एससी/एसटी प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी होगी:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. दस्तावेज़ केवल पीडीएफ प्रारूप में होना चाहिए।</li> <li>b. फ़ाइल का आकार 400 केबी से कम होना चाहिए।</li> <li>c. प्रमाणपत्र सुपाठ्य, स्पष्ट और आसानी से पढ़ने योग्य होना चाहिए।</li> <li>d. यह ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक नवीनतम और वैध प्रमाणपत्र होना चाहिए।</li> </ol>
17.6	<p><b>लेखक(स्क्राइब) की सहायता</b></p>
	<p>1. स्क्राइब सहायता के लिए पात्रता</p> <p>(ए) दृष्टिहीनता, गति-संचालन विकलांगता (दोनों हाथ प्रभावित - बीए) और मस्तिष्क पक्षाघात की श्रेणियों में बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवार, यदि उम्मीदवार चाहें तो, स्क्राइब की सहायता के लिए पात्र हैं। (कृपया पैरा 14.7.1 संदर्भ लें)</p> <p>(बी) बेंचमार्क विकलांगता की अन्य श्रेणियों के लिए, स्क्राइब की सुविधा केवल मुख्य चिकित्सा अधिकारी / सिविल सर्जन / सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक से प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर ही दी जाएगी, जिसमें पुष्टि की गई हो कि उम्मीदवार को लिखने में शारीरिक रूप से अक्षमता है और उनकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब आवश्यक है। (कृपया पैरा 14.7.2 संदर्भ लें)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i) प्रमाणपत्र अनुलग्नक-V(एफ) में दिए गए प्रारूप में होना चाहिए।</li> <li>ii) अनुलग्नक-V(सी) के अनुसार एक वचनपत्र भी परीक्षा केंद्र पर जमा करना होगा।</li> </ol> <p>(सी) 40% से कम विकलांगता वाले उम्मीदवार (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) के अंतर्गत आते हैं, लेकिन धारा 2(आर) के अंतर्गत नहीं) और लिखने में कठिनाई होने पर भी स्क्राइब की सहायता प्राप्त कर सकते हैं: (कृपया पैरा 14.7.3 संदर्भ लें)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. अनुलग्नक-V(डी) के अनुसार प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना, और</li> <li>ii. परीक्षा केंद्र पर अनुलग्नक-V(ई) के अनुसार वचनपत्र प्रस्तुत करना।</li> <li>iii. एक आँख वाले उम्मीदवार और ऐसे उम्मीदवार जिनकी दृश्य विकलांगता 40% से कम है, उन्हें दृष्टिबाधित नहीं माना जाता है और वे स्क्राइब सुविधा के लिए पात्र नहीं हैं।</li> </ol>

iv. **स्क्राइब( लिखनेवाला) के लिए पात्र पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन में स्क्राइब का विकल्प चुनना होगा।**

v. स्क्राइब की पात्र अभ्यर्थी को अपने खर्च पर स्वयं स्क्राइब की व्यवस्था करनी होगी।

## 2. स्क्राइब का विकल्प चुनने वाले उम्मीदवारों के लिए निर्देश:

(ए) स्क्राइब के लिए पात्र पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार अपने ऑनलाइन आवेदन में स्क्राइब का विकल्प चुनना चाहिए।

(बी) अपने खर्च पर स्क्राइब की व्यवस्था स्वयं करें।

(सी) यह सुनिश्चित करें कि उनका स्क्राइब **rrbapply.gov.in** पर पंजीकृत है (पैरा 14.7.8 का संदर्भ लें)।

(डी) संशोधन विंडो बंद होने के तुरंत बाद प्रदान की गई पांच दिवसीय विंडो के दौरान आवेदन पोर्टल पर लॉग इन करना होगा, ताकि स्क्राइब का विवरण प्रस्तुत किया जा सके एवं उसके वन-टाइम पंजीकरण (OTR) नंबर को दर्ज किया जा सके। स्क्राइब के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (OTP) भेजा जाएगा। उम्मीदवारों को स्क्राइब की पुष्टि करने के लिए यह OTP दर्ज करना होगा।

नोट: किसी भी व्यक्ति को स्क्राइब के रूप में नियुक्त करने से पहले, स्क्राइब पर लागू शर्तों/योग्यताओं को समझने हेतु कृपया सीईएन के पैरा 14.7.9 को पढ़ लें।

## 3. स्क्राइब के लिए पंजीकरण

(ए) स्क्राइब के पात्र उम्मीदवार द्वारा स्क्राइब के रूप में नियुक्त किसी भी व्यक्ति को आरआरबी पोर्टल **rrbapply.gov.in** पर होम पेज → स्क्राइब पंजीकरण के माध्यम से पंजीकरण करना होगा।

(बी) सफल पंजीकरण के उपरांत, एक ओटीआर नंबर जनरेट किया जाएगा और स्क्राइब के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा।

(सी) केवल वैध ओटीआर नंबर वाले पंजीकृत स्क्राइब को ही स्क्राइब के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी जाएगी।

नोट: स्क्राइब को अलग से ई-कॉल लेटर जारी किया जाएगा। स्क्राइब को परीक्षा के दिन पंजीकरण के समय प्रयुक्त मूल एवं वैध पहचान पत्र साथ लाना होगा।

## 4. स्क्राइब हेतु लागू शर्तें:

स्क्राइब की सुविधा के लिए पात्र अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा:

- केवल वे ही स्क्राइब का उपयोग कर सकते हैं जो दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र हैं। स्क्राइब या प्रतिपूरक समय का अनधिकृत उपयोग अयोग्यता माना जाएगा। यदि पहले से ही नियुक्त है, तो बिना किसी सूचना के सेवा से निकाल दिया जाएगा।
- कोई व्यक्ति **rrbapply.gov.in** पर OTR पंजीकरण पूरा करने के बाद ही स्वयं स्क्राइब के रूप में कार्य कर सकता है।
- एक स्क्राइब को एक सीईएन में केवल एक ही उम्मीदवार की सहायता कर सकता है।
- एक उम्मीदवार एक ही सीईएन में दूसरे उम्मीदवार के लिए स्क्राइब के रूप में कार्य नहीं कर सकता। उल्लंघन करने पर दोनों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
- अभ्यर्थी द्वारा स्वयं की व्यवस्था किए गए लेखक (स्क्राइब) की शैक्षिक योग्यता, परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता से एक स्तर कम होनी चाहिए।
- स्क्राइब के बारे में दी गई जानकारी की सत्यता के लिए उम्मीदवार जिम्मेदार है।
- किसी भी प्रतिरूपण या गलत जानकारी के परिणामस्वरूप उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी।
- स्क्राइब द्वारा किसी भी तरह के दुरु्यवहार के लिए उम्मीदवार जिम्मेदार है।
- यदि किसी भी समय स्क्राइब को स्वतंत्र रूप से प्रश्नों का उत्तर देते या हल करते पाया गया, तो अभ्यर्थी का परीक्षा सत्र समाप्त कर दिया जाएगा तथा उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

17.7	<b>प्रस्तुत आवेदन विवरण में संशोधन</b>
	<p>पूर्ण ऑनलाइन आवेदन जमा करने और अपेक्षित शुल्क का सफलतापूर्वक भुगतान करने के बाद, जो उम्मीदवार किसी भी विवरण को संशोधित करना चाहते हैं ('खाता बनाएँ' फॉर्म और चुने गए आरआरबी में भरे गए विवरणों को छोड़कर), वे ₹250 प्रति संशोधन का गैर-वापसी योग्य संशोधन शुल्क देकर ऐसा कर सकते हैं।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>'खाता बनाएँ' फॉर्म और 'चुने गए आरआरबी' में दर्ज विवरण किसी भी परिस्थिति में नहीं बदले जा सकते।</li> <li>संशोधन विंडो 01-08-2026 से 10-08-2026 तक खुलेगी।</li> <li>10-08-2026 के बाद संशोधन के लिए अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाएंगे।</li> <li>उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय सीमा से पहले सभी जानकारी को सावधानीपूर्वक सत्यापित करें।</li> <li>आवेदन में संशोधन के संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु पैरा 20.0 देखें।</li> </ol>

- 18.0 अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के कॉमन सर्विसेज सेंटर (सीएससी) की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। कॉमन सर्विसेज सेंटर (सीएससी) योजना भारत सरकार की राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) का एक हिस्सा है और इसका प्रबंधन प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर (वीएलई) द्वारा किया जाता है। देश भर में 1.5 लाख से अधिक कॉमन सर्विसेज सेंटर (सीएससी) हैं जो शहरी और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के उम्मीदवारों को आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करने और ई-वाइलट (E- Wallet) के माध्यम से शुल्क के भुगतान में वांछित सहायता प्रदान करेंगे। सामान्य सेवा केंद्र की सूची वेबसाइट [www.csc.gov.in](http://www.csc.gov.in) पर उपलब्ध है। निकटतम Common Services Centre जानने के लिए, कृपया लिंक खोलें - Find My Csc (<https://findmycsc.nic.in/csc/>)।
- 19.0 उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों या इस अधिसूचना में किसी भी बदलाव पर प्रामाणिक जानकारी और नियमित अपडेट के लिए आधिकारिक आरआरबी वेबसाइटों पर अक्सर जाने की सलाह दी जाती है।

## रेलवे भर्ती बोर्डों (आरआरबी) की वेबसाइटें

केन्द्रीकृत वेबसाइट-[rrb.indianrailways.gov.in](http://rrb.indianrailways.gov.in)

अहमदाबाद <a href="http://www.rrbahmedabad.gov.in">www.rrbahmedabad.gov.in</a>	चेन्नई <a href="http://www.rrbchennai.gov.in">www.rrbchennai.gov.in</a>	मुजफ्फरपुर <a href="http://www.rrbmuzaffarpur.gov.in">www.rrbmuzaffarpur.gov.in</a>
अजमेर <a href="http://www.rrbajmer.gov.in">www.rrbajmer.gov.in</a>	गोरखपुर <a href="http://www.rrbgkp.gov.in">www.rrbgkp.gov.in</a>	पटना <a href="http://www.rrbpatna.gov.in">www.rrbpatna.gov.in</a>
बेंगलुरु <a href="http://www.rbbnc.gov.in">www.rbbnc.gov.in</a>	गुवाहाटी <a href="http://www.rrbguwahati.gov.in">www.rrbguwahati.gov.in</a>	प्रयागराज <a href="http://www.rrbprj.gov.in">www.rrbprj.gov.in</a>
भोपाल <a href="http://www.rbbhopal.gov.in">www.rbbhopal.gov.in</a>	जम्मू-श्रीनगर <a href="http://www.rrbjammu.nic.in">www.rrbjammu.nic.in</a>	रांची <a href="http://www.rbranchi.gov.in">www.rbranchi.gov.in</a>
भुवनेश्वर <a href="http://www.rbbbs.gov.in">www.rbbbs.gov.in</a>	कोलकाता <a href="http://www.rrbkolkata.gov.in">www.rrbkolkata.gov.in</a>	सिकंदराबाद <a href="http://www.rrbsecunderabad.gov.in">www.rrbsecunderabad.gov.in</a>
बिलासपुर <a href="http://www.rbbilaspur.gov.in">www.rbbilaspur.gov.in</a>	मालदा <a href="http://www.rrbmalda.gov.in">www.rrbmalda.gov.in</a>	सिलीगुड़ी <a href="http://www.rbsiliguri.gov.in">www.rbsiliguri.gov.in</a>
चंडीगढ़ <a href="http://www.rrbcdg.gov.in">www.rrbcdg.gov.in</a>	मुंबई <a href="http://www.rrbmumbai.gov.in">www.rrbmumbai.gov.in</a>	तिरुवनंतपुरम <a href="http://www.rrbthiruvananthapuram.gov.in">www.rrbthiruvananthapuram.gov.in</a>

टिप्पणी: अलग-अलग आरआरबी की वर्तमान वेबसाइटों के अतिरिक्त, अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु [rrb.indianrailways.gov.in](http://rrb.indianrailways.gov.in) पर एक नई एकीकृत आरआरबी सामान्य वेबसाइट उपलब्ध कराई गई है, जहाँ से वे आरआरबी भर्तियों से संबंधित सूचना, अद्यतन जानकारी, अधिसूचनाएँ तथा अन्य प्रासंगिक विवरण प्राप्त कर सकते हैं।

19.1 मूल दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन में जमा की गई जानकारी की वैधता साबित करने की जिम्मेदारी उम्मीदवारों पर होगी।

### 19.2 महत्वपूर्ण:

- महत्वपूर्ण चयन प्रक्रिया के संबंध में सभी संचार संबंधित आरआरबी आधिकारिक वेबसाइटों के माध्यम से सूचित किए जाएंगे।
- हालाँकि, उपरोक्त के अलावा, उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के दौरान अपना व्यक्तिगत मोबाइल नंबर और व्यक्तिगत ई-मेल आईडी सक्रिय रखना होगा, ताकि उन्हें एसएमएस और/या ई-मेल के माध्यम से सूचना भेजा जा सके।
- आरआरबी किसी भी स्तर पर मोबाइल नंबर और ई-मेल पते में बदलाव के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेंगे।
- उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया के आगे के चरणों और आरआरबी के साथ पत्राचार के लिए अपना पंजीकरण नंबर ध्यान से नोट करें और याद रखें।

### 20.0 आवेदन में संशोधन:

20.1 ऑनलाइन आवेदन (सभी प्रकार से पूर्ण) जमा करने के बाद, यदि कोई उम्मीदवार 'खाता बनाएँ' (Create an Account) फॉर्म (ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सहित) में भरे गए विवरण को छोड़कर किसी भी विवरण को संशोधित, परिवर्तित या सही करना चाहता है, तो वह प्रत्येक अवसर के लिए ₹250/- (गैर-वापसी योग्य) संशोधन शुल्क का भुगतान करके ऐसा कर सकता है। 'खाता बनाएँ' (Create an Account) फॉर्म में भरे गए विवरण (ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सहित) तथा चुने गए आरआरबी को किसी भी परिस्थिति में नहीं बदला जा सकता है।

20.2 संशोधन शुल्क का भुगतान समुदाय और श्रेणी की परवाह किए बिना सभी उम्मीदवारों को करना होगा।

20.3 यदि कोई उम्मीदवार अपने समुदाय को एससी/एसटी से यूआर या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में संशोधित करता है, तो उसे संशोधन शुल्क के अलावा परीक्षा शुल्क में अंतर अर्थात ₹250/- का भुगतान करना होगा। ऐसा न करने की स्थिति में उसका संशोधित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

20.4 इसी प्रकार, यदि कोई उम्मीदवार भूतपूर्व सैनिक (एकस् सर्वोसमेन/पीडब्ल्यूबीडी/महिला/ट्रांसजेंडर से यूआर/ओबीसी (एनसीएल)/ईडब्ल्यूएस/गैर भूतपूर्व सैनिक/गैर पीडब्ल्यूबीडी/पुरुष आदि में परिवर्तन करता है, तो उसे संशोधन शुल्क के अतिरिक्त परीक्षा शुल्क में अंतर अर्थात ₹250/- का भुगतान करना होगा। ऐसा न करने की स्थिति में उसका संशोधित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

20.5 प्रत्येक अवसर के लिए संशोधन शुल्क के भुगतान पर ऑनलाइन आवेदन में कितनी भी बार संशोधन की अनुमति दी जाएगी।

20.6 संशोधन शुल्क के भुगतान के साथ ऑनलाइन आवेदन में संशोधन, आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि के 10 (दस) दिन बाद तक अनुमत होगा, अर्थात इस सीईएन के लिए 31.07.2026 (23:59 बजे) तक। संशोधन विंडो 01.08.2026 से 10.08.2026 तक खुली रहेगी। इस अवधि के बाद आरआरबी आवेदन में दी गई जानकारी में संशोधन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेगा।

## 21.0 अमान्य आवेदन/अस्वीकृति:

21.1 ऑनलाइन आवेदन निम्नलिखित आधारों पर अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होंगे:

- एक ही वेतन स्तर के पद के लिए विभिन्न आरआरबी या एक ही आरआरबी के लिए एकाधिक आवेदन। ऐसे मामले में, सभी आवेदन सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिए जाएंगे और ऐसे उम्मीदवारों को भविष्य की सभी आरआरबी एवं आरआरसी परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा।
- उम्मीदवार की लाइव फोटो इमेज कैप्चर करने के लिए पैरा 17.4 में दिए गए निर्देशों का पालन न करने पर भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- पैरा 17.5 के तहत हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए दिए गए निर्देशों का पालन न करने पर परीक्षा के किसी भी चरण में उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- किसी भी आरआरबी/आरआरसी की डिबार सूची में उम्मीदवार का नाम होना।
- आवेदन जांच चरण के दौरान, सीबीटी के लिए ई-कॉल लेटर जारी करने से पहले/बाद में या दस्तावेज सत्यापन के दौरान पाई जाने वाली कोई अन्य अनियमितता, जिसमें पैरा 21.1 के तहत उपर्युक्त पैरा में सूचीबद्ध विचलन भी शामिल हैं।

21.2. **अस्वीकृत आवेदन:** अस्वीकृत आवेदनों का विवरण (अस्वीकृति के कारण सहित) संबंधित आरआरबी की वेबसाइट पर लॉग इन करके देखा जा सकता है, जो अंतिम और बाध्यकारी होगा और इस विषय पर आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। अस्वीकृत आवेदनों के लिए परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी पर एसएमएस और ई-मेल अलर्ट भी भेजे जाएंगे। अभ्यर्थियों को डाक द्वारा सूचित नहीं किया जाएगा।

## 22.0 ई-कॉल लेटर से संबंधित निर्देश:

22.1 सीबीटी शेड्यूल तथा ई-कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिंक संबंधी सूचना और विवरण आरआरबी की वेबसाइटों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। योग्य उम्मीदवारों को एसएमएस एवं ई-मेल के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा। तथापि, अभ्यर्थियों को आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइटों का नियमित रूप से अवलोकन करते रहना चाहिए, क्योंकि आरआरबी के नियंत्रण से परे कारणों से अभ्यर्थियों को एसएमएस/ई-मेल का प्रेषण सफल न होने की संभावना रहती है।

**22.2** योग्य उम्मीदवार सीबीटी हेतु अपना ई-कॉल लेटर (तथा जहाँ लागू हो, स्क्राइब के लिए ई-कॉल लेटर) आरआरबी की वेबसाइट से, पैरा 19.0 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार, सीबीटी की तिथि से लगभग 4 (चार) दिन पूर्व डाउनलोड कर सकेंगे। हालाँकि, परीक्षा शहर की सूचना लगभग 10 (दस) दिन पूर्व उपलब्ध करा दी जाएगी।

**22.3 उम्मीदवारों को डाक द्वारा कोई कॉल लेटर नहीं भेजा जाएगा।**

**22.4** सीबीटी से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं निर्देश ई-कॉल लेटर के साथ उपलब्ध कराए जाएंगे। अभ्यर्थियों को इन निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़ना तथा उनका पालन करना चाहिए। निर्देशों का पालन न करने पर अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

**22.5 निःशुल्क यात्रा सुविधा:** निःशुल्क रेल यात्रा के पात्र तथा इसका विकल्प चुनने वाले अनुसूचित जाति (एससी) एवं अनुसूचित जनजाति (एसटी) के अभ्यर्थियों के लिए उनका ई-कॉल लेटर ही निःशुल्क यात्रा प्राधिकरण (स्लीपर श्रेणी रेलवे पास) के रूप में मान्य होगा। ऐसे एससी एवं एसटी उम्मीदवार स्व-सत्यापित अपने ई-कॉल लेटर की एक छाया प्रति तथा एससी/एसटी प्रमाण-पत्र की स्व-सत्यापित छायाप्रति टिकट बुकिंग काउंटर पर जमा कर रेल आरक्षण करा सकेंगे। यात्रा के दौरान **अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को अपना मूल जाति प्रमाण-पत्र तथा पहचान का कोई मूल निर्धारित प्रमाण साथ रखना होगा।** ऐसा न करने पर उन्हें बिना टिकट यात्रा करने वाला माना जाएगा तथा नियमानुसार शुल्क वसूल किया जाएगा।

**22.6** परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल में अपने ई-कॉल लेटर के साथ एक वैध मूल फोटो पहचान-पत्र प्रस्तुत करना होगा। स्वीकार्य पहचान-पत्रों में मतदाता पहचान-पत्र, आधार कार्ड, ई-आधार का प्रिंटआउट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, सरकारी कर्मचारी होने की स्थिति में नियोक्ता द्वारा जारी वैध पहचान-पत्र तथा अध्ययनरत उम्मीदवारों के लिए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा जारी फोटो पहचान-पत्र आदि शामिल हैं। ऐसा न करने पर उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

**22.7** सीबीटी/डीवी/एमई के दौरान, जैसा लागू हो, उम्मीदवारों को सीबीटी/डीवी/एमई की तिथि से दो माह से अधिक पुराना न होने वाला रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो साथ लाना होगा।

चेतावनी: अभ्यर्थियों को ई-कॉल लेटर पर दिए गए स्व-घोषणा के अनुच्छेद को केवल परीक्षा हॉल में, पर्यवेक्षक की उपस्थिति में ही अपने हाथ से लिखना होगा, उस पर हस्ताक्षर करने होंगे तथा बाएँ हाथ के अंगूठे का निशान (एलटीआई) अंकित करना होगा। परीक्षा समाप्त होने से पूर्व अभ्यर्थियों को उक्त ई-कॉल लेटर पर्यवेक्षक को अनिवार्य रूप से सौंपना होगा। जो अभ्यर्थी स्व-घोषणा का अनुच्छेद पूर्व में लिखकर लाएँगे और/या अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (CAPITAL LETTERS) में हस्ताक्षर करेंगे, उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केंद्र, परीक्षा तिथि अथवा परीक्षा पाली में परिवर्तन के संबंध में रेल भर्ती बोर्ड (आरआरबी यों) द्वारा किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

**23.0 मूल दस्तावेजों का सत्यापन और प्रमाणपत्रों का प्रारूप:**

**23.1** डीवी के लिए चुने गए उम्मीदवारों को डीवी के समय अपने सभी मूल दस्तावेजों के साथ उनकी स्व-सत्यापित छायाप्रतियों के दो सेट जमा करने होंगे।

**23.2** इसके अतिरिक्त, इन उम्मीदवारों को अपनी डीवी तिथि से पूर्व फोटो तथा हस्ताक्षरकी स्कैन की गई प्रतियां (मूल रंग में) पोर्टल-<https://oirms-ir.gov.in/rrbdv> के माध्यम से अपलोड करनी होंगी।

- 23.3** सभी प्रमाण-पत्र केवल हिंदी अथवा अंग्रेजी में होने चाहिए। जहाँ प्रमाण-पत्र हिंदी/अंग्रेजी में नहीं हैं, वहाँ उनका स्व-प्रमाणित अनूदित संस्करण (हिंदी/अंग्रेजी में), जहाँ भी और जब भी आवश्यक हो, प्रस्तुत किया जाना चाहिए। डीवी के दौरान प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र पूर्णतः निर्धारित प्रारूप में होने चाहिए।
- 23.4** जो उम्मीदवार डीवी की तिथि पर अपने मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे, उन्हें कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा तथा उनकी उम्मीदवारी निरस्त/रद्द की जा सकती है।
- 23.5** जो अभ्यर्थी दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान अनुपस्थित रहेंगे, उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

#### टिप्पणी:

- जो अभ्यर्थी आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध विचार किए जाने और /या आयु-सीमा में छूट का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उन्हें दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी अपेक्षित / संबंधित मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा, एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल /ईडब्ल्यूएस/भूतपूर्वसैनिक/सीसीएए/पीडब्ल्यूबीडी के रूप में उनका दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा यदि वे अन्यथा पात्र होंगे, तो उनकी अभ्यर्थिता/आवेदन पर यूआर श्रेणी के अंतर्गत विचार किया जाएगा। प्रमाण-पत्र संलग्न प्रारूपों के अनुसार होने चाहिए। **किसी अन्य प्रारूप में जारी प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।**
- शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र, चाहे प्रोविशनल (provisional) होया नियमित (Regular), उनमें जारी किए जाने की तिथि अंकित होना अनिवार्य है। यदि इन प्रमाण-पत्रों के जारी होने की तिथि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के बाद की है, तो अंतिम अर्हक परीक्षा के परिणाम घोषित होने की तिथि सहित समेकित अंक-पत्र (कनसोलिडेटड मार्क शीट) अथवा प्रत्येक सेमेस्टर/वर्ष के पृथक अंक-पत्र, जिनमें प्रत्येक पर परिणाम घोषित होने की तिथि अंकित हो, प्रस्तुत करने होंगे। यदि इनमें से किसी भी प्रमाण-पत्र में उतीर्ण होने की तिथि अंकित नहीं है, तो दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) के समय संबंधित संस्थान/बोर्ड/विश्व विद्यालय द्वारा जारी परिणाम घोषित होने की तिथि दर्शाने वाला प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

#### 24.0 अनुचित साधनों का उपयोग:

- 24.1** भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाए जाने वाले अभ्यर्थी, जैसे कि जालसाजी, प्रतिरूपण, धोखाधड़ी, कदाचार, प्रतिबंधित वस्तुओं का उपयोग अथवा उपयोग का प्रयास, तथ्यों का मिथ्या निरूपण अथवा छिपाना, गलत जानकारी देना अथवा झूठे दस्तावेज़ प्रस्तुत करना आदि, को सभी आरआरबी तथा आरआरसी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में आजीवन सम्मिलित होने से वंचित (डीबार) कर दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी को रेलवे में नियुक्ति के लिए भी अयोग्य घोषित किया जाएगा तथा यदि वह पहले से रेलवे सेवा में नियुक्त है, तो उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, ऐसे अभ्यर्थी के विरुद्ध उपयुक्त समझे जाने पर विधि के अनुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। (इस संबंध में दिनांक 21.06.2024 से प्रभावी "लोक परीक्षाएँ (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम एवं नियम, 2024" की ओर विशेष ध्यान आकर्षित किया जाता है।)
- 24.2** रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) परीक्षा प्रक्रिया की शुचिता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा उपरांत व्यापक विश्लेषण करते हैं। इसके अंतर्गत लॉग विश्लेषण, फोटोग्राफ एवं बायोमेट्रिक सत्यापन तथा सीसीटीवी फुटेज की विस्तृत संवीक्षा व जांच की जाती है। परीक्षा के किसी भी चरण में किसी भी प्रकार की कदाचार पूर्ण गतिविधि अथवा अनुचित साधनों के प्रयोग में संलिप्त पाए जानेवाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें उनकी अभ्यर्थिता निरस्त/रद्द किया जाना तथा उन्हें सभी आरआरबी यों एवं आरआरसी यों की भावी परीक्षाओं से वंचित (डीबार) किया जाना भी सम्मिलित है।

**24.3** भर्ती प्रक्रिया के संबंध में अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी भी प्रकार के अनुचित अथवा अवांछित प्रभाव का प्रयोग किए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा तथा उसे भविष्य की परीक्षाओं से वंचित (डीबार) कर दिया जाएगा।

चेतावनी: रेलवे में नियुक्ति दिलाने का दावा करने वाले बेईमान तत्वों तथा नौकरी दिलाने वाले गिरोहों (जॉब रैकेटर्स) से सावधान रहें, चाहे वे प्रभाव का उपयोग करने का दावा करें अथवा अनुचित एवं अनैतिक तरीकों का। आरआरबी भर्ती के लिए किसी एजेंट अथवा कोचिंग संस्थान को नियुक्त नहीं करते हैं। उम्मीदवारों को किसी भी व्यक्ति या एजेंसी द्वारा किए जाने वाले ऐसे दावों के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। उम्मीदवारों का चयन पूर्णतः योग्यता के आधार पर किया जाता है।

## 25.0 विविध:

**25.1** भर्ती प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में उम्मीदवारों का बायोमेट्रिक विवरण दर्ज किया जाएगा। किसी भी प्रकार की विसंगति अथवा बेमेल पाए जाने पर संबंधित आरआरबी किसी उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करने तथा उस आधार पर उपयुक्त कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

**25.2** आरआरबी किसी भी उम्मीदवार की पहचान सत्यापित करने तथा उसकी पृष्ठभूमि की जांच करने के लिए अतिरिक्त प्रमाणीकरण प्रक्रियाएं आयोजित करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

**25.3** आरआरबी, आवश्यकता पड़ने पर, किसी भी स्तर पर अतिरिक्त सीबीटी/दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) आयोजित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। आरआरबी बिना कोई कारण बताए इस सीईएन में अधिसूचित किसी भी श्रेणी के लिए किसी भी स्तर पर भर्ती प्रक्रिया के किसी भाग अथवा संपूर्ण प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। इसके अतिरिक्त, आरआरबी तकनीकी बाधाओं अथवा अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण किसी भी सीबीटी/डीवी को पुनर्निर्धारित करने का अधिकार भी सुरक्षित रखते हैं।

**25.4** पात्रता, ऑनलाइन आवेदनों की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति, मुफ्त रेल पास जारी करना, गलत जानकारी के लिए दंडात्मक कार्रवाई, रिक्तियों में संशोधन, चयन की पद्धति, सीबीटी का आयोजन, परीक्षा केंद्रों का आवंटन, चयन, चयनित उम्मीदवारों को पदों का आवंटन आदि से संबंधित सभी मामलों में आरआरबी का निर्णय अंतिम एवं उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा। इस संबंध में आरआरबी द्वारा किसी भी प्रकार की पूछताछ अथवा पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

**25.5** रे.भ.बो. किसी भी अनजानी/टंकण संबंधी (टाइपोग्राफिकल) त्रुटि के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे तथा ऐसी त्रुटियों को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। यदि किसी अनजानी अथवा मुद्रण संबंधी त्रुटि के कारण किसी उम्मीदवार को सीबीटी/दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाता है, अथवा उसका परिणाम घोषित किया जाता है, या उसे पैनेल में शामिल किया जाता है अथवा नियुक्ति प्रदान की जाती है, तो आरआरबी परिणामों को संशोधन/निरस्तीकरण करने तथा ऐसे उम्मीदवार के पैनेल गठन को निरस्त/संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। यदि उम्मीदवार पहले से नियुक्त है, तो योग्यता तथा अवसर की समानता के सिद्धांत को मूल आधार मानते हुए, उसे सेवा से हटाया जा सकता है।

**25.6** आवेदन के अनंतिम रूप से स्वीकार किए जाने तथा सीबीटी के लिए ई-कॉल लेटर जारी होने के बाद इस सीईएन से उत्पन्न होने वाले किसी भी कानूनी विवाद पर उस संबंधित केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण/उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र होगा, जिसके अंतर्गत संबंधित आरआरबी स्थित है। तथापि, यदि किसी कारणवश आवेदन अस्वीकार होने के कारण उम्मीदवार की

उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाती है, तो इस सीईएन से उत्पन्न होने वाले किसी भी कानूनी विवाद पर केरल राज्य के लिए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, एरणाकुलम अथवा संबंधित उच्च न्यायालय/एरणाकुलम का अधिकार क्षेत्र होगा

**25.7** उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित अधिसूचना के विरुद्ध जारी किसी भी संशोधन/ शुद्धिपत्र/ महत्वपूर्ण सूचना के लिए आधिकारिक आरआरबी वेबसाइटों का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें।

**25.8** व्याख्या संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में, आधिकारिक आरआरबी वेबसाइटों पर प्रकाशित अधिसूचना का अंग्रेजी संस्करण तथा उसके पश्चात जारी संशोधन/ शुद्धिपत्र अथवा महत्वपूर्ण सूचना को अंतिम माना जाएगा।

**26.0 इस सीईएन (CEN) में प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षर:**

भर्ती प्रक्रिया के चरण	सीबीटी = कंप्यूटर आधारित टेस्ट, डीवी = दस्तावेज सत्यापन, एमई = मेडिकल परीक्षा
आरक्षण/आयु में छूट श्रेणी	सीसीए = कोर्स पूर्ण एक्ट अपरेंटिस, ईबीसी (EBC)= आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस (EWS) = आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग , एक्सएसएम(Ex-SM)= भूतपूर्व सैनिक, ओबीसी-एनसीएल = अन्य पिछड़ा वर्ग-गैर-क्रीमी लेयर, ओबीसी-सीएल = अन्य पिछड़ा वर्ग - क्रीमी लेयर, एससी = अनुसूचित जाति, एसटी = अनुसूचित जनजाति, यूआर = अनारक्षित (सामान्य), पीडब्ल्यूबीडी- बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति, आरपीडब्ल्यूडी- दिव्यांगजन अधिकार
अक्षमताएँ	वीआई(VI)=दृष्टि बाधित (B=अंधा और LV=कमदृष्टि),एचआई (HI) = श्रवण बाधित (डी (D)=बहरा, एचएच (HH)=सुनने में कठिनाई), एलडी(LD) = गतिविषयक दिव्यांगता , ओए (OA)=एकहाथ, ओएल (OL)=एक पैर, ओएएल (OAL)=एक हाथ-पैर, बीएल (BL)=दोनों पैर, डीडब्ल्यू (DW)=बौनापन, सीपी(CP)=सेरेब्रल पाल्सी, एएवी (AAV)=एसिड अटैक पीड़ित, एलसी (LC)=कुष्ठ रोग ठीक हो गया, एमडीवाई (Mdy)=मस्कूलार डिस्ट्रोफी, एसडी (बिना N/L Df)= रीढ़ की हड्डी में विकृति (बिना न्यूरोलॉजिकल/लिंब डिसफंक्शन), एसआई (बिना N/L Df) = रीढ़ की हड्डी में चोट (बिना न्यूरोलॉजिकल/ लिंब डिसफंक्शन), ओडी (OD) = अन्य अक्षमता, एमडी (MD) = एकाधिक अक्षमता
रेलवे जोन	सीआर(CR)= मध्य रेलवे, ईसीआर(ECR)= पूर्व मध्य रेलवे, ईसीओआर(ECoR)= पूर्वी तट रेलवे, ईआर (ER)= पूर्वी रेलवे, आईसीएफ(ICF)= इंटीग्रल कोच फैक्ट्री , आरसीएफ (RCF)= रेल कोच फैक्ट्री, आरडब्ल्यूएफ (RWF)= रेल व्हील फैक्ट्री, एनआर(NR)= उत्तर रेलवे, एनसीआर(NCR)= उत्तर मध्य रेलवे, एनईआर (NER)= उत्तर पूर्व रेलवे, एनएफआर(NFR)= पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, एनडब्ल्यूआर (NWR)= उत्तर पश्चिम रेलवे , आरडीएसओ (RDSO)= अनुसंधान डिजाइन एवं मानक संगठन , एसआर(SR)= दक्षिण रेलवे, एससीआर(SCR)= दक्षिण मध्य रेलवे, एसईआर(SER)= दक्षिण पूर्व रेलवे, एसईसीआर(SECR)= दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, एसडब्ल्यूआर(SWR)= दक्षिण पश्चिम रेलवे, डब्ल्यूआर (WR)= पश्चिमी रेलवे, डब्ल्यूसीआर(WCR)= पश्चिम मध्य रेलवे ,आरआरबी (RRB)= रेलवे भर्ती बोर्ड, आरआरसी (RRC)= रेलवे भर्ती सेल
रेलवे भर्ती बोर्ड (RRBs)	ADI= अहमदाबाद, All = अजमेर, BCT = मुंबई, BBS = भुवनेश्वर, BPL = भोपाल, BSP = बिलासपुर, CDG = चंडीगढ़, GKP= गोरखपुर, GHY = गुवाहाटी, JAT = जम्मू श्रीनगर, KOL = कोलकाता, MAS = चेन्नई, MLDT= मालदा, MFP = मुजफ्फरपुर, PRYJ = प्रयागराज, PNBE = पटना, RNC = रांची, BNC = बेंगलुरु, SC = सिकंदराबाद, SGUJ = सिलीगुड़ी, TVC = तिरुवनंतपुरम

सामान्य	सीईएन (CEN) = केंद्रीकृत रोजगार सूचना, , एलटीआई(LTI) = बाएं अंगूठे का निशान, पीएसयू (PSU)= सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, पीयू (PU)= उत्पादन इकाई,ओटीपी- वन टाइम पासवेर्ड, जेपेईजी= जोइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रूप, केबी=किलो बाइट, आईएफएससी= इंडियन फिनान्शियल सिस्टम कोड.
संस्थाएँ / परिषद / प्रमाण पत्र	डीजीटी = प्रशिक्षण महानिदेशालय, आईटीआई = औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, एनएसी = राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाणपत्र, एनटीसी = राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र, एनओसी = अनापत्ति प्रमाणपत्र, एनसीवीटी = राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, एससीवीटी = राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद,
विभाग	एस एण्ड टी ( S & T) = सिग्नल व दूर संचार , इंजी( ENGG.)= इंजीनीयरिंग , मेक (MECH)= यांत्रिक , ईलेक्ट(ELECT) = विद्युत
उप-विभाग	कै व वै ( C & W)= Carriage and Wagon , पी वे (P WAY) = रेल पथ

#### चेतावनी:

- दलालों एवं नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले व्यक्तियों से सावधान रहें, जो प्रभाव का उपयोग करने अथवा अनुचित एवं अनैतिक साधनों के माध्यम से रेलवे में नौकरी दिलाने का झूठा आश्वासन देकर अभ्यर्थियों को धोखा देने का प्रयास करते हैं। आरआरबी /आरआरसी ने अपने कार्य हेतु भी एजेंट अथवा कोचिंग संस्थान को अधिकृत नहीं किया है। अभ्यर्थियों को ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले किसी भी प्रकार के दावों से सावधान रहने की चेतावनी दी जाती है। अभ्यर्थियों का चयन पूर्णतः योग्यता (मेरिट) के आधार पर किया जाता है। असामाजिक एवं धोखाधड़ी करने वाले तत्वों से सावधान रहें तथा उनके झाँसे में न आएँ। जो अभ्यर्थी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आरआरबी/आरआरसी को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा तथा उनके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई भी की जा सकती है।
- अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आरआरबी/आरआरसी की आधिकारिक वेबसाइटों का ही अवलोकन करें तथा असामाजिक तत्वों/दलालों द्वारा संचालित फर्जी वेबसाइटों एवं सोशल मीडिया से सावधान रहें।

## पोस्ट पैरामीटर

श्रेणी संख्या	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	विभाग	उप विभाग	मेड स्टैंडर्ड	दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्तता					निर्धारित योग्यता
						वी आई	एच आई	एलडी	ओडी	एम डी	
1	तकनीशियन ग्रेड I सिग्नल	5	सिग व दू	सिग्नल	बी 1	नहीं	नहीं	ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी (बिना एन / एल डीएफ ), एसआई (बिना एन/एल डीएफ )	नहीं	नहीं	A)किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से भौतिकी / इलेक्ट्रॉनिक्स / कंप्यूटर विज्ञान / सूचना प्रौद्योगिकी / इंस्ट्रुमेंटेशन में बी.एससी., (या) भौतिकी / इलेक्ट्रॉनिक्स / कंप्यूटर विज्ञान / सूचना प्रौद्योगिकी / इंस्ट्रुमेंटेशन की बुनियादी धाराओं की किसी भी उप-धारा के संयोजन में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बी.एससी. (या) B) उपरोक्त बुनियादी धाराओं में या उपरोक्त किसी भी बुनियादी धाराओं के संयोजन में तीन साल का इंजीनियरिंग में डिप्लोमा (या) उपरोक्त बुनियादी धाराओं में या उपरोक्त किसी भी बुनियादी धाराओं के संयोजन में इंजीनियरिंग में डिग्री।
2	तकनीशियन ग्रेड III ट्रैकमशीन	2	इंजीनियरिंग	ट्रैक मशीन	ए3	नहीं	डी, एचएच	ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी (बिना एन/एल डीएफ के), एसआई (बिना एन/एल डीएफ के )	नहीं	हाँ	मैट्रिकुलेशन/एसएसएलसी तथा एनसीवीटी/एससीवीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों से फिटर / इलेक्ट्रीशियन / इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक / इंस्ट्रुमेंट मैकेनिक / मैकेनिक मेकट्रोनिक्स / मैकेनिक डीजल / मैकेनिक मोटर वाहन / वेल्डर / मशीनिस्ट ट्रेडों में आईटीआई। (या) मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी तथा उपरोक्त बताए गए ट्रेडों में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप।

श्रेणी संख्या	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	विभाग	उप विभाग	मेड स्टैंड ई	दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्तता					निर्धारित योग्यता
						वीआई	एच आई	एलडी	ओडी	एमडी	
3	तकनीशियन ग्रेड III ब्लैकस्मिथ	2	इंजीनियरिंग	पी-वे	बी 1	नहीं	डी, एचएच	ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी (बिना एन/एल डीएफ के), एसआई (बिना एन/एल डीएफ के)	नहीं	हाँ	मैट्रिकुलेशन/एसएसएलसी तथा एनसीवीटी/एससीवीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों से फोर्जर एवं हीट ट्रीटर / फाउंड्रीमैन / पैटर्न मेकर / मोल्डर (रिफ्रैक्टरी) ट्रेडों में आईटीआई। (या) मैट्रिकुलेशन/एसएसएलसी तथा उपरोक्त बताए गए ट्रेडों में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप।
4	तकनीशियन ग्रेड III ब्रिज	2	इंजीनियरिंग	ब्रिज	बी 1	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	मैट्रिकुलेशन/एसएसएलसी तथा एनसीवीटी/ एससीवीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों से फिटर / फिटर (स्ट्रक्चरल) / वेल्डर ट्रेडों में आईटीआई। (या) मैट्रिकुलेशन/ एसएसएलसी तथा उपरोक्त बताए गए ट्रेडों में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप।
5	तकनीशियन ग्रेड III कैरिज और वैगन	2	यांत्रिक	के व वै	बी 1	नहीं	डी, एचएच	ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी(बिना एन/एल डीएफ के), एसआई (बिना एन/एल डीएफ के)	नहीं	हाँ	मैट्रिकुलेशन/एसएसएलसी तथा एनसीवीटी/ एससीवीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों से फिटर / कारपेंटर / वेल्डर / प्लम्बर / पाइप फिटर ट्रेडों में आईटीआई। (या) मैट्रिकुलेशन/एसएसएलसी तथा उपरोक्त बताए गए ट्रेडों में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप।

श्रेणी संख्या	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	विभाग	उप विभाग	मेड स्टैंड ई	दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्तता					निर्धारित योग्यता
						वीआई	एच आई	एलडी	ओडी	एमडी	
6	तकनीशियन ग्रेड III डीजल इलेक्ट्रिकल	2	यांत्रिक	डीजल शेड	बी 1	नहीं	डी, एचएच	ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी (बिना एन/एल डीएफ के ), एसआई (बिना एन/एल डीएफ के )	नहीं	हाँ	मैट्रिकुलेशन/एसएसएलसी तथा एनसीवीटी/एससीवीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों से इलेक्ट्रीशियन / मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स / वायरमैन / इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक / मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडों में आईटीआई।(या) मैट्रिकुलेशन/एसएसएल सी तथा उपरोक्त बताए गए ट्रेडों में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप।
7	तकनीशियन ग्रेड III डीजल (मैकेनिकल)	2	यांत्रिक	डीजल शेड	बी 1	नहीं	डी, एचएच	ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी (बिना एन/एल डीएफ के ), एसआई (बिना एन/एल डीएफ के )	नहीं	हाँ	मैट्रिकुलेशन/एसएसएलसी तथा एनसीवीटी/एससीवीटीके मान्यता प्राप्त संस्थानों से फिटर / मैकेनिक डीजल / मैकेनिक (भारी वाहनों की मरम्मत और रखरखाव) / मैकेनिक ऑटोमोबाइल (एडवांस्ड डीजल इंजन) / मैकेनिक मोटर वाहन / ट्रैक्टर मैकेनिक / वेल्डर / पेंटर (जनरल) ट्रेडों में आईटीआई।(या) मैट्रिकुलेशन/एसएसएलसी तथा उपरोक्त बताए गए ट्रेडों में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप।
8	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल / टीआरएस	2	विद्युत	टीआरएस	बी 1	नहीं	डी, एचएच	ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी (बिना एन/एल डीएफ के ), एसआई (बिना एन/एल डीएफ के )	नहीं	हाँ	मैट्रिकुलेशन/एसएसएलसी तथा एनसीवीटी/एससीवीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों से इलेक्ट्रीशियन / वायरमैन / इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक / मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स / मैकेनिक (एचटी, एलटी उपकरण और केबल जॉइंटिंग) / फिटर / वेल्डर / पेंटर (जनरल) / मशीनिस्ट / कारपेंटर ट्रेडों में आईटीआई। (या) मैट्रिकुलेशन/एसएसएल सी तथा उपरोक्त बताए गए ट्रेडों में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप।

श्रेणी संख्या	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	विभाग	उप विभाग	मेड स्टैंड ई	दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्तता					निर्धारित योग्यता
						वीआई	एच आई	एलडी	ओडी	एमडी	
9	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल (जीएस)	2	विद्युत	सामान्य सेवाएं	बी 1	नहीं	डी, एचएच	ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी (बिना एन/एल डीएफ के ), एसआई (बिना एन/एल डीएफ के )	नहीं	हाँ	मैट्रिकुलेशन/एसएसएलसी तथा एनसीवीटी/एससीवीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों से इलेक्ट्रीशियन / वायरमैन / मैकेनिक (एचटी, एलटी उपकरण और केबल ज्वाइंटिंग) / इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेडों में आईटीआई(या) मैट्रिकुलेशन/एसएसएलसी तथा उपरोक्त बताए गए ट्रेडों में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप।
10	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल (टीआरडी)	2	विद्युत	टीआरडी	बी 1	नहीं	डी, एचएच	ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी (बिना एन/एल डीएफ के ), एसआई (बिना एन/एल डीएफ के )	नहीं	हाँ	मैट्रिकुलेशन/ एसएसएलसी तथा एनसीवीटी/एससीवीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों से इलेक्ट्रीशियन / वायरमैन / मैकेनिक (एचटी, एलटी उपकरण और केबल ज्वाइंटिंग) / इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेडों में आईटीआई(या) मैट्रिकुलेशन/एसएसएलसी तथा उपरोक्त बताए गए ट्रेडों में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप।
11	तकनीशियन ग्रेड III ईएमयू	2	विद्युत	ईएमयू	बी 1	नहीं	डी, एचएच	ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी (बिना एन/एल डीएफ के ), एसआई (बिना एन/एल डीएफ के )	नहीं	हाँ	मैट्रिकुलेशन/ एसएसएलसी तथा एनसीवीटी/एससीवीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों से इलेक्ट्रीशियन / वायरमैन / इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक/ मैकेनिक पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स /मैकेनिक (एचटी,एलटी उपकरण और केबल जॉइंटिंग ) / फिटर/वैल्डर/पेंटर (जनरल)/मशीनिस्ट/कारपेंटर/ओपरेटर एडवांस्ड मशीन टूल्स ट्रेडों में आईटीआई(या) मैट्रिकुलेशन एसएसएलसी तथा उपरोक्त बताए गए/ ट्रेडों में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप।

श्रेणी संख्या	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	विभाग	उप विभाग	मेड स्टैंड ई	दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्तता					निर्धारित योग्यता
						वीआई	एच आई	एलडी	ओडी	एमडी	
12	तकनीशियन ग्रेड III फिटर (ओएल)	2	विद्युत	सामान्य सेवाएं	बी 1	बी, एल.वी.	डी, एचए च	ओएल, बीएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी (बिना एन/एल डीएफ के ), एसआई (बिना एन/एल डीएफ के )	नहीं	हाँ	मैट्रिकुलेशन/एसएसएलसी तथा एनसीवीटी/एससीवीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों से फिटर ट्रेड में आईटीआई। (या ) मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी तथा उपरोक्त बताये गए ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप।
13	तकनीशियन ग्रेड III रेफ्रिजरेशन और एयरकंडीशनिंग	2	विद्युत	सामान्य सेवाएं	बी 1	नहीं	डी, एचए च	ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी (बिना एन/एल डीएफके ), एसआई (बिना एन/एल डीएफ के )	नहीं	हाँ	मैट्रिकुलेशन/एसएसएलसी तथा एनसीवीटी/एससीवीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों से रेफ्रिजरेशन और एयरकंडीशनिंग मैकेनिक / इलेक्ट्रीशियन / वायरमैन / इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड्स में आईटीआई। (या) मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी तथा उपरोक्त बताये गए ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप।
14	तकनीशियन ग्रेड III (सिग व दू.)	2	सिग व दू.	सिग्नल	बी 1	नहीं	नहीं	ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी (बिना एन/एल डीएफ के ), एसआई (बिना एन/एल डीएफ के )	नहीं	नहीं	मैट्रिकुलेशन/एसएसएलसी तथा एनसीवीटी/एससीवीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों से इलेक्ट्रीशियन /इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक /वायरमैन ट्रेड में आईटीआई। (या) मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी प्लस उपरोक्त बताये गए ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप। (या) भौतिकी और गणित में 10+2

श्रेणी संख्या	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	विभाग	उप विभाग	मेड स्टैंड ई	दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्तता					निर्धारित योग्यता
						वीआई	एच आई	एलडी	ओडी	एमडी	
15	तकनीशियन ग्रेड III वेल्डर (ओएल)	2	इंजीनियरिंग	पी-वै	बी 1	नहीं	डी, एचएच	ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी (बिना एन/एल डीएफ के), एसआई (बिना एन/एल डीएफ के)	नहीं	हाँ	मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी तथा एनसीवीटी / एससीवीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों से वेल्डर / वेल्डर (गैस और इलेक्ट्रिक) / वेल्डर (स्ट्रक्चरल) / वेल्डर (पाइप) / वेल्डर (टीआईजी / एमआईजी)/ वेल्डर (फैब्रिकेशन एवं फिटिंग ) ट्रेड में आईटीआई। (या) मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी तथा उपरोक्त बताये गए ट्रेड में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप।
16	तकनीशियन ग्रेड III क्रेनचालक	2	यांत्रिक	कार्यशाला	बी 2	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी तथा एनसीवीटी / एससीवीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों से मैकेनिक (मोटर वाहन) / सामग्री हैंडलिंग उपकरण सह ऑपरेटर / क्रेन ऑपरेटर / ऑपरेटर लोकोमोटिव और रेल क्रेन ट्रेड में आईटीआई। (या) मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी तथा उपरोक्त बताये गए ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप।
17	तकनीशियन ग्रेड III कारपेंटर (कार्यशाला)	2	यांत्रिक	कार्यशाला	सी 1	नहीं	डी, एचएच	ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी (बिना एन/एल डीएफके), एसआई (बिना एन/एल डीएफ के )	नहीं	हाँ	मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी तथा एनसीवीटी / एससीवीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों से कारपेंटर / फर्नीचर एवं कैबिनेट मेकर ट्रेड में आईटीआई।(या) मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी तथा उपरोक्त बताये गए ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप।

श्रेणी संख्या	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	विभाग	उप विभाग	मेड स्टैंड ई	दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्तता					निर्धारित योग्यता
						वीआई	एच आई	एलडी	ओडी	एमडी	
18	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल (पीयू और कार्यशाला)	2	विद्युत	उत्पादन इकाई	सी 1	नहीं	डी, एच एच	ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी (बिना एन/एल डीएफ के ), एसआई (बिना एन/एल डीएफ के )	नहीं	हाँ	मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी तथा एनसीवीटी / एससीवीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों से इलेक्ट्रीशियन / वायरमैन / इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक / मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स / मैकेनिक मेकट्रॉनिक्स ट्रेड्स में आईटीआई। (या) मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी तथा उपरोक्त बताये गए ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप।
19	तकनीशियन ग्रेड III फिटर (पीयू और डब्ल्यूएस)	2	विद्युत	कार्यशाला	सी 1	बी, एल.वी.	डी, एचएच	ओएल, बीएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी (बिना एन/एल डीएफ के ), एसआई (बिना एन/एल डीएफ के )	नहीं	हाँ	मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी तथा एनसीवीटी / एससीवीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों से फिटर ट्रेड में आईटीआई।(या) मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी तथा उपरोक्त बताये गए ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप।
20	तकनीशियन ग्रेड III मशीनिस्ट (कार्यशाला)	2	यांत्रिक	कार्यशाला	सी 1	नहीं	नहीं	ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी (बिना एन/एल डीएफ के ), एसआई (बिना एन/एल डी एफ के )	नहीं	नहीं	मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी तथा एनसीवीटी / एससीवीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों से मशीनिस्ट / टर्नर / मशीनिस्ट (ग्राइंडर) / ऑपरेटर एडवांस्ड मशीन टूल ट्रेड्स में आईटीआई। (या) मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी तथा उपरोक्त बताये गए ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप।

श्रेणी संख्या	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	विभाग	उप विभाग	मेड स्टैंड ई	दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्तता					निर्धारित योग्यता
						वीआई	एच आई	एलडी	ओडी	एमडी	
21	तकनीशियन ग्रेड III मैकेनिकल (कार्यशाला)	2	यांत्रिक	कार्यशाला	सी 1	नहीं	डी, एचएच	ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी (बिना एन/एल डीएफ के ), एसआई (बिना एन/एल डीएफ के )	नहीं	हाँ	मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी तथा एनसीवीटी / एससीवीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों से फिटर / वेल्डर / मशीनिस्ट / मशीनिस्ट (ग्राइंडर) / मैकेनिक मेकट्रोनिकस / टर्नर / ऑपरटर एडवांस्ड मशीन टूल्स / सीएनसी प्रोग्रामर सह ऑपरटर ट्रेड में आईटीआई। (या) मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी तथा उपरोक्त बताये गए ट्रेड में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप।
22	तकनीशियन ग्रेड III मिलराइट	2	यांत्रिक	कार्यशाला	सी 1	नहीं	डी, एचएच	ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी (बिना एन/एल डीएफ के ), एसआई(बिना एन/एल डीएफ के )	नहीं	हाँ	मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी तथा एनसीवीटी / एससीवीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों से मिलराइट मेंटेनेंस मैकेनिक / मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस / मैकेनिक एडवांस्ड मशीन टूल मेंटेनेंस ट्रेड्स में आईटीआई। (या) मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी तथा उपरोक्त बताये गए ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप।
23	तकनीशियन ग्रेड III पेंटर (कार्यशाला)	2	यांत्रिक	कार्यशाला	सी 1	नहीं	डी, एचएच	ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी(बिना एन/एल डीएफ के ), एसआई (बिना एन/एल डीएफ के )	नहीं	हाँ	मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी तथा एनसीवीटी / एससीवीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों से पेंटर जनरल / डोमेस्टिक पेंटर / इंडस्ट्रियल पेंटर ट्रेड्स में आईटीआई। (या) मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी तथा उपरोक्त बताये गए ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप।
24	तकनीशियन ग्रेड III ट्रिमर (कार्यशाला)	2	यांत्रिक	कार्यशाला	सी 1	नहीं	डी, एचएच	ओएल, बीएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी (बिना एन/एल डीएफ के ),	नहीं	हाँ	मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी तथा एनसीवीटी / एससीवीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों से टेलर (जनरल) / अपहोल्स्टर / कटिंग&सिविंग / सिविंग टेक्नोलॉजी / ड्रेसमेकिंग / डिजाइनर एंड मास्टर कटर ट्रेड्स में आईटीआई।(या)

								एसआई (बिना एन/एल डीएफ के )			मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी तथा उपरोक्त बताये गए ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप।
25	तकनीशियन ग्रेड III वेल्डर (पीयू और डब्ल्यूएस)	2	यांत्रिक	कार्यशाला	सी 1	नहीं	डी, एच एच	ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी (बिना एन/एलडीएफके ), एसआई (बिना एन/एल डीएफ के )	नहीं	हाँ	मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी तथा एनसीवीटी / एससीवीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों से वेल्डर / वेल्डर (गैस और इलेक्ट्रिक) / वेल्डर (स्ट्रक्चरल) / वेल्डर (पाइप) / वेल्डर (टीआईजी / एमआईजी)/ वेल्डर (फैब्रिकेशन एवं फिटिंग ) ट्रेड्स में आईटीआई। (या) मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी तथा उपरोक्त बताये गए ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप।

आरआरबी एवं जोनवार रिक्तियाँ

आरआरबी अहमदाबाद

श्रेणी सं	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	रेलवे/पीयू	यू आर	एस सी	एस टी	ओ बी सी	ई डब्ल्यू एस	कुल	भू.सै	पीडब्ल्यूबीडी रिक्तियाँ									
											वी आई	एचआई	एलडी	ओडी	एमडी	बैंक - वीआई	बैंक - एचआई	बैंक - एलडी	बैंक-ओडी	बैंक-एमडी
1	तकनीशियन ग्रेड I सिग्नल	5	डब्ल्यूआर	13	5	4	10	5	37	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
3	तकनीशियन ग्रेड III ब्लैकस्मिथ	2	डब्ल्यूआर	35	13	6	21	10	85	9	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0
4	तकनीशियन ग्रेड III ब्रिज	2	डब्ल्यूआर	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	तकनीशियन ग्रेड III डीजल इलेक्ट्रिकल	2	डब्ल्यूआर	2	3	1	1	1	8	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल (जीएस)	2	डब्ल्यूआर	13	3	5	4	6	31	4	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0
13	तकनीशियन ग्रेड III रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग	2	डब्ल्यूआर	1	1	1	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	तकनीशियन ग्रेड III (सिग्नल एवं दूरसंचार)	2	डब्ल्यूआर	2	0	0	3	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	तकनीशियन ग्रेड III वेल्डर (ओएल)	2	डब्ल्यूआर	7	2	0	5	1	15	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	तकनीशियन ग्रेड III फिटर (पीयू एवं डब्ल्यूएस)	2	डब्ल्यूआर	26	6	2	9	2	45	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	तकनीशियन ग्रेड III मशीनिस्ट (कार्यशाला)	2	डब्ल्यूआर	3	0	0	0	3	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	तकनीशियन ग्रेड III मिलराइट	2	डब्ल्यूआर	9	2	0	2	0	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	तकनीशियन ग्रेड III वेल्डर (पीयू एवं डब्ल्यूएस)	2	डब्ल्यूआर	14	3	1	6	3	27	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल तकनीशियन ग्रेड I सिग्नल			13	5	4	10	5	37	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
	कुल तकनीशियन ग्रेड III			114	33	16	52	28	243	25	4	4	2	0	4	0	0	0	0	0
	आरआरबी अहमदाबाद कुल			127	38	20	62	33	280	28	4	4	5	0	4	0	0	0	0	0

आरआरबी अजमेर

श्रेणी सं	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	रेलवे/पीयू	यू आर	एस सी	एस टी	ओ बी सी	ई डब्ल्यू एस	कुल	भू.सै	पीडब्ल्यूबीडी रिक्तियां									
											वी आई	एचआई	एलडी	ओडी	एमडी	बैंक वीआई	बैंक एचआई	बैंक एलडी	बैंक-ओडी	बैंक-एमडी
1	तकनीशियन ग्रेड I सिग्नल	5	एनडब्ल्यूआर	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			डब्ल्यूसीआर	5	3	0	0	1	9	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
6	तकनीशियन ग्रेड III डीजल इलेक्ट्रिकल	2	एनडब्ल्यूआर	5	0	0	0	3	8	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
7	तकनीशियन ग्रेड III डीजल मैकेनिकल	2	एनडब्ल्यूआर	9	0	0	6	1	16	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल (जीएस)	2	एनडब्ल्यूआर	4	2	1	3	2	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल(टीआरडी)	2	एनडब्ल्यूआर	2	1	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	तकनीशियन ग्रेड III फिटर (ओएल)	2	डब्ल्यूसीआर	5	2	0	2	1	10	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	तकनीशियन ग्रेड III (सिग्नल एवं दूरसंचार)	2	एनडब्ल्यूआर	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			डब्ल्यूसीआर	7	2	0	0	1	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	तकनीशियन ग्रेड III वेल्डर (ओएल)	2	डब्ल्यूसीआर	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	तकनीशियन ग्रेड III क्रेन चालक	2	एनडब्ल्यूआर	3	0	1	1	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल (पीयू एवं डब्ल्यूएस)	2	एनडब्ल्यूआर	15	1	1	1	2	20	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
19	तकनीशियन ग्रेड III फिटर (पीयू एवं डब्ल्यूएस)	2	एनडब्ल्यूआर	55	23	7	2	4	91	10	0	2	2	0	1	0	0	0	0	0
20	तकनीशियन ग्रेड III मशीनिस्ट (कार्यशाला)	2	एनडब्ल्यूआर	2	1	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
22	तकनीशियन ग्रेड III मिलराइट	2	एनडब्ल्यूआर	5	4	2	5	3	19	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
23	तकनीशियन ग्रेड III पेंटर (कार्यशाला)	2	एनडब्ल्यूआर	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	तकनीशियन ग्रेड III वेल्डर (पीयू एवं डब्ल्यूएस)	2	एनडब्ल्यूआर	4	4	4	2	1	15	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल तकनीशियन ग्रेड I सिग्नल			5	4	0	0	1	10	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	कुल तकनीशियन ग्रेड III			121	41	16	23	18	219	22	1	5	4	0	1	0	0	0	0	0
	आरआरबी अजमेर कुल			126	45	16	23	19	229	23	1	5	5	0	1	0	0	0	0	0

आरआरबी बंगलुरु

श्रेणी संख्या	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	रेलवे/पीयू	यू आर	एस सी	एस टी	ओ बी सी	ई डब्ल्यू एस	कुल	भू.सै	पीडब्ल्यूबीडी रिक्तियां									
											वी आई	एचआई	एलडी	ओडी	एमडी	बैंक - वीआई	बैंक - एचआई	बैंक - एलडी	बैंक- ओडी	बैंक- एमडी
1	तकनीशियन ग्रेड I सिग्नल	5	एसडब्ल्यूआर	7	2	2	5	2	18	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	तकनीशियन ग्रेड III ट्रेक मशीन	2	एसडब्ल्यूआर	2	1	0	2	1	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	तकनीशियन ग्रेड III ब्लैकस्मिथ	2	एसडब्ल्यूआर	2	0	1	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	तकनीशियन ग्रेड III डीजल इलेक्ट्रिकल	2	एसडब्ल्यूआर	6	3	3	1	1	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	तकनीशियन ग्रेड III डीजल मैकेनिकल	2	एसडब्ल्यूआर	9	9	5	3	3	29	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल (जीएस)	2	एसडब्ल्यूआर	15	5	4	9	3	36	4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
10	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल (टीआरडी)	2	एसडब्ल्यूआर	2	1	0	2	1	6	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
11	तकनीशियन ग्रेड III ईएमयू	2	एसडब्ल्यूआर	5	2	1	5	2	15	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
12	तकनीशियन ग्रेड III फिटर (ओएल)	2	एसडब्ल्यूआर	3	14	9	3	2	31	3	5	5	1	0	0	0	0	0	0	0
13	तकनीशियन ग्रेड III रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग	2	एसडब्ल्यूआर	3	1	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	तकनीशियन ग्रेड III (सिग्नल एवं दूरसंचार)	2	एसडब्ल्यूआर	6	4	4	5	3	22	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	तकनीशियन ग्रेड III वेल्डर (ओएल)	2	एसडब्ल्यूआर	8	1	0	1	0	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल (पीयू एवं डब्ल्यूएस)	2	आरडब्ल्यूएफ	0	3	0	0	2	5	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
19	तकनीशियन ग्रेड III फिटर (पीयू एवं डब्ल्यूएस)	2	एसडब्ल्यूआर	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	तकनीशियन ग्रेड III मशीनिस्ट (कार्यशाला)	2	एसडब्ल्यूआर	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	तकनीशियन ग्रेड III मैकेनिकल (कार्यशाला)	2	एसडब्ल्यूआर	4	1	0	3	1	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	तकनीशियन ग्रेड III मिलराइट	2	एसडब्ल्यूआर	1	1	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	तकनीशियन ग्रेड III पेंटर (कार्यशाला)	2	एसडब्ल्यूआर	7	2	2	5	2	18	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	तकनीशियन ग्रेड III ट्रिंमर (कार्यशाला)	2	एसडब्ल्यूआर	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	तकनीशियन ग्रेड III वेल्डर (पीयू एवं डब्ल्यूएस)	2	एसडब्ल्यूआर	0	1	1	1	3	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	कुल तकनीशियन ग्रेड I सिग्नल			7	2	2	5	2	18	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल तकनीशियन ग्रेड III			74	50	30	45	28	227	22	5	10	5	0	0	0	0	0	0	0
	आरआरबी बंगलुरु कुल			81	52	32	50	30	245	24	5	10	5	0	0	0	0	0	0	0

आरआरबी भोपाल

श्रेणी संख्या	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	रेलवे/पीयू	यू आर	एस सी	एस टी	ओ बी सी	ई डब्ल्यू एस	कुल	भू.सै	पीडब्ल्यूबीडी रिक्तियां									
											वी आई	एचआई	एलडी	ओडी	एमडी	बैंक - वीआई	बैंक - एचआई	बैंक - एलडी	बैंक-ओडी	बैंक-एमडी
1	तकनीशियन ग्रेड I सिग्नल	5	डब्ल्यूसीआर	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			डब्ल्यूआर	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	तकनीशियन ग्रेड III ट्रेक मशीन	2	डब्ल्यूसीआर	13	3	2	6	2	26	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
3	तकनीशियन ग्रेड III ब्लैकस्मिथ	2	डब्ल्यूसीआर	4	1	1	3	1	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			डब्ल्यूआर	6	4	1	4	1	16	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
4	तकनीशियन ग्रेड III ब्रिज	2	डब्ल्यूसीआर	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	तकनीशियन ग्रेड III डीजल इलेक्ट्रिकल	2	डब्ल्यूसीआर	4	1	0	2	1	8	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
7	तकनीशियन ग्रेड III डीजल मैकेनिकल	2	डब्ल्यूसीआर	3	0	1	2	0	6	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
8	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल / टीआरएस	2	डब्ल्यूसीआर	43	8	0	0	5	56	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			डब्ल्यूआर	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल (जीएस)	2	डब्ल्यूसीआर	5	1	0	1	1	8	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल (टीआरडी)	2	डब्ल्यूसीआर	1	0	1	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	तकनीशियन ग्रेड III फिटर (ओएल)	2	डब्ल्यूआर	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			डब्ल्यूसीआर	6	2	0	4	1	13	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	तकनीशियन ग्रेड III रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग	2	डब्ल्यूसीआर	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	तकनीशियन ग्रेड III (सिग्नल एवं दूरसंचार)	2	डब्ल्यूसीआर	10	1	0	5	1	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			डब्ल्यूआर	2	1	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	तकनीशियन ग्रेड III वेल्डर (ओएल)	2	डब्ल्यूसीआर	3	2	1	2	0	8	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
25	तकनीशियन ग्रेड III वेल्डर (पीयू एवं डब्ल्यूएस)	2	डब्ल्यूसीआर	17	6	4	11	4	42	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
कुल तकनीशियन ग्रेड I सिग्नल				3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल तकनीशियन ग्रेड III				121	30	11	43	18	223	21	1	3	2	0	3	0	0	0	0	0
आरआरबी भोपाल कुल				124	30	11	43	18	226	21	1	3	2	0	3	0	0	0	0	0

आरआरबी भुवनेश्वर																				
श्रेणी संख्या	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	रेलवे/पीयू	यू आर	एस सी	एस टी	ओ बी सी	ई डब्ल्यू एस	कुल	भू.सं.	पीडब्ल्यूबीडी रिक्तियां									
											वी आई	एचआई	एलडी	ओडी	एमडी	बैंक -वीआई	बैंक -एचआई	बैंक -एलडी	बैंक -ओडी	बैंक-एमडी
1	तकनीशियन ग्रेड I सिग्नल	5	ईसीओआर	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	तकनीशियन ग्रेड III ट्रैक मशीन	2	ईसीओआर	8	0	1	1	0	10	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
4	तकनीशियन ग्रेड III ब्रिज	2	ईसीओआर	3	1	0	1	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल टीआरएस	2	ईसीओआर	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल (जीएस)	2	ईसीओआर	12	2	1	4	1	20	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
12	तकनीशियन ग्रेड III फिटर (ओएल)	2	ईसीओआर	5	0	0	0	0	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
13	तकनीशियन ग्रेड III रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग	2	ईसीओआर	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	तकनीशियन ग्रेड III (सिग्नल एवं दूरसंचार)	2	ईसीओआर	3	2	0	3	2	10	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
15	तकनीशियन ग्रेड III वेल्डर (ओएल)	2	ईसीओआर	3	0	0	2	0	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
19	तकनीशियन ग्रेड III फिटर (पीयू एवं डब्ल्यूएस)	2	ईसीओआर	21	9	5	14	6	55	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	तकनीशियन ग्रेड III वेल्डर (पीयू एवं डब्ल्यूएस)	2	ईसीओआर	8	3	1	6	2	20	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल तकनीशियन ग्रेड I सिग्नल			0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल तकनीशियन ग्रेड III			65	17	8	32	12	134	12	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0
	आरआरबी भुवनेश्वर कुल			65	17	8	34	12	136	12	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0

आरआरबी बिलासपुर

श्रेणी संख्या	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	रेलवे/पीयू	यू आर	एस सी	एस टी	ओ बी सी	ई डब्ल्यू एस	कुल	भूसै	पीडब्ल्यूबीडी रिक्तियां									
											वी आई	एचआई	एलडी	ओडी	एमडी	बैंक -वीआई	बैंक -एचआई	बैंक -एलडी	बैंक -ओडी	बैंक-एमडी
2	तकनीशियन ग्रेड III ट्रैक मशीन	2	एसईसीआर	2	1	1	1	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	तकनीशियन ग्रेड III कैरिज एवं वैगन	2	एसईसीआर	10	2	1	5	1	19	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
7	तकनीशियन ग्रेड III डीजल मैकेनिकल	2	एसईसीआर	8	3	2	5	1	19	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
8	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल टीआरएस	2	एसईसीआर	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल (जीएस)	2	सीआर	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल (टीआरडी)	2	एसईसीआर	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	तकनीशियन ग्रेड III फिटर (ओएल)	2	सीआर	6	0	2	1	1	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	तकनीशियन ग्रेड III (सिग्नल एवं दूरसंचार)	2	एसईसीआर	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	तकनीशियन ग्रेड III वेल्डर (ओएल)	2	एसईसीआर	6	1	1	2	0	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	तकनीशियन ग्रेड III मैकेनिकल (कार्यशाला)	2	एसईसीआर	33	0	0	0	0	33	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>कुल तकनीशियन ग्रेड III</b>			<b>68</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>102</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>आरआरबी बिलासपुर कुल</b>			<b>68</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>102</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

आरआरबी चंडीगढ़

श्रेणी संख्या	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	रेलवे/पीयू	यू आर	एस सी	एस टी	ओ बी सी	ई डब्ल्यू एस	कुल	भू.सं.	पीडब्ल्यूबीडी रिक्तियां									
											वी आई	एचआई	एलडी	ओडी	एमडी	बैक-वीआई	बैक-एचआई	बैक-एलडी	बैक-ओडी	बैक-एमडी
1	तकनीशियन ग्रेड I सिग्नल	5	एन.आर.	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	तकनीशियन ग्रेड III ट्रेक मशीन	2	एन.आर.	12	4	2	8	3	29	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	तकनीशियन ग्रेड III ब्लैकस्मिथ	2	एन.आर.	2	1	1	1	1	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	तकनीशियन ग्रेड III कैरिज एवं वैगन	2	एन.आर.	21	8	7	13	6	55	6	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
10	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल(टीआरडी)	2	एन.आर.	2	1	0	1	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	तकनीशियन ग्रेड III ईएमयू	2	एन.आर.	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	तकनीशियन ग्रेड III रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग	2	एन.आर.	7	2	1	5	2	17	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
15	तकनीशियन ग्रेड III वेल्डर (ओएल)	2	एन.आर.	5	0	1	1	1	8	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
17	तकनीशियन ग्रेड III कारपेंटर(कार्यशाला)	2	एन.आर.	15	5	2	9	3	34	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
19	तकनीशियन ग्रेड III फिटर (पीयू एवं डब्ल्यूएस)	2	एन.आर.	104	39	21	61	22	247	26	1	2	3	0	3	0	0	0	0	0
20	तकनीशियन ग्रेड III मशीनिस्ट (कार्यशाला)	2	एन.आर.	18	16	4	12	3	53	6	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
22	तकनीशियन ग्रेड III मिलराइट	2	एन.आर.	4	2	1	3	1	11	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
24	तकनीशियन ग्रेड III ट्रिस्मर (कार्यशाला)	2	एन.आर.	7	2	1	4	2	16	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
25	तकनीशियन ग्रेड III वेल्डर (पीयू एवं डब्ल्यूएस)	2	एन.आर.	8	4	8	5	1	26	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल तकनीशियन ग्रेड I सिग्नल			1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल तकनीशियन ग्रेड III			205	84	52	123	46	510	55	1	7	8	0	4	0	0	0	0	0
	आरआरबी चंडीगढ़ कुल			206	84	52	124	46	512	55	1	7	8	0	4	0	0	0	0	0

आरआरबी चेन्नई

श्रेणी संख्या	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	रेलवे/पीयू	यू आर	एस सी	एस टी	ओ बी सी	ई डब्ल्यू एस	कुल	भूसै	पीडब्ल्यूबीडी रिक्तियां									
											वी आई	एचआई	एलडी	ओडी	एमडी	बैक-वीआई	बैक-एचआई	बैक-एलडी	बैक-ओडी	बैक-एमडी
1	तकनीशियन ग्रेड I सिग्नल	5	एसआर	3	4	2	9	1	19	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	तकनीशियन ग्रेड III ट्रैक मशीन	2	एसआर	3	1	1	1	1	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	तकनीशियन ग्रेड III कैरिज एवं वैगन	2	एसआर	26	9	4	20	6	65	7	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0
6	तकनीशियन ग्रेड III डीजल इलेक्ट्रिकल	2	एसआर	4	7	8	0	1	20	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
7	तकनीशियन ग्रेड III डीजल मैकेनिकल	2	एसआर	4	6	8	3	1	22	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
8	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल / टीआरएस	2	एसआर	14	15	6	13	8	56	6	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0
9	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल (जीएस)	2	एसआर	15	9	6	10	4	44	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
10	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल (टीआरडी)	2	एसआर	8	2	1	3	1	15	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
13	तकनीशियन ग्रेड III रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग	2	एसआर	9	2	0	4	1	16	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
14	तकनीशियन ग्रेड III (सिग्नल एवं दूरसंचार)	2	एसआर	16	6	2	6	3	33	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
15	तकनीशियन ग्रेड III वेल्डर (ओएल)	2	एसआर	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	तकनीशियन ग्रेड III कारपेंटर	2	आईसीएफ	47	17	9	31	12	116	12	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0
18	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल (पीयू एवं डब्ल्यूएस)	2	आईसीएफ	0	0	0	7	6	13	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		2	एसआर	3	0	1	2	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	तकनीशियन ग्रेड III फिटर (पीयू एवं डब्ल्यूएस)	2	आईसीएफ	0	0	7	0	0	7	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	एसआर	31	4	6	13	3	57	6	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
20	तकनीशियन ग्रेड III मशीनिस्ट	2	आईसीएफ	5	2	1	4	1	13	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
23	तकनीशियन ग्रेड III पेंटर (कार्यशाला)	2	आईसीएफ	7	2	1	4	2	16	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
25	तकनीशियन ग्रेड III वेल्डर (पीयू एवं डब्ल्यूएस)	2	आईसीएफ	29	11	5	19	7	71	7	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0
		2	एसआर	8	2	1	1	0	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>कुल तकनीशियन ग्रेड I सिग्नल</b>				<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>कुल तकनीशियन ग्रेड III</b>				<b>230</b>	<b>96</b>	<b>67</b>	<b>141</b>	<b>57</b>	<b>591</b>	<b>59</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>आरआरबी चेन्नई कुल</b>				<b>233</b>	<b>100</b>	<b>69</b>	<b>150</b>	<b>58</b>	<b>610</b>	<b>61</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

आरआरबी गोरखपुर

श्रेणी संख्या	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	रेलवे/पीयू	यू आर	एस सी	एस टी	ओ बी सी	ई डब्ल्यू एस	कुल	भू.सं	पीडब्ल्यूबीडी रिक्तियां									
											वी आई	एचआई	एलडी	ओडी	एमडी	बैक-वीआई	बैक-एचआई	बैक-एलडी	बैक-ओडी	बैक-एमडी
1	तकनीशियन ग्रेड I सिग्नल	5	एनईआर	3	1	1	0	1	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	तकनीशियन ग्रेड III ब्लैकस्मिथ	2	एनईआर	5	1	0	2	1	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	तकनीशियन ग्रेड III ब्रिज	2	एनईआर	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	तकनीशियन ग्रेड III डीजल इलेक्ट्रिकल	2	एनईआर	11	0	1	5	3	20	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
7	तकनीशियन ग्रेड III डीजल मैकेनिकल	2	एनईआर	7	2	1	6	4	20	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
9	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल (जीएस)	2	एनईआर	7	2	1	6	2	18	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
10	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल (टीआरडी)	2	एनईआर	4	1	1	1	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	तकनीशियन ग्रेड III फिटर (ओएल)	2	एनईआर	20	6	3	10	4	43	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
13	तकनीशियन ग्रेड III रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग	2	एनईआर	6	2	1	2	0	11	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
14	तकनीशियन ग्रेड III (सिग्नल एवं दूरसंचार)	2	एनईआर	6	4	1	3	1	15	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
16	तकनीशियन ग्रेड III क्रेन चालक	2	एनईआर	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	तकनीशियन ग्रेड III फिटर (पीयू एवं डब्ल्यूएस)	2	एनईआर	4	2	1	3	1	11	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
23	तकनीशियन ग्रेड III पेंटर (कार्यशाला)	2	एनईआर	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	तकनीशियन ग्रेड III टिमर (कार्यशाला)	2	एनईआर	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	तकनीशियन ग्रेड III वेल्डर (कार्यशाला)	2	एनईआर	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल तकनीशियन ग्रेड I सिग्नल			3	1	1	0	1	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल तकनीशियन ग्रेड III			77	20	11	39	16	163	15	2	4	6	0	1	0	0	0	0	0
	आरआरबी गोरखपुर कुल			80	21	12	39	17	169	16	2	4	6	0	1	0	0	0	0	0

आरआरबी गुवाहाटी

श्रेणी संख्या	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	रेलवे/पीयू	यू आर	एस सी	एस टी	ओ बी सी	ई डब्ल्यू एस	कुल	भू.सै	पीडब्ल्यूबीडी रिक्तियां									
											वी आई	एचआई	एलडी	ओडी	एमडी	बैंक-वीआई	बैंक-एचआई	बैंक-एलडी	बैंक-ओडी	बैंक-एमडी
1	तकनीशियन ग्रेड I सिग्नल	5	एनएफआर	4	2	1	3	1	11	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	तकनीशियन ग्रेड III ट्रेक मशीन	2	एनएफआर	8	3	1	5	2	19	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
4	तकनीशियन ग्रेड III ब्रिज	2	एनएफआर	3	1	2	2	0	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	तकनीशियन ग्रेड III कैरिज एवं वैगन	2	एनएफआर	21	9	5	15	8	58	6	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
6	तकनीशियन ग्रेड III डीजल इलेक्ट्रिकल	2	एनएफआर	12	5	2	9	5	33	3	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
7	तकनीशियन ग्रेड III डीजल मैकेनिकल	2	एनएफआर	22	8	4	15	5	54	5	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
9	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल (जीएस)	2	एनएफआर	10	5	2	9	5	31	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
12	तकनीशियन ग्रेड III फिटर (ओएल)	2	एनएफआर	5	3	2	5	3	18	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	तकनीशियन ग्रेड III (सिग्नल एवं दूरसंचार)	2	एनएफआर	6	7	4	3	1	21	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
15	तकनीशियन ग्रेड III वेल्डर (ओएल)	2	एनएफआर	1	1	1	2	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल (पीयू एवं डब्ल्यूएस)	2	एनएफआर	2	1	0	1	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	तकनीशियन ग्रेड III फिटर (पीयू एवं डब्ल्यूएस)	2	एनएफआर	64	24	12	43	14	157	16	3	2	1	0	1	0	0	0	0	0
20	तकनीशियन ग्रेड III मशीनिस्ट (कार्यशाला)	2	एनएफआर	2	1	0	1	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	तकनीशियन ग्रेड III मिलराइट	2	एनएफआर	13	4	2	8	3	30	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
25	तकनीशियन ग्रेड III वेल्डर (पीयू एवं डब्ल्यूएस)	2	एनएफआर	2	1	0	1	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल तकनीशियन ग्रेड I सिग्नल			4	2	1	3	1	11	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	कुल तकनीशियन ग्रेड III			171	73	37	119	50	450	47	3	6	3	0	5	0	0	0	0	0
	आरआरबी गुवाहाटी कुल			175	75	38	122	51	461	48	3	6	4	0	5	0	0	0	0	0

आरआरबी जम्मू-श्रीनगर

श्रेणी संख्या	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	रेलवे/पीयू	यू आर	एस सी	एस टी	ओ बी सी	ई डब्ल्यू एस	कुल	भू.सं	पीडब्ल्यूबीडी रिक्तियां									
											वी आई	एचआई	एलडी	ओडी	एमडी	बैंक-वीआई	बैंक-एचआई	बैंक-एलडी	बैंक-ओडी	बैंक-एमडी
6	तकनीशियन ग्रेड III डीजल इलेक्ट्रिकल	2	एनआर.	2	1	1	2	1	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	तकनीशियन ग्रेड III डीजल मैकेनिकल	2	एनआर.	3	2	1	3	1	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल / टीआरएस	2	एनआर.	2	0	2	1	2	7	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
9	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल(जीएस)	2	एनआर.	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल तकनीशियन ग्रेड III			9	3	4	6	4	26	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	आरआरबी जम्मू-श्रीनगर कुल			9	3	4	6	4	26	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

**अनुलग्नक बी**

आरआरबी कोलकाता																					
श्रेणी संख्या	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	रेलवे/पीसी	यू आर	एस सी	एस टी	ओ बी सी	ई डब्ल्यू एस	कुल	भू.सै	पीडब्ल्यूबीडी रिक्तियां										
											वी आई	एचआई	एलडी	ओडी	एमडी	बैक-वीआई	बैक-एचआई	बैक-एलडी	बैक-ओडी	बैक-एमडी	
1	तकनीशियन ग्रेड I सिग्नल	5	ईआर	4	2	2	3	1	12	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
			एसईआर	7	2	2	4	2	17	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	तकनीशियन ग्रेड III टैंक मशीन	2	ईआर	1	4	2	0	1	8	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
			एसईआर	7	3	1	5	2	18	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3	तकनीशियन ग्रेड III ब्लैकस्मिथ	2	ईआर	1	1	0	1	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
			एसईआर	2	0	1	2	1	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	तकनीशियन ग्रेड III डीजल मैकेनिकल	2	एसईआर	15	6	3	10	4	38	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
9	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल (जीएस)	2	ईआर	3	1	2	1	1	8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
			एसईआर	5	4	2	3	2	16	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल (टीआरडी)	2	ईआर	8	2	1	4	1	16	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
11	तकनीशियन ग्रेड III ईएमयू	2	ईआर	2	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
			एसईआर	2	1	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	तकनीशियन ग्रेड III फिटर (ओएल)	2	ईआर	13	6	3	9	3	34	3	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	
			एसईआर	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	तकनीशियन ग्रेड III रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग	2	ईआर	2	1	1	0	1	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	तकनीशियन ग्रेड III (सिग्नल एवं दूरसंचार)	2	ईआर	3	2	1	7	3	16	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
			एसईआर	7	2	1	4	1	15	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
18	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल (पीयू एवं डब्ल्यूएस)	2	ईआर	2	0	1	1	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
19	तकनीशियन ग्रेड III फिटर (पीयू एवं डब्ल्यूएस)	2	सीएलडब्ल्यू	25	9	4	16	5	59	6	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
			ईआर	26	10	9	12	8	65	7	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			एसईआर	32	12	6	21	8	79	8	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
24	तकनीशियन ग्रेड III ट्रिगर (कार्यशाला)	2	एसईआर	5	2	1	4	1	13	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
25	तकनीशियन ग्रेड III वेल्डर (पीयू एवं डब्ल्यूएस)	2	सीएलडब्ल्यू	11	4	2	7	2	26	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
			ईआर	18	2	9	16	13	58	6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
			एसईआर	23	9	4	16	6	58	6	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल तकनीशियन ग्रेड I सिग्नल				11	4	4	7	3	29	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	
कुल तकनीशियन ग्रेड III				213	81	54	141	63	552	55	3	10	16	0	2	0	0	0	0	0	
आरआरबी कोलकाता कुल				224	85	58	148	66	581	58	3	10	19	0	2	0	0	0	0	0	

आरआरबी मालदा

श्रेणी संख्या	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	रेलवे/पीयी	यू आर	एस सी	एस टी	ओ बी सी	ई डब्ल्यू एस	कुल	भू.सै	पीडब्ल्यूबीडी रिक्तियां									
											वी आई	एचआई	एलडी	ओडी	एमडी	बैंक-वीआई	बैंक-एचआई	बैंक-एलडी	बैंक-ओडी	बैंक-एमडी
1	तकनीशियन ग्रेड I सिगनल	5	ईआर	3	2	2	0	2	9	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
			एसईआर	6	2	1	4	1	14	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
3	तकनीशियन ग्रेड III ब्लैकस्मिथ	2	ईआर	3	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			एसईआर	2	1	0	1	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	तकनीशियन ग्रेड III ब्रिज	2	ईआर	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			एसईआर	2	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	तकनीशियन ग्रेड III डीजल इलेक्ट्रिकल	2	ईआर	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			एसईआर	3	1	0	1	1	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	तकनीशियन ग्रेड III डीजल मैकेनिकल	2	ईआर	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			एसईआर	3	1	1	2	1	8	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
8	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल / टीआरएस	2	ईआर	5	0	0	3	1	9	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
9	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल (जीएस)	2	ईआर	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल( टीआरडी)	2	ईआर	3	2	0	0	1	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	तकनीशियन ग्रेड III फिटर (ओएल)	2	ईआर	17	1	2	1	3	24	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	
			एसईआर	15	2	0	9	3	29	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
14	तकनीशियन ग्रेड III (सिगनल एवं दूरसंचार)	2	एसईआर	5	2	2	3	2	14	2	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	तकनीशियन ग्रेड III वेल्डर (ओएल)	2	ईआर	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			एसईआर	1	0	1	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>कुल तकनीशियन ग्रेड I सिगनल</b>				<b>9</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>23</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>कुल तकनीशियन ग्रेड III</b>				<b>67</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>22</b>	<b>13</b>	<b>119</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>आरआरबी मालदा कुल</b>				<b>76</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>26</b>	<b>16</b>	<b>142</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

आरआरबी मुम्बई

श्रेणी संख्या	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	रेलवे/पीपी	यू आर	एस सी	एस टी	ओ बी सी	ई डब्ल्यू एस	कुल	भू.सं.	पीडब्ल्यूबीडी रिक्रिया										
											वी आई	एचआई	एलडी	ओडी	एमडी	बैंक-वीआई	बैंक-एचआई	बैंक-एलडी	बैंक-ओडी	बैंक-एमडी	
1	तकनीशियन ग्रेड I सिग्नल	5	सीआर	6	3	1	5	2	17	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			एससीआर	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			डब्ल्यूआर	20	5	2	10	3	40	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2	तकनीशियन ग्रेड III ट्रेक मशीन	2	सीआर	13	5	2	8	3	31	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
			डब्ल्यूआर	6	0	1	2	1	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	तकनीशियन ग्रेड III ब्लैकस्मिथ	2	सीआर	6	2	0	1	0	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			डब्ल्यूआर	23	9	4	16	7	59	6	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
4	तकनीशियन ग्रेड III ब्रिज	2	डब्ल्यूआर	1	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	तकनीशियन ग्रेड III डीजल इलेक्ट्रिकल	2	डब्ल्यूआर	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल / टीआरएस	2	डब्ल्यूआर	4	2	0	1	0	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल (जीएस)	2	डब्ल्यूआर	9	1	0	4	0	14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल (टीआरडी)	2	सीआर	6	3	2	4	2	17	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
			डब्ल्यूआर	1	3	1	2	1	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	तकनीशियन ग्रेड III ईएमयू	2	सीआर	38	14	7	25	9	93	9	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	
			डब्ल्यूआर	11	3	0	12	0	26	3	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
12	तकनीशियन ग्रेड III फिटर (ओएल)	2	सीआर	22	8	5	11	6	52	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	तकनीशियन ग्रेड III रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग	2	सीआर	8	3	1	5	2	19	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
			डब्ल्यूआर	11	7	3	12	3	36	4	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
14	तकनीशियन ग्रेड III (सिग्नल एवं दूरसंचार)	2	सीआर	10	3	2	3	3	21	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
			डब्ल्यूआर	1	3	0	1	2	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	तकनीशियन ग्रेड III वेल्डर (ओएल)	2	सीआर	4	2	1	2	2	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			डब्ल्यूआर	5	2	1	1	0	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	तकनीशियन ग्रेड III ब्रेन चालक	2	सीआर	2	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			डब्ल्यूआर	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	तकनीशियन ग्रेड III कारपेंटर (कार्यशाला)	2	सीआर	32	12	6	21	8	79	8	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	
18	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल) पीयू एवं डब्ल्यूएस(	2	सीआर	30	9	4	17	4	64	7	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	
			डब्ल्यूआर	4	1	1	2	1	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	तकनीशियन ग्रेड III फिटर (पीयू एवं डब्ल्यूएस)	2	सीआर	78	27	12	46	18	181	18	5	2	0	0	1	0	0	0	0		
20	तकनीशियन ग्रेड III मशीनिस्ट (कार्यशाला)	2	सीआर	6	3	2	5	2	18	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
22	तकनीशियन ग्रेड III मिलराइट	2	सीआर	29	10	6	19	7	71	7	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	
			डब्ल्यूआर	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	तकनीशियन ग्रेड III पेंटर (कार्यशाला)	2	सीआर	15	5	2	10	3	35	3	0	1	0	0	1	0	0	0	0		
24	तकनीशियन ग्रेड III ट्रिपर (कार्यशाला)	2	सीआर	5	2	1	4	1	13	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
25	तकनीशियन ग्रेड III वेल्डर (कार्यशाला)	2	सीआर	50	19	9	33	13	124	13	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	
			डब्ल्यूआर	0	1	1	2	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>कुल तकनीशियन ग्रेड I सिग्नल</b>				<b>26</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>59</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>कुल तकनीशियन ग्रेड III</b>				<b>432</b>	<b>160</b>	<b>74</b>	<b>272</b>	<b>99</b>	<b>1037</b>	<b>108</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>आरआरबी मुम्बई कुल</b>				<b>458</b>	<b>168</b>	<b>79</b>	<b>287</b>	<b>104</b>	<b>1096</b>	<b>114</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

आरआरबी मुजफ्फरपुर

श्रेणी संख्या	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	रेलवे/पीयू	यू आर	एस सी	एस टी	ओ बी सी	ई डब्ल्यू एस	कुल	भू.से	पीडब्ल्यूबीडी रिक्तियां									
											वी आई	एचआई	एलडी	ओडी	एमडी	बैंक-वीआई	बैंक-एचआई	बैंक-एलडी	बैंक-ओडी	बैंक-एमडी
1	तकनीशियन ग्रेड I सिग्नल	5	ईसीआर	9	3	2	6	2	22	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
3	तकनीशियन ग्रेड III ब्लैकस्मिथ	2	ईसीआर	8	2	2	4	1	17	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	तकनीशियन ग्रेड III कैरिज एवं वैगन	2	ईसीआर	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल / टीआरएस	2	ईसीआर	5	2	1	3	1	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल (जीएस)	2	ईसीआर	1	1	2	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	तकनीशियन ग्रेड III फिटर (ओएल)	2	ईसीआर	18	6	4	11	4	43	4	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0
14	तकनीशियन ग्रेड III (सिग्नल एवं दूरसंचार)	2	ईसीआर	1	1	1	1	1	5	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
15	तकनीशियन ग्रेड III वेल्डर (ओएल)	2	ईसीआर	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल तकनीशियन ग्रेड I सिग्नल			9	3	2	6	2	22	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	कुल तकनीशियन ग्रेड III			35	12	12	19	8	86	8	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0
	आरआरबी मुजफ्फरपुर कुल			44	15	14	25	10	108	10	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0

आरआरबी पटना

श्रेणी संख्या	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	रेलवे/पीयू	यू आर	एस सी	एस टी	ओ बी सी	ई डब्ल्यू एस	कुल	भू.से	पीडब्ल्यूबीडी रिक्तियां									
											वी आई	एचआई	एलडी	ओडी	एमडी	बैंक-वीआई	बैंक-एचआई	बैंक-एलडी	बैंक-ओडी	बैंक-एमडी
1	तकनीशियन ग्रेड I सिग्नल	5	ईसीआर	1	1	0	4	0	6	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
3	तकनीशियन ग्रेड III ब्लैकस्मिथ	2	ईसीआर	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	तकनीशियन ग्रेड III कैरिज एवं वैगन	2	ईसीआर	0	0	7	0	0	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	तकनीशियन ग्रेड III डीजल मैकेनिकल	2	ईसीआर	2	1	0	1	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल (टीआरडी)	2	ईसीआर	2	2	1	0	1	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	तकनीशियन ग्रेड III (सिग्नल एवं दूरसंचार)	2	ईसीआर	6	2	1	4	1	14	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
15	तकनीशियन ग्रेड III वेल्डर (ओएल)	2	ईसीआर	3	1	0	1	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
19	तकनीशियन ग्रेड III फिटर (पीयू एवं डब्ल्यूएस)	2	ईसीआर	1	0	1	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	तकनीशियन ग्रेड III मैकेनिकल (कार्यशाला)	2	ईसीआर	0	0	5	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	तकनीशियन ग्रेड III वेल्डर (पीयू एवं डब्ल्यूएस)	2	ईसीआर	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल तकनीशियन ग्रेड I सिग्नल			1	1	0	4	0	6	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	कुल तकनीशियन ग्रेड III			18	6	15	7	3	49	5	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	आरआरबी पटना कुल			19	7	15	11	3	55	6	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0

आरआरबी प्रयागराज

श्रेणी संख्या	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	रेलवे/पीयू	यू आर	एस सी	एस टी	ओ बी सी	ई डब्ल्यू एस	कुल	भू.सं.	पीडब्ल्यूबीडी रिक्तियां									
											वी आई	एचआई	एलडी	ओडी	एमडी	बैंक-वीआई	बैंक-एचआई	बैंक-एलडी	बैंक-ओडी	बैंक-एमडी
1	तकनीशियन ग्रेड I सिग्नल	5	एनसीआर	4	0	1	3	2	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			एनआर	1	3	1	4	1	10	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
3	तकनीशियन ग्रेड III ब्लैकस्मिथ	2	एनसीआर	10	3	3	6	1	23	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
4	तकनीशियन ग्रेड III ब्रिज	2	एनसीआर	2	1	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल ( टीआरडी)	2	एनसीआर	5	0	0	4	1	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	तकनीशियन ग्रेड III फिटर (ओएल)	2	एनसीआर	3	1	1	1	1	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	तकनीशियन ग्रेड III (सिग्नल एवं दूरसंचार)	2	एनसीआर	21	6	2	7	2	38	4	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
15	तकनीशियन ग्रेड III वेल्डर (ओएल)	2	एनसीआर	9	2	1	4	1	17	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
16	तकनीशियन ग्रेड III क्रेनचालक	2	बीएलडब्ल्यू	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	तकनीशियन ग्रेड III मशीनिस्ट (कार्यशाला)	2	एनसीआर	6	2	1	3	1	13	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
21	तकनीशियन ग्रेड III मैकेनिकल (कार्यशाला)	2	एनसीआर	65	22	10	39	10	146	15	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0
25	तकनीशियन ग्रेड III वेल्डर (पीयू एवं डब्ल्यूएस)	2	बीएलडब्ल्यू	0	1	1	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल तकनीशियन ग्रेड I सिग्नल			5	3	2	7	3	20	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	कुल तकनीशियन ग्रेड III			122	39	19	65	17	262	26	0	4	9	0	1	0	0	0	0	0
	आरआरबी प्रयागराज कुल			127	42	21	72	20	282	28	0	4	10	0	1	0	0	0	0	0

आरआरबी रांची

श्रेणी संख्या	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	रेलवे/पीयू	यू आर	एस सी	एस टी	ओ बी सी	ई डब्ल्यू एस	कुल	भू.सै	पीडब्ल्यूबीडी रिक्तियां									
											वी आई	एचआई	एलडी	ओडी	एमडी	बैंक-वीआई	बैंक-एचआई	बैंक-एलडी	बैंक-ओडी	बैंक-एमडी
1	तकनीशियन ग्रेड I सिग्नल	5	ईसीआर	2	0	0	1	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
			एसईआर	5	4	1	3	1	14	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
3	तकनीशियन ग्रेड III ब्लैकस्मिथ	2	ईसीआर	4	1	0	3	1	9	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
			एसईआर	2	1	0	1	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	तकनीशियन ग्रेड III ब्रिज	2	एसईआर	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	तकनीशियन ग्रेड III डीजल इलेक्ट्रिकल	2	ईसीआर	3	0	0	1	0	4	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
			एसईआर	9	8	2	8	3	30	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
7	तकनीशियन ग्रेड III डीजल मैकेनिकल	2	एसईआर	6	15	5	4	3	33	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
8	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल/ टीआरएस	2	एसईआर	40	15	7	27	10	99	10	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0
9	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल (जीएस)	2	एसईआर	4	2	1	1	1	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल (टीआरडी)	2	एसईआर	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	तकनीशियन ग्रेड III फिटर (ओएल)	2	ईसीआर	4	0	0	1	0	5	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0
			एसईआर	6	3	1	3	1	14	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
14	तकनीशियन ग्रेड III (सिग्नल एवं दूरसंचार)	2	एसईआर	5	3	0	3	0	11	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
15	तकनीशियन ग्रेड III वेल्डर (ओएल)	2	ईसीआर	1	0	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
			एसईआर	2	1	0	1	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल तकनीशियन ग्रेड I सिग्नल			7	4	1	4	1	17	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	कुल तकनीशियन ग्रेड III			89	49	16	55	21	230	23	1	7	8	0	2	0	0	0	0	0
	आरआरबी रांची कुल			96	53	17	59	22	247	25	1	7	10	0	2	0	0	0	0	0

आरआरबी सिकंदराबाद

श्रेणी संख्या	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	रेलवे/पीयू	यू आर	एस सी	एस टी	ओ बी सी	ई डब्ल्यू एस	कुल	भू.सं.	पीडब्ल्यूबीडी रिक्तियां									
											वी आई	एचआई	एलडी	ओडी	एमडी	बैंक-वीआई	बैंक-एचआई	बैंक-एलडी	बैंक-ओडी	बैंक-एमडी
1	तकनीशियन ग्रेड I सिग्नल	5	एससीआर	1	1	1	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	तकनीशियन ग्रेड III ब्लैकस्मिथ	2	एससीआर	4	1	1	2	1	9	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
4	तकनीशियन ग्रेड III ब्रिज	2	ईसीओआर	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	तकनीशियन ग्रेड III कैरिज एवं वैगन	2	एससीआर	21	5	2	10	9	47	5	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
6	तकनीशियन ग्रेड III डीजल इलेक्ट्रिकल	2	एससीआर	6	1	2	8	9	26	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
7	तकनीशियन ग्रेड III डीजल मैकेनिकल	2	एससीआर	19	10	9	12	12	62	6	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0
8	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल / टीआरएस	2	एससीआर	2	3	1	7	4	17	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
9	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल (जीएस)	2	एससीआर	3	1	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल (टीआरडी)	2	एससीआर	6	1	2	1	1	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	तकनीशियन ग्रेड III फिटर (ओएल)	2	ईसीओआर	1	9	13	2	4	29	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
			एससीआर	3	2	2	8	2	17	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
15	तकनीशियन ग्रेड III वेल्डर (ओएल)	2	ईसीओआर	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल (पीयू एवं डब्ल्यूएस)	2	एससीआर	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	तकनीशियन ग्रेड III फिटर (पीयू एवं डब्ल्यूएस)	2	एससीआर	19	7	4	13	5	48	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
20	तकनीशियन ग्रेड III मशीनिस्ट (कार्यशाला)	2	एससीआर	3	2	1	3	1	10	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
22	तकनीशियन ग्रेड III मिलराइट	2	एससीआर	9	3	2	6	2	22	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
23	तकनीशियन ग्रेड III पेंटर (कार्यशाला)	2	एससीआर	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	तकनीशियन ग्रेड III वेल्डर (पीयू एवं डब्ल्यूएस)	2	एससीआर	34	13	6	23	8	84	8	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	कुल तकनीशियन ग्रेड I सिग्नल			1	1	1	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल तकनीशियन ग्रेड III			135	60	46	96	58	395	38	1	6	10	0	2	0	0	0	0	0
	आरआरबी सिकंदराबाद कुल			136	61	47	97	58	399	38	1	6	10	0	2	0	0	0	0	0

आरआरबी सिलीगुड़ी

श्रेणी संख्या	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	रेलवे/ पीयू	यू आर	एस सी	एस टी	ओ बी सी	ई डब्ल्यू एस	कुल	भू.सं.	पीडब्ल्यूबीडी रिक्तियां									
											वी आई	एच आई	एल डी	ओ डी	एम डी	बैक-वीआई	बैक-एचआई	बैक-एलडी	बैक-ओडी	बैक-एमडी
1	तकनीशियन ग्रेड I सिग्नल	5	एनएफआर	5	2	1	4	2	14	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
3	तकनीशियन ग्रेड III ब्लैकस्मिथ	2	एनएफआर	7	3	2	6	2	20	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	तकनीशियन ग्रेड III कैरिज एवं वैगन	2	एनएफआर	5	2	1	4	1	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	तकनीशियन ग्रेड III डीजल इलेक्ट्रिकल	2	एनएफआर	6	2	2	4	2	16	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
7	तकनीशियन ग्रेड III डीजल मैकेनिकल	2	एनएफआर	7	3	2	6	2	20	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
9	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल (जीएस)	2	एनएफआर	10	3	2	6	2	23	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
12	तकनीशियन ग्रेड III फिटर (ओएल)	2	एनएफआर	33	12	7	22	9	83	9	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	तकनीशियन ग्रेड III रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग	2	एनएफआर	14	5	2	9	3	33	3	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
14	तकनीशियन ग्रेड III (सिग्नल एवं दूरसंचार )	2	एनएफआर	2	1	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	तकनीशियन ग्रेड III वेल्डर (ओएल)	2	एनएफआर	5	3	1	4	1	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>कुल तकनीशियन ग्रेड I सिग्नल</b>			<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>कुल तकनीशियन ग्रेड III</b>			<b>89</b>	<b>34</b>	<b>19</b>	<b>62</b>	<b>22</b>	<b>226</b>	<b>22</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>आरआरबी सिलीगुड़ी कुल</b>			<b>94</b>	<b>36</b>	<b>20</b>	<b>66</b>	<b>24</b>	<b>240</b>	<b>24</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

आरआरबी तिरुवनंतपुरम

श्रेणी संख्या	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	रेलवे/ पीयू	यू आर	एस सी	एस टी	ओ बी सी	ई डब्ल्यू एस	कुल	भू.सं.	पीडब्ल्यूबीडी रिक्रियां									
											वी आई	एच आई	एल डी	ओ डी	एम डी	बैंक-वीआई	बैंक-एचआई	बैंक-एलडी	बैंक-ओडी	बैंक-एमडी
1	तकनीशियन ग्रेड I सिग्नल	5	एसआर	7	2	8	2	2	21	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	तकनीशियन ग्रेड III ट्रेक मशीन	2	एसआर	1	1	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	तकनीशियन ग्रेड III ब्लैकस्मिथ	2	एसआर	3	0	1	1	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	तकनीशियन ग्रेड III कैरिज एवं वैगन	2	एसआर	96	32	15	67	25	235	24	0	4	2	0	3	0	0	0	0	0
6	तकनीशियन ग्रेड III डीजल इलेक्ट्रिकल	2	एसआर	2	0	0	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	तकनीशियन ग्रेड III डीजल मैकेनिकल	2	एसआर	1	1	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल (जीएस)	2	एसआर	17	6	3	11	6	43	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
10	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल (टीआरडी)	2	एसआर	10	6	5	8	5	34	3	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
11	तकनीशियन ग्रेड III ईएमयू	2	एसआर	1	1	0	1	1	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
13	तकनीशियन ग्रेड III रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग	2	एसआर	5	2	1	4	1	13	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
14	तकनीशियन ग्रेड III (सिग्नल एवं दूरसंचार)	2	एसआर	11	4	9	7	3	34	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
15	तकनीशियन ग्रेड III वेल्डर (ओएल)	2	एसआर	6	0	4	2	0	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल तकनीशियन ग्रेड I सिग्नल			7	2	8	2	2	21	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल तकनीशियन ग्रेड III			153	53	39	104	41	390	40	0	7	11	0	3	0	0	0	0	0
	आरआरबी तिरुवनंतपुरम कुल			160	55	47	106	43	411	42	0	7	11	0	3	0	0	0	0	0
	सभी आरआरबी कुल तकनीशियन ग्रेड I सिग्नल			120	50	37	84	32	323	32	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0
	सभी आरआरबी कुल तकनीशियन ग्रेड III			2608	959	560	1481	626	6234	629	39	103	125	0	45	0	0	0	0	0
	सभी आरआरबी कुल योग			2728	1009	597	1565	658	6557	661	39	103	143	0	45	0	0	0	0	0

सीईएन संख्या 02/2026 की विलयित पोस्ट श्रेणियों का विवरण

श्रेणी संख्या	मूल पद का नाम (विलय से पहले)	विभाग	उप-विभाग	7वें सीपीसी में स्तर	पद का नाम (यथा अधिसूचित)
9	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल जी एस	विद्युतीय	सामान्य सेवाएं	2	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल (जीएस)
	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल / पावर	विद्युतीय	सामान्य सेवाएं		
	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल / ट्रेन लाईटिंग	विद्युतीय	सामान्य सेवाएं		
10	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल / टीआरडी )	विद्युतीय	टीआरडी	2	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल ( टीआरडी)
	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल/ टीआरडी ( ओएचई )	विद्युतीय	टीआरडी		
	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल/ टीआरडी ( पीएसआई )	विद्युतीय	टीआरडी		
12	तकनीशियन ग्रेड III फिटर	विद्युतीय	सामान्य सेवाएं	2	तकनीशियन ग्रेड III फिटर (ओएल)
	तकनीशियन ग्रेड III फिटर	इंजीनियरिंग	वर्क्स		
	तकनीशियन ग्रेड III फिटर	यांत्रिक	कैरेज और वैगन		
14	तकनीशियन ग्रेड III सिग्नल	सिग व दू	सिग्नल	2	तकनीशियन ग्रेड III ( सिग व दू )
	तकनीशियन ग्रेड III दूरसंचार	सिग व दू	दूरसंचार		
15	तकनीशियन ग्रेड III वेल्डर	इंजीनियरिंग	रेलपथ (पीवे)	2	तकनीशियन ग्रेड III वेल्डर (ओएल)
	तकनीशियन ग्रेड III वेल्डर	यांत्रिक	कैरेज व वैगन		
18	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल	विद्युतीय	उत्पादन इकाई	2	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल ( पीयू एवं डब्ल्यूएस )
	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल( कार्यशाला )	विद्युतीय	कार्यशाला		
19	तकनीशियन ग्रेड III फिटर	यांत्रिक	उत्पादन इकाई	2	तकनीशियन ग्रेड III फिटर (पीयू एवं डब्ल्यूएस)
	तकनीशियन ग्रेड III फिटर (कार्यशाला )	विद्युतीय	कार्यशाला		
	तकनीशियन ग्रेड III फिटर (कार्यशाला )	इंजीनियरिंग	कार्यशाला		
	तकनीशियन ग्रेड III फिटर (कार्यशाला )	यांत्रिक	कार्यशाला		
	तकनीशियन ग्रेड III फिटर (कार्यशाला )	सिग व दू	कार्यशाला		
25	तकनीशियन ग्रेड III वेल्डर	यांत्रिक	उत्पादन इकाई	2	तकनीशियन ग्रेड III वेल्डर ( पीयू एवं डब्ल्यूएस )
	तकनीशियन ग्रेड III वेल्डर (कार्यशाला )	यांत्रिक	कार्यशाला		

## सीईएन संख्या 02/2026 की एकल श्रेणियों का विवरण

श्रेणी सं	मूल पोस्ट का नाम (विलय से पहले)	विभाग	उप-विभाग	7 वें सीपीसी में स्तर	पद का नाम (यथा अधिसूचित)
1	तकनीशियन ग्रेड । सिग्नल	सिग व दू	सिग्नल	5	तकनीशियन ग्रेड । सिग्नल
2	तकनीशियन ग्रेड ।।। ट्रैक मशीन	इंजीनियरिंग	ट्रैक मशीन	2	तकनीशियन ग्रेड ।।। ट्रैक मशीन
3	तकनीशियन ग्रेड ।।। ब्लैकस्मिथ	इंजीनियरिंग	रेलपथ (पीवे)	2	तकनीशियन ग्रेड ।।। ब्लैकस्मिथ
4	तकनीशियन ग्रेड ।।। ब्रिज	इंजीनियरिंग	ब्रिज	2	तकनीशियन ग्रेड ।।। ब्रिज
5	तकनीशियन ग्रेड ।।। कैरिज और वैगन	यांत्रिक	कैरेज और वैगन	2	तकनीशियन ग्रेड ।।। कैरिज और वैगन
6	तकनीशियन ग्रेड ।।। डीजल इलेक्ट्रिकल	यांत्रिक	डीजल शेड	2	तकनीशियन ग्रेड ।।। डीजल इलेक्ट्रिकल
7	तकनीशियन ग्रेड ।।। डीजल मैकेनिकल	यांत्रिक	डीजल शेड	2	तकनीशियन ग्रेड ।।। डीजल मैकेनिकल
8	तकनीशियन ग्रेड ।।। इलेक्ट्रिकल /टीआरएस	विद्युतीय	टीआरएस	2	तकनीशियन ग्रेड ।।। इलेक्ट्रिकल/ टीआरएस
11	तकनीशियन ग्रेड ।।। ईएमयू	विद्युतीय	ईएमयू	2	तकनीशियन ग्रेड ।।। ईएमयू
13	तकनीशियन ग्रेड ।।। रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग	विद्युतीय	सामान्य सेवाएं	2	तकनीशियन ग्रेड ।।। रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग
16	तकनीशियन ग्रेड ।।। क्रेन चालक	यांत्रिक	कार्यशाला	2	तकनीशियन ग्रेड ।।। क्रेन चालक
17	तकनीशियन ग्रेड ।।। कारपेंटर (कार्यशाला)	यांत्रिक	कार्यशाला	2	तकनीशियन ग्रेड ।।। कारपेंटर (कार्यशाला )
20	तकनीशियन ग्रेड ।।। मशीनिस्ट (कार्यशाला)	यांत्रिक	कार्यशाला	2	तकनीशियन ग्रेड ।।। मशीनिस्ट ( कार्यशाला )
21	तकनीशियन ग्रेड ।।। मेकानिकल (कार्यशाला)	यांत्रिक	कार्यशाला	2	तकनीशियन ग्रेड ।।। मेकानिकल (कार्यशाला)
22	तकनीशियन ग्रेड ।।। मिलराइट	यांत्रिक	कार्यशाला	2	तकनीशियन ग्रेड ।।। मिलराइट
23	तकनीशियन ग्रेड ।।। पेंटर (कार्यशाला)	यांत्रिक	कार्यशाला	2	तकनीशियन ग्रेड ।।। पेंटर (कार्यशाला)
24	तकनीशियन ग्रेड ।।। टिंमर (कार्यशाला)	यांत्रिक	कार्यशाला	2	तकनीशियन ग्रेड ।।। टिंमर (कार्यशाला)

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती / कुमारी \* ..... पुत्र/पुत्री\* ..... गांव/कस्बा.....

...../जिला/मंडल\* .....

.....राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश\* ..... जाति/जनजाति से संबंधित है जिसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है: -

@संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950.

@संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950.

@संविधान (अनुसूचित जातियाँ) (केन्द्र शासित प्रदेश) (भाग सी राज्य) आदेश 1951;

@संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) (केन्द्र शासित प्रदेश) (भाग सी राज्य) आदेश 1951;

[अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन आदेश 1956, बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश, (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित]

@संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956

@संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधित

@संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962

@संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962

@संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964

@संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967

@संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968

@संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968

@संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970

@संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978

@संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978

@संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989

@संविधान (एससी) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990

@संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1991

@संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1996

@संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

@संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002।

@अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002,

@ संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम 2007

समय-समय पर यथासंशोधित

%2. यह उन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के मामले में लागू है जो एक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन से दूसरे राज्य में स्थानांतरित हो गए हैं।

यह प्रमाण पत्र श्री/ श्रीमती \*.....श्री/ श्रीमती / कुमारी के पिता/माता\* .....गांव/कस्बा \* को जारी किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया जाता है।

%3. श्री/ श्रीमती / कुमारी \*.....और/या\* उनका/उनकी\* परिवार सामान्यतः गांव शहर\*..... जिला/संभाग\*.....राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश\* ..... में रहता है।

स्थान.....दिनांक.....

हस्ताक्षर.....पदनाम .....

..... ( कार्यालय की मुहर के साथ) राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश.....

\*कृपया जो शब्द लागू न हों उन्हें हटा दें। @ कृपया विशिष्ट राष्ट्रपति आदेश उद्धृत करें। % वह पैराग्राफ हटाएँ, जो लागू न हो।

टिप्पणी: (ए) यहां प्रयुक्त शब्द "सामान्यतः निवास करता है" का वही अर्थ होगा जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

जाति/जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी: 1. जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/ डिप्टी कलेक्टर / प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडी मजिस्ट्रेट / सिटी मजिस्ट्रेट / सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडी मजिस्ट्रेट के पद से नीचे नहीं)। 2. मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट। 3. राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे न हों। 4. उस क्षेत्र का उप-विभागीय अधिकारी जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है। 5. केंद्र या राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जो संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो। 6. प्रशासक/प्रशासक के सचिव (लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)।

## ओबीसी -एनसीएल प्रमाण पत्र का प्रारूप

भारत सरकार के अंतर्गत पदों पर नियुक्ति के लिए  
अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रारूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी\* \_\_\_\_\_, पुत्र/पुत्री\* श्री/श्रीमती\* \_\_\_\_\_, ग्राम/कस्बा\* \_\_\_\_\_, जिला/संभाग\* \_\_\_\_\_, राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश \_\_\_\_\_ के निवासी हैं तथा \_\_\_\_\_ समुदाय से संबंधित हैं, जिसे भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प क्रमांक \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_ \*\* के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है।

श्री/श्रीमती/कुमारी\* \_\_\_\_\_ और/या उनका\* परिवार \_\_\_\_\_ जिले/मंडल \_\_\_\_\_ राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के \_\_\_\_\_ में सामान्यतः निवास करता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08.09.1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या **36012/22/93-स्थापना (एससीटी)** की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) में भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.09.2017\*\*\* के कार्यालय ज्ञापन संख्या **36033/1/2013-स्था. (निवास)** द्वारा संशोधन किए जाने के बाद भी सम्मिलित नहीं है।

दिनांक : \_\_\_\_\_

जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त/ अन्य सक्षम प्राधिकारी  
(मुहर)

\* कृपया जो शब्द लागू न हों, उन्हें हटा दें।

\*\* प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के उस संकल्प का विवरण देना होगा, जिसमें उम्मीदवार की जाति को ओबीसी के रूप में दर्शाई गई हो।

\*\*\* समय-समय पर यथा संशोधित।

## ध्यान दें :

(क) यहां प्रयुक्त शब्द "सामान्यतः निवास करता है" का वही अर्थ होगा, जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

(ख) जाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित हैं:

(i) जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / डिप्टी कमिश्नर / अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर / डिप्टी कलेक्टर / प्रथम श्रेणी वजीफा प्राप्त मजिस्ट्रेट / सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी वजीफा प्राप्त मजिस्ट्रेट के पद से नीचे नहीं)।

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।

(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के स्तर से नीचे का न हो एवं उस क्षेत्र, जहां अभ्यर्थी और/ या उनका परिवार निवास करता है, के उप- मंडलीय अधिकारी।

## ओबीसी (एनसीएल) उम्मीदवारों द्वारा स्व-घोषणा पत्र

केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या 02/2026 के पदों के लिए आवेदन करने वाले  
अन्य पिछड़ा वर्ग ( नॉन क्रीमी लेयर) के उम्मीदवारों द्वारा दस्तावेज़ सत्यापन के समय  
प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा का प्रारूप

मैं .....पुत्र/पुत्री श्री .....गांव/कस्बा/शहर ..... जिला  
.....राज्य ..... का निवासी हूँ, एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं  
.....समुदाय (अपनी उप जाति का उल्लेख करें), जिसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-  
स्था. (एससीटी) दिनांक 08.09.1993 में निहित आदेशों के अनुसार सेवा में आरक्षण के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता  
प्राप्त है। यह भी घोषित किया जाता है कि आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि पर मैं उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन दिनांक 08.09.1993 की अनुसूची के  
कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हूँ तथा कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/1/2013-स्था. (आरक्षण) दिनांक  
13.09.2017 द्वारा किए गए उसके पश्चातवर्ती संशोधन के अनुसार भी क्रीमी लेयर की श्रेणी में नहीं आता/आती हूँ।

स्थान : .....

उम्मीदवार के हस्ताक्षर :

दिनांक : .....

उम्मीदवार का नाम :

रे.भ.बो. पंजीकरण संख्या/रोल नं :

## आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय और संपत्ति प्रमाण-पत्र

सरकार  
(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम एवं पता)

प्रमाण-पत्र संख्या: \_\_\_\_\_

दिनांक : \_\_\_\_\_

वर्ष \_\_\_\_\_ के लिए वैध

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/ कुमारी \_\_\_\_\_ पुत्र/पुत्री/पत्नी,  
श्री \_\_\_\_\_ गांव/मोहल्ला \_\_\_\_\_ डाकघर \_\_\_\_\_ जिला \_\_\_\_\_  
राज्य/संघ शासित प्रदेश \_\_\_\_\_ पिन कोड \_\_\_\_\_ के मूल निवासी है, जिसकी फोटोग्राफ नीचे सत्यापित है, वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से है, क्योंकि उसके/उसकी "परिवार"\*\*\* की सकल वार्षिक आय\* वित्तीय वर्ष \_\_\_\_\_ के लिए 8 लाख रुपये (केवल आठ लाख रुपये) से कम है। उसके/उसकी परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति नहीं है या उसके पास नहीं है\*\*\*:

- I. 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि;
- II. 1000 वर्ग फीट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
- III. अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
- IV. अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

2. श्री/श्रीमती/ कुमारी \_\_\_\_\_ जाति से संबंधित हैं जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केन्द्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

आवेदक का हाल ही का  
पासपोर्ट आकार का  
फोटोग्राफ,  
इस प्रमाण पत्र को जारी  
करने वाले प्राधिकारी  
द्वारा सत्यापित किया  
जाना चाहिए

हस्ताक्षर सहित मुहर: \_\_\_\_\_

कार्यालय \_\_\_\_\_

नाम \_\_\_\_\_

पद का नाम \_\_\_\_\_

\* नोट 1 : आय में सभी स्रोत तथा वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि को जोड़ लिया गया है।

\*\* नोट 2 : इस प्रयोजन के लिए "परिवार" शब्द में वह व्यक्ति शामिल है, जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन तथा उसके पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल हैं।

\*\*\*नोट 3 : परिवार द्वारा विभिन्न स्थानों अथवा ठिकानों/शहरों में धारित परिसम्पत्तियों को जोड़कर कुल भूमि अथवा परिसम्पत्ति के आधार पर आर्थिक रूप से कमजोर परीस्थिति की जाँच की गयी है

आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी नीचे दिए गए हैं:

- (i) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट /उप-विभागीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त।
- (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
- (iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो।
- (iv) उस क्षेत्र का उप-मंडल अधिकारी, जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्यतः निवास करता है।

**आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) के उम्मीदवारों हेतु आय प्रमाण-पत्र**

केंद्रीयकृत रोजगार अधिसूचना संख्या (सीईएन) 02/2026 के तहत दस्तावेज़ सत्यापन के समय आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) के उम्मीदवारों द्वारा परीक्षा शुल्क में छूट के लिए प्रस्तुत किए जाने वाला प्रोफॉर्मा

प्रमाण-पत्र सं.: \_\_\_\_\_

1. उम्मीदवार का नाम : \_\_\_\_\_
2. पिता का नाम : \_\_\_\_\_
3. आयु : \_\_\_\_\_
4. आवासीय पता : \_\_\_\_\_
5. वार्षिक पारिवारिक आय (शब्दों एवं अंकों में) : \_\_\_\_\_

दिनांक : \_\_\_\_\_

हस्ताक्षर : \_\_\_\_\_

नाम : \_\_\_\_\_

**जारीकर्ता प्राधिकारी की मुहर**

**नोट :** आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) से आशय उन उम्मीदवारों से है जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹50,000/- (पचास हजार रुपये) से कम है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान के उद्देश्य से आय प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकारी अधिकृत हैं :

1. ज़िला मजिस्ट्रेट या अन्य राजस्व अधिकारी जिनका स्तर तहसीलदार से नीचे न हो।
2. अपने निर्वाचन क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए लोकसभा के वर्तमान सांसद।
3. राज्यसभा के वर्तमान संसद सदस्य उस जिले के व्यक्तियों के लिए जिसमें ये सांसद सामान्यतः निवास करते हैं।
4. केन्द्रीय मंत्री भारत में कहीं भी किसी व्यक्ति के लिए ।

## घोषणा

केंद्रीयकृत रोजगार अधिसूचना संख्या 02/2026 के तहत  
दस्तावेज सत्यापन के समय अल्पसंख्यक उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले परीक्षा शुल्क में छूट के लिए प्रोफॉर्म

में, ..... श्री .....  
..... का पुत्र/पुत्री, गाँव/कस्बा/शहर  
..... जिला ..... राज्य ..... का निवासी, यह  
घोषणा करता हूँ कि मैं ..... [केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित  
अल्पसंख्यक समुदाय यानी मुस्लिम/सिख/ईसाई/बौद्ध /जैन/पारसी समुदाय से संबंधित हूँ।

दिनांक:

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

स्थान:

उम्मीदवार का नाम

**नोट :** दस्तावेज सत्यापन के समय परीक्षा शुल्क में छूट का दावा करने वाले ऐसे उम्मीदवारों को गैर-न्यायिक स्टॉप पेपर पर 'अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा' शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय (यानी, मुस्लिम / सिख / ईसाई/बौद्ध / जैन / पारसी) से संबंधित है।

**फॉर्म - V**  
**दिव्यांगता प्रमाण-पत्र**  
**(एकल दिव्यांगता के मामले में)**  
**[नियम 18(1) देखें]**  
**(प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)**

दिव्यांगजन का  
नवीनतम पासपोर्ट  
साइज फोटो  
(केवल चेहरा दिख  
रहा हो)

प्रमाण पत्र/यूडीआईडी सं: ..... जारी करने की तिथि :.....

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने /हमने श्री/श्रीमती/ कुमारी .....,  
पुत्र/पत्नी/पुत्री/अभिभावक ..... जन्मतिथि .....(दिन/माह/वर्ष)आयु .....वर्ष,  
पुरुष/महिला/ट्रांसजेंडर..... पंजीकरण संख्या .....मकान नं. ....वार्ड/गांव/गली  
..... डाकघर ..... जिला ..... राज्य ..... का स्थायी निवासी, जिसकी फोटो  
ऊपर चिपकी हुई है, की सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं संतुष्ट हूँ कि :

(क) उक्त व्यक्ति ( निम्नलिखित दिव्यांगताओं में से किसी एक) से ग्रसित है :

(1) गतिविषयक दिवायांगता	(2) मांसपेशीय दुर्विकास	(3) कुष्ठरोग उपचारित	(4) बौनापन
(5) प्रमस्तिक घात	(6) एसिड अटैक पीड़ित	(7) निम्न दृष्टि	(8) दृष्टिबाधिता
(9) श्रवण बाधिता	(10) वाक् और भाषा दिव्यांगता	(11) बौद्धिक दिव्यांगता	(12) विनिर्दिष्ट सीख दिव्यांगता
(13) ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार	(14) मानसिक रूग्णता	(15) चिरकालिक तंत्रिका दशाएं	(16) मल्टीपल स्क्लेरोसिस
(17) पार्किंसंस रोग	(18) हीमोफीलिया	(19) थेलेसीमिया	(20) सिकल शैल रोग

(ख) शरीर के प्रभावित हुए अंग का नाम

(ग) उसके मामले में मूल्यांकन यह है .....

(घ) व्यक्ति में .....% (आंकड़ों में) ..... प्रतिशत (शब्दों में) दिव्यांगता है और प्रमाण पत्र की प्रकृति {स्थायी/अस्थायी और (दिन/माह/वर्ष) तक वैध} है, जैसा कि भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं..... दिनांक ( दिन/माह/वर्ष)..... के तहत दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत शामिल व्यक्ति में विनिर्दिष्ट दिव्यांगता की सीमा का दिशा-निर्देशों के अनुसार आकलन करने के उद्देश्य से है।

**दिव्यांग व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान:**

**अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी सदस्य (सदस्यों) के हस्ताक्षर:**

**हस्ताक्षर:**

**प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता:**

भारत सरकार का लोगो( प्रतीक चिन्ह)	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार का लोगो ( प्रतीक चिन्ह)	संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का लोगो (प्रतीक चिन्ह)
-----------------------------------	--	--

**फॉर्म VI**  
**दिव्यांगता प्रमाणपत्र**  
( बहु दिव्यांगता के मामले में )  
[नियम 18(1) देखें]  
**(प्रमाणपत्र जारी करनेवाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)**

दिव्यांगजन का  
नवीनतम पासपोर्ट  
आकार का फोटो  
(केवल चेहरा दिख रहा  
हो)

प्रमाणपत्र संख्या : ..... जारी करने की तिथि : .....

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि /हमने श्री/श्रीमती/ कुमारी .....  
पुत्र/पत्नी/पुत्री /अभिभावक ..... जन्मतिथि ..... ( दिन/माह/वर्ष)  
आयु ..... वर्ष, पुरुष/महिला/ट्रांसजेंडर ..... पंजीकरण संख्या .....  
मकान नं. .... वार्ड/गांव/गली .....  
..... डाकघर ..... जिला ..... राज्य ..... का स्थायी निवासी  
जिनका फोटो ऊपर चिपकी हुई है,की सावधानीपूर्वक जांच की है और हम संतुष्ट हैं कि:

(क) वह **बहु-दिव्यांगता** से ग्रस्त है। इनकी शारीरिक दिव्यांगता/दिव्यांगता की सीमा का मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा अधिसूचित दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत शामिल व्यक्ति में विनिर्दिष्ट दिव्यांगता की सीमा का आकलन दिशानिर्देशों के अनुसार करने के उद्देश्य से किया गया है, जिसे नीचे दी गई दिव्यांगताओं के लिए अधिसूचना सं..... दिनांक (दिन/माह/वर्ष)..... के माध्यम से अधिसूचित किया गया है:

क्र.सं.	दिव्यांगता	शरीर के प्रभावित अंग का नाम	निदान	दिव्यांगता का प्रतिशत
1	गतिविषयक दिवायांगता			
2	मांसपेशीय दुर्बिकास			
3	कुष्ठरोग उपचारित			
4	बौनापन			
5	प्रमस्तिक घात			
6	एसिड अटैक पीड़ित			
7	निम्न दृष्टि			
8	दृष्टिहीन			
9	श्रवण बाधित			
10	वाक् और भाषा दिव्यांगता			
11	बौद्धिक दिव्यांगता			
12	विनिर्दिष्ट सीख दिव्यांगता			
13	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार			
14	मानसिक रूग्णता			
15	चिरकालिक तंत्रिका दशाएं			
16	मल्टीपल स्क्लेरोसिस			
17	पार्किंसंस रोग			
18	हीमोफीलिया			
19	थेलेसीमिया			
20	सिकल सेल रोग			

(नोट: केवल मूल्यांकन की गई दिव्यांगताओं को सूचीबद्ध किया जाएगा।)

(ख) इनमें .....% (आंकड़े में) ..... प्रतिशत (शब्दों में) समग्र दिव्यांगता है और प्रमाण पत्र की प्रकृति स्थायी/अस्थायी और (दिनांक/माह/वर्ष) तक मान्य है।)

दिव्यांगजन के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान:

अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी सदस्यों के हस्ताक्षर:

हस्ताक्षर:  
प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता:

**स्क्राइब का उपयोग करने के लिए वचन पत्र**

- नोट: 1. दृष्टिहीन, गतिविषयक दिवायांगता (दोनों हाथ प्रभावित - बीए) और प्रमस्तिक घात की श्रेणी में बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के मामले में, यदि व्यक्ति चाहे तो उसे स्क्राइब की सुविधा दी जाएगी। उम्मीदवार परीक्षा केंद्र पर अनुलग्नक V (सी) के अनुसार वचन पत्र जमा करने के बाद स्क्राइब की सहायता ले सकते हैं।
2. बेंचमार्क विकलांगता वाले अन्य श्रेणी के व्यक्तियों के मामले में, मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर स्क्राइब के प्रावधान की अनुमति दी जा सकती है कि संबंधित व्यक्ति को लिखने में शारीरिक रूप से अक्षमता है और उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब की आवश्यकता है। उम्मीदवार अनुलग्नक V(एफ) के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने और अनुलग्नक V(सी) के अनुसार वचन पत्र परीक्षा केंद्र पर जमा करने के बाद स्क्राइब की सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
3. दिव्यांगजन ( आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2(आर) की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं) और लिखने में कठिनाई होने पर, वे भी परीक्षा केंद्र पर अनुलग्नक V(डी) के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने और अनुलग्नक V(ई) के अनुसार वचन पत्र जमा करने के बाद अपनी ओर से उत्तर लिखने के लिए स्क्राइब की सहायता ले सकते हैं।

उम्मीदवार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले प्रस्तावित स्क्राइब का विवरण

1. उम्मीदवार का नाम .....
2. रोल नं. ....
3. सीबीटी केंद्र का नाम .....
4. उम्मीदवार की योग्यता .....
5. विकलांगता का प्रकार .....
6. स्क्राइब का नाम .....
- 6(a) मेरे स्क्राइब का आरआरबी के पास वनटाइम रजिस्ट्रेशन नंबर (ओटीआर) है :
7. स्क्राइब की जन्मतिथि .....
8. स्क्राइब के पिता का नाम .....
9. स्क्राइब का पता:  
(क) स्थायी पता.....  
(ख) वर्तमान पता .....
10. स्क्राइब की शैक्षिक योग्यता .....
11. स्क्राइब का उम्मीदवार से सम्बन्ध (यदि कोई हो) .....

यहां स्क्राइब का हाल ही में लिया गया रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ चिपकाएं आकार 3.5 सेमी x 4.5 सेमी (रंगीन फोटोग्राफ दो महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए)

**12. घोषणा:**

- i) हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि ऊपर दिए गए विवरण हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं। हमने इस परीक्षा में स्क्राइब/स्क्राइब द्वारा सहायता प्राप्त उम्मीदवारों के आचरण के संबंध में रेलवे भर्ती बोर्ड के निर्देशों को पढ़ लिया है/पढ़ लिया गया है और हम उनका पालन करने का वचन देते हैं।
- ii) हम घोषणा करते हैं कि स्क्राइब इस परीक्षा में उम्मीदवार नहीं है। हम समझते हैं कि यदि ऐसा नहीं पाया जाता है तो हम दोनों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
- iii) हम घोषणा करते हैं कि स्क्राइब ने इस परीक्षा में किसी अन्य उम्मीदवार के लिए स्क्राइब के रूप में कार्य नहीं किया है/नहीं करेगा।
- iv) हम घोषणा करते हैं कि स्क्राइब की शैक्षिक योग्यता परीक्षा देने वाले उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता से एक कदम कम है। यदि बाद में यह पाया जाता है कि स्क्राइब की योग्यता स्क्राइब द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार नहीं है, तथा यह परीक्षा देने वाले उम्मीदवार की योग्यता से परे है, तो उम्मीदवार को पद तथा उससे संबंधित दावों से वंचित होना पड़ेगा।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर )

उपरोक्त बॉक्स में उम्मीदवार के बाएँ अंगूठे का निशान

( स्क्राइब के हस्ताक्षर )

उपरोक्त बॉक्स में स्क्राइब के बाएँ अंगूठे का निशान

**आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले, किंतु उक्त अधिनियम की धारा 2(आर) की परिभाषा के अंतर्गत न आने वाले विशेष दिव्यांगता वाले व्यक्ति (अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले तथा लिखने में कठिनाई वाले व्यक्तियों) हेतु प्रमाण-पत्र**

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने श्री/सुश्री/श्रीमती \_\_\_\_\_ (उम्मीदवार का नाम), पुत्र/पुत्री \_\_\_\_\_, निवासी \_\_\_\_\_ (गाँव/डाकघर/पुलिस थाना/जिला/राज्य), आयु \_\_\_\_\_ वर्ष, की जांच की है। यह व्यक्ति \_\_\_\_\_ (दिव्यांगता/स्थिति का प्रकार) से ग्रस्त है तथा उसकी उपर्युक्त स्थिति के कारण उसकी लेखन क्षमता प्रभावित होती है। अतः उसे परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब (स्क्राइब) की सहायता की आवश्यकता है।
2. उपर्युक्त उम्मीदवार सहायक उपकरण, जैसे प्रोस्थेटिक्स एवं ऑर्थोटिक्स, श्रवण यंत्र आदि (उपकरण का नाम उल्लेख करें), का उपयोग करता/करती है, जो स्क्राइब की सहायता से परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवश्यक हैं।
3. यह प्रमाण-पत्र केवल भर्ती एजेंसियों तथा शैक्षणिक संस्थानों द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में सम्मिलित होने के उद्देश्य से जारी किया जाता है तथा इसकी वैधता \_\_\_\_\_ तक होगी। (यह अधिकतम छह माह अथवा उससे कम अवधि के लिए वैध होगा, जैसा कि चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाए।)

(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)
आर्थोपीडिक/पीएमआर विशेषज्ञ	नैदानिक मनोवैज्ञानिक / पुनर्वास मनोवैज्ञानिक / मनोचिकित्सक / विशेष शिक्षक	न्यूरोलजिस्ट ( यदि उपलब्ध हो )	व्यावसायिक थेरापिस्ट (यदि उपलब्ध हो)	अध्यक्ष द्वारा नामित अन्य विशेषज्ञ (यदि कोई हो)
(हस्ताक्षर और नाम)				
<b>मुख्य चिकित्सा अधिकारी / सिविल सर्जन /मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी .....अध्यक्ष</b>				

सरकारी अस्पताल/ स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का नाम  
(मुहर सहित)

स्थान :

तारीख:

## 40% से कम विकलांगता और लिखने में कठिनाई का सामना करने वाले व्यक्ति द्वारा दिया गया वचन पत्र

यहां स्क्राइब का नवीतम रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ चिपकाएं, जिसका आकार 3.5 सेमी x 4.5 सेमी हो। (रंगीन फोटोग्राफ दो महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए)

उपरोक्त बॉक्स में स्क्राइब के हस्ताक्षर  
(अर्थात् फोटोग्राफ के नीचे वाले बॉक्स में)

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2(आर) की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आने वाले विशेष दिव्यांगता वाले व्यक्ति अर्थात् 40% से कम विकलांगता वाले और लिखने में कठिनाई वाले व्यक्ति द्वारा दिया गया वचन पत्र

1. मैं -----, ----- (विकलांगता/स्थिति की प्रकृति) वाला उम्मीदवार, ----- (परीक्षा का नाम ) ----- रोल नं. ----- ( केंद्र का नाम ) ----- जिले ----- (राज्य का नाम) में परीक्षा के लिए उपस्थित हो रहा हूँ। मेरी शैक्षणिक योग्यता ----- है।
2. मैं यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त परीक्षा में ----- (स्क्राइब का नाम) नीचे हस्ताक्षरकर्ता के लिए स्क्राइब की सेवा प्रदान करेगा।
3. मैं यह वचन देता हूँ कि उसकी योग्यता ----- है। यदि बाद में यह पाया जाता है कि उसकी योग्यता अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा घोषित योग्यता के अनुरूप नहीं है तथा मेरी योग्यता से परे है, तो मैं पद या प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/डिग्री तथा उससे संबंधित दावों पर अपना अधिकार खो दूंगा।
4. आरआरबी के साथ मेरा स्क्राइब वनटाइम रजिस्ट्रेशन नंबर (ओटीआर) ..... है।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

(यदि उम्मीदवार नाबालिग है तो माता-पिता/अभिभावक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर)

स्थान:

तारीख:

**परीक्षार्थी को लिखने में शारीरिक सीमा के संबंध में प्रमाण पत्र**

यह प्रमाणित किया जाता है कि, मैंने श्री/सुश्री/श्रीमती \_\_\_\_\_ (दिव्यांग उम्मीदवार का नाम), जो \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (विकलांगता प्रमाण पत्र में उल्लिखित विकलांगता की प्रकृति और प्रतिशत) से ग्रस्त हैं, पुत्र/पुत्री \_\_\_\_\_  
 (गांव/जिला/राज्य) \_\_\_\_\_ का निवासी हैं, उनका परीक्षण किया गया है और यह उल्लेख करता/करती हूँ कि विकलांगता के  
 कारण उनकी शारीरिक सीमाएं उनकी लेखन क्षमताओं में बाधा डालती हैं।

हस्ताक्षर

किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान का मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक

नाम और पदनाम

सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का नाम मुहर सहित

जगह:

तारीख:

नोट: प्रमाण पत्र संबंधित स्ट्रीम/विकलांगता के विशेषज्ञ द्वारा दिया जाना चाहिए (जैसे दृश्य हानि - नेत्र रोग विशेषज्ञ, गतिविषयक दिवायांगता-  
 हड्डी रोग विशेषज्ञ/पीएमआर आदि)।

**भूतपूर्व सैनिक कोटा का लाभ लेकर सिविल रोजगार के संबंध में  
भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाले घोषणा-पत्र का प्रारूप**

मैं समझता हूँ कि मैं इस केन्द्रीयकृत रोजगार अधिसूचना (सीईएन) के अंतर्गत भर्ती के संबंध में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित किसी रिक्ति पर नियुक्त होने के लिए पात्र नहीं होऊंगा, यदि मैंने ऐसी नियुक्ति से पहले किसी भी समय भूतपूर्व सैनिकों को स्वीकार्य रिक्तियों के आरक्षण की रियायत का लाभ उठाकर सिविल सेवा (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय/सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक आदि सहित) में कोई रोजगार प्राप्त किया हो।

**मैं इसके साथ ही निम्नलिखित तथ्य भी घोषित करता हूँ:**

क) सीईएन \_\_\_\_\_ के पदों के लिए दस्तावेज़ सत्यापन में भाग लेने से पूर्व, मैंने भूतपूर्व सैनिक कोटा का लाभ उठाकर कोई भी सिविल रोजगार प्राप्त नहीं किया है।

ख) मैंने सिविल रोजगार प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व सैनिक कोटा का लाभ उठाया है और मैंने सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले सीईएन \_\_\_\_\_ में अधिसूचित विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन(नों) के विवरण स्व-घोषणा/वचन पत्र द्वारा अपने नियोक्ता को दिया है, जिसके लिए मैंने आवेदन किया है। वर्तमान नियोक्ता से स्व-घोषणा/वचन पत्र प्रस्तुत करने का प्रमाण पत्र संलग्न है।

(जो लागू न हो उसे काट दें)

स्थान:

हस्ताक्षर: .....

दिनांक:

नाम: .....

रोल नम्बर: .....

## नियोजित अधिकारियों (भूतपूर्व सैनिकों) के लिए प्रमाण-पत्र का प्रोफॉर्म

1. यह सूचित किया जाता है कि श्री/कुमारी/श्रीमती \_\_\_\_\_ (यूनिट /कार्यालय) में \_\_\_\_\_ (रैंक) के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने विज्ञापन संख्या \_\_\_\_\_ के माध्यम से दिनांक \_\_\_\_\_ में विज्ञापित \_\_\_\_\_ पद के लिए आवेदन किया है।
2. मैं, उपलब्ध जानकारी के साथ, श्री/कुमारी/श्रीमती \_\_\_\_\_ (नाम) संख्या \_\_\_\_\_ (रैंक), के सम्बन्ध में निम्नानुसार प्रमाणित करता हूँ :-
  - i) वह भूतपूर्व सैनिक का दर्जा प्राप्त करने के लिए \_\_\_\_\_ वर्षों (शब्दों में) की निर्धारित अवधि को, अन्य शर्तों की पूर्ति के करने पर, \_\_\_\_\_ (दिनांक) को पूरा कर लेगा। श्री/कुमारी/श्रीमती \_\_\_\_\_ अनापत्ति प्रमाण-पत्र की दिनांक पर \_\_\_\_\_ वर्ष की सेवा (शब्दों में) तथा सैन्य सेवा छोड़ने के समय \_\_\_\_\_ सेवा के वर्ष (शब्दों में) पूरा कर लेगा।
  - ii) उनका पद पर चयन होने पर उसे सेवामुक्त कर दिया जाएगा।

स्थान:  
दिनांक:

कमांडिंग ऑफिसर:  
(हस्ताक्षर)  
कार्यालय मुहर

ऑनलाइन रेफ नं \_\_\_\_\_ जमा करने की तिथि और समय

(यह फॉर्म ऑनलाइन जनरेट किया जाता है और इसे मैन्युअल रूप से नहीं भरा जाना चाहिए।)

प्रमाण-पत्र पर राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं

उम्मीदवार का नाम : \_\_\_\_\_

आवेदन संख्या : \_\_\_\_\_

राजपत्रित  
अधिकारी द्वारा  
सत्यापित  
फोटोग्राफ

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री \_\_\_\_\_ पुत्र/पुत्री श्री \_\_\_\_\_, निवासी  
\_\_\_\_\_ रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) के **CEN 02/2026** के अंतर्गत आवेदन संख्या \_\_\_\_\_ के साथ आवेदन  
कर रहा/रही हैं तथा अभ्यर्थी की नवीनतम फोटो आवेदन पत्र की फोटो से मेल खाती है।

सत्यापन अधिकारी का नाम : \_\_\_\_\_

पदनाम : \_\_\_\_\_

हस्ताक्षर : \_\_\_\_\_

राजपत्रित अधिकारी की मुहर/सील : \_\_\_\_\_

दिनांक : \_\_\_\_\_

स्थान : \_\_\_\_\_

नोट- सत्यापन अधिकारी के हस्ताक्षर इस प्रकार किए जाएँ कि हस्ताक्षर का एक भाग प्रमाण-पत्र पर तथा दूसरा भाग उम्मीदवार के नवीनतम फोटोग्राफ पर आए। (चेहरे को ढकना नहीं)